खण्ड-379, अंक-6
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(9 मार्च, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 379 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 4-9-86 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	83
आज की कार्यसूची की मद संख्या 10 व 11 को स्थगित किए जाने की सूचना	83
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	84-101
वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गए) ..	101
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) (स्वीकृत) ..	101
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित) ..	101-103
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित) ..	103-105
नत्थियां	106-109

विधान परिषद

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 9-3-1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11.05 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी	एटा
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद

प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) — गोण्डा
फागू चौहान, श्री — आजमगढ़
बलवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बालेश्वर, श्री — देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री — सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
भगवान दास, श्री — मुरादाबाद
भगौती सिंह, श्री — लखनऊ
भोपाल सिंह, श्री — मेरठ
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
महरम सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री — गाजियाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर — झांसी
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री — बलिया

मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) — मुरादाबाद
मोहम्मद उमर, डा0 — गोण्डा
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री — रायबरेली
रघुवर दयाल वर्मा, श्री — आगरा
रणजीत, श्री — देवरिया
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री — एटा
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री — फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री — वाराणसी
राज बहादुर, श्री — जौनपुर
राजित प्रसाद यादव, श्री — वाराणसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
रामगोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री — बाराबंकी
राम जनम, श्री — आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती — फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
रामनाथ मुन्शी, श्री — गाजीपुर
राम लक्षन, श्री — गोरखपुर
राम सजीवन, श्री — बांदा
राम शरण दास, श्री — सहारनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
रेवती रमण सिंह, कुंवर — इलाहाबाद
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री — बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती — बलिया
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर

विष्णु देव, श्री	आजमगढ़	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
शिरोमणि भाई, श्री	बांदा	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
श्रीप्रकाश, श्री	आजमगढ़	हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
सतीश अजमानी, श्री	खीरी	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद	हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :—उपरोक्त के अतिरिक्त श्री अम्मार रिजवी तथा श्री अरुण कुमार सिंह मा0 मंत्री व निसार हुसैन अन्सारी व कुमारी सरस्वती अम्माल मा0 राज्य मंत्री भी अनुपस्थित रहे।

प्रदेश पटल

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधवा और बेसहारा महिलाओं की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग

**1—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी (अनुपस्थित)—

**क्या सरकार विधवा, परित्यक्ता और बेसहारा महिलाओं के लिये सरकारी नौकरियों में लिये जाने हेतु आयु सीमा में बढ़ोत्तरी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त तथा नियोजन मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

**जी नहीं।

**बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए 30 वर्ष से अधिक आयु सीमा बढ़ाना उचित नहीं है।

**(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के अनुपस्थित रहने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

**इसमें माननीय सदस्य, रुचि है।

श्री राम आसरे वर्मा—

**इसमें रुचि है। माननीय, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधवा परित्यक्ता और बेसहारा महिलाओं के लिए जिनकी आयु ज्यादा हो जाती है, उनके बारे में उनकी सहायता के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

**माननीय सदस्य, मैंने तो मूल प्रश्न के उत्तर में कह दिया है, जी नहीं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 और 1986-87 में टेहरी गढ़वाल की नयी विधवाओं के लिए पेंशन भिजवा दी गयी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

**माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह कार्मिक विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इसका उत्तर समाज कल्याण विभाग दे सकेगा। लेकिन जो पिछला बजट था, उसमें इसका प्राविधान किया गया है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को अन्तरिम राहत की दूसरी किश्त

**2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

(अनुपस्थित)

**क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक अंतरिम राहत की दूसरी किश्त के मार्च, 85 से अदा किए जाने के प्रश्न को लेकर आन्दोलनरत हैं और अब तीव्र आक्रोश में है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि किश्त अदायगी का यह प्रश्न मा0 मंत्री जी, शिक्षा सचिव व शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ माह जनवरी 87 में हुई वार्ता में हल हो चुका था? यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में दिक्कतें क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रज़ी)—

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त राजाज्ञा दिनांक 2 मार्च, 1987 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 श्री राम आसरे वर्मा की रुचि पर लिया गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजकीय इण्टर कालेज, रसैपाटा, पिथौरागढ़ में प्रधानाचार्य/अध्यापकों के रिक्त पद

*1—श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेज, रसैपाटा में 1980 से दिनांक 15-4-85 तक लगातार प्रधानाचार्य तथा जीव विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषयों समेत कुल नौ अध्यापकों की नियुक्ति न होने के क्या कारण थे ? इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? इस अवधि में विद्यालय का परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष क्रमशः कितना-कितना रहा था ?

श्री सिब्ते रजी—

राजकीय इण्टर कालेज, रसैपाटा, पिथौरागढ़ में 1980 से 15.4.85 तक की अवधि में प्रधानाचार्य समेत नौ नहीं वरन् केवल निम्नलिखित तीन अध्यापकों के पद ही रिक्त थे, जिन पर नियुक्तियां की जा चुकी है:—

(1) प्रधानाचार्य—दिनांक 16-9-81 से रिक्त
(2) सहायक अध्यापक-दिनांक 14-2-85 (जीव विज्ञान) से रिक्त
(3) सहायक अध्यापक-दिनांक 25-8-81 (विज्ञान/गणित) से रिक्त

प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ प्रोन्नति पर एक रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 12-1-81 के कारण जून 1984 तक तथा तत्पश्चात् तदर्थ प्रोन्नति पर तैनात अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण प्रधानाचार्य का पद रिक्त रहा।

अध्यापकों के पद, नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रहे।

उपर्युक्त सभी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

विद्यालय का वर्ष 1980 से 85 तक की हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षाओं का वर्षवार परीक्षाफल निम्नवत् रहा था:—

वर्ष	हाईस्कूल	इण्टर
1980	41.2 प्रतिशत	66.6 प्रतिशत
1981	38 प्रतिशत	66.6 प्रतिशत
1982	54 प्रतिशत	73.7 प्रतिशत
1983	71 प्रतिशत	84.6 प्रतिशत
1984	7 प्रतिशत	66.6 प्रतिशत
1985	4.2 प्रतिशत	25 प्रतिशत

तारांकित प्रश्न

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा के कर्मचारियों के चयन वेतनमान की गणना

*1—श्री हाजी मो0 हयात (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा का कार्यालय वहां के कर्मचारियों की सेवा काल की गणना उनकी नियुक्ति तिथि से न करके उन्हें चयन वेतनमान से वंचित किये हुए है? यदि हां, तो इस अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश निकाला गया है कि चयन वेतनमान देने के लिए सेवाकाल की गणना नियुक्ति तिथि से की जाय?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज अमरोहा (मुरादाबाद) के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा काल की गणना उनकी नियमित नियुक्ति तिथि से ही करके उन्हें चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयन वेतनमान देने के लिए सेवाकाल की गणना नियमित नियुक्ति की तिथि से किये जाने के आदेश हैं।

किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती में एल0 टी0 प्रशिक्षणार्थियों के चयन में धांधली की शिकायत

*2–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती में वर्ष 83-84 84-85 तथा 85-86 में प्रशिक्षण हेतु चुने गये विद्यार्थियों के चुनाव में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता का कोई रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र मई, जून, 1986 के मध्य उप-शिक्षा-निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के माध्यम से 85-86 के लिये चयनित एल0 टी0 प्रशिक्षणार्थियों के अंक प्रमाण-पत्र तथा शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है । शिकायत की पुष्टि हो जाने पर प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था उसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है । प्रश्न में पूछा यह गया था कि 1983-84, 1984-85, 1985-86 में प्रशिक्षण के लिये चुने गये विद्यार्थियों के चुनाव में हुई गडबडी के सम्बन्ध में था, परन्तु माननीय मंत्री जी ने 1985-86 में चयनित किये गये विद्यार्थियों के बारे में ही सूचना दी है और कहा है कि इसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक से करायेंगे तो और सालों का क्या किया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने किया है, उसका उत्तर पूरा न देने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

उत्तर न देने का कोई कारण नहीं है । माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने वर्ष 1985-86 पर ज्यादा जोर व्यक्त किया है, इसलिये उसको पहले ले लिया गया है उसके बाद के दूसरे सालों के प्रकरणों को भी लिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मेरे शिकायती-पत्र में यह भी था कि उक्त विद्यालय में अस्थायी प्रधानाचार्य की व्यवस्था की जाय । उसके बारे में मंत्री जी ने क्या किया ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि पूर्ण रूप से जांच हो रही है और विधिवत रूप से वहां पर प्रधानाचार्य चयनित हों, इसका प्रयास किया जा रहा है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वह अवैतनिक हैं और पूर्ण रूप से अस्थायी हैं । क्या माननीय मंत्री जी स्थायी रूप से वहां पर एल0 टी0 कालेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मैंने निवेदन किया इसमें जांच चल रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 85-86 वर्ष का मैंने उत्तर दे दिया । प्रश्न में 83-84, 84-85, तथा 85-86 तीन वर्षों का पूछा गया था । अनुपूरक में कहा गया कि 85-86 का पहले उत्तर दे दिया गया है और 83-84 से 84-85 तक जांच करायी गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्ष 83-84 और 84-85 की जांच करायी गई है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी सदन में देंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मैंने यह नहीं कहा कि 85-86 के ही प्रकरण पर जांच की जा रही है। मैंने यह कहा कि 85-86 का प्रकरण पहले लिया गया था उसकी जांच पूरी नहीं हो पायी है । उसके बाद 83-84 और 84-85 के प्रकरण भी लिये जायेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी बड़े हिसाब से घोटाले को हड़प जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब 85-86 के प्रकरण पर जो जांच हो गई है उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और जो जांच पूरी नहीं हुई है उसके कुछ तथ्य प्रकाश में आये होंगे, उसमें कोई दोषी पाया गया?

श्री सिब्ते रजी–

जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैंने एक पत्र 20-5-86 को लिखा था और आज 9 मार्च 87 हो गया है । माननीय मंत्री जी, जिस काम में गड़बड़ी होती है, अनियमितताऐं होती हैं उसको छिपाने के लिये जांच जारी हो जाती है । यह सदन को गुमराह करने की परम्परा है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने जांच की है और क्या उस जांचकर्ता ने शिकायतकर्ता से भी सम्पर्क किया है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, डी0 आई0 ओ0 एस0 बस्ती को यह जांच सुपुर्द की गई है । वे उस समय विद्यालय में भी गये थे । वहां जाकर उन्होंने प्रबन्धक और प्रधानाचार्य से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ अभिलेख उनको मिल गये हैं और बाकी के लिये कोशिश की जा रही है । हम माननीय सदस्य के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने यह प्रकरण हमारे सामने रखा है । शासन स्तर से भी अभी 7 तारीख को कुछ इस सम्बन्ध में निर्देश गये हैं कि इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही की जाय और शीघ्र मामले को निपटाया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

श्रीमन्, जून, 86 में शिकायती-पत्र आया था और तब से अभी तक जांच कर रहे हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है । पहली बात यह है कि जांच के सम्बन्ध में वे बिन्दु कौन-कौन से हैं जिन पर जांच हो रही । दूसरी बात यह है कि जांच के सम्बन्ध में आपके पास कोई अन्तरिम आख्या प्राप्त हुई है, यदि हां, तो वह क्या है । इन दोनों बातों का जवाब दें ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने आरोप-पत्र में जो आरोप लगाये हैं, वही मुख्य बिन्दु हैं । अभी तक कोई अन्तरिम आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

(प्रश्न 3 पुकारने पर) मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिये । मान्यवर, फार्मों की जांच नियमतः अध्यापकों को करनी चाहिये लेकिन वहां बड़े बाबू के द्वारा जांच कराई जाती है जिससे घपला कराने के लिये उन्हें ज्यादा अवसर मिलता है । इसलिये सारी अनियमितताऐं की गयी हैं और उसमें सांठ-गांठ हुई है । तो क्या इसकी जांच करायेंगे ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने पत्र में इस बिन्दु को दे रखा है जब जांच होगी तो इस बिन्दु को देखा जायेगा ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जब आरोप सच पाया गया कि घोटाला किया गया है तो उस बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह बस्ती का मामला है इलाहाबाद का नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे ....

श्री अध्यक्ष–

पाण्डे जी अब हो गया मैंने आगे का प्रश्न ले लिया है ।

(प्रश्न संख्या 3 पुकारा गया प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित थे । प्रश्न संख्या 4 से 9 तक प्रश्नकर्ता सदस्यों के उपस्थित न होने पर)

स्व0 डा0 मोख्तार अहमद अंसारी की जन्म स्थली यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की मांग

*3–श्री अफजाल अंसारी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के समस्त विधायकों ने दिनांक 24-7-85 को तत्कालीन मुख्य मंत्री की सेवा में एक पत्र लिखकर जनपद गाजीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, स्व0 डा0 मोख्तार अहमद अंसारी की जन्म स्थली यूसुफपुर मुहम्मदाबाद में एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना करने की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त मांग के सम्बन्ध में क्या सरकार जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद यूसुफपुर (तहसील हेड क्वार्टर) पर एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के निर्माण की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी हां ।

सम्प्रति नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ।

श्री शेर बहादुर सिंह–

मा0 मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिला गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को इस विद्यालय की जगह के संबंध में कोई प्रस्ताव आया था, यदि आया था तो किन-किन जगहों के लिए आया था ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, प्रश्न को देखने की कृपा की जाये। 24-7-85 को जनपद गाजीपुर के मा0 विधायकों ने एक पत्र लिखा था। उनका पत्र था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, स्व0 डाक्टर मोख्तार अहमद अंसारी की जन्म स्थली यूसुफपुर मुहम्मदाबाद में एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की जाए । महाविद्यालय की स्थापना की बात थी जिसके बारे में मैंने उत्तर दिया । मैंने बताया कि जहां महाविद्यालय खोलना होता है

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 3 श्री शेर बहादुर सिंह की रुचि पर लिया गया ।

उसके लिए कुछ मानक होते हैं और उनकी पूर्ति यह स्थान नहीं करता है, इसलिए यहां पर नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने जैसा बताया, मा0 विधायकों की मांग है, जिला प्रशासन की संस्तुति भी है और मान्यवर, यह स्थान ऐतिहासिकता से भी जुड़ा है । तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों को रिलेक्स करके इस मांग को मानने पर शासन विचार करेगा ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जो नियम हैं वह अपनी जगह पर मौजूद हैं । जैसा मैंने बताया कि संसाधन उपलब्ध न होना भी एक कारण है । इस लिए औचित्य नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुखपाल पांडे जी जिसमें आप रुचि रख रहे थे । मा0 शिक्षा मंत्री जी जिसमें आप रुचि रखते थे, प्रश्न संख्या–19, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का प्रश्न था ।

*4–श्री बाबूराम यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में लगातार घाटा तथा रोकथाम के उपाय

*5–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम बनने के बाद वर्ष 1983 से उ0 प्र0 रोडवेज अपना आर्थिक आधार खोता जा रहा है और लगातार घाटे में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार निगम में प्रति वर्ष बढ़ने वाले करोड़ों रुपए के घाटे की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह)–

जी नहीं ।

वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक के परिवहन निगम के लाभ-हानि के आंकड़े निम्नवत् हैं :–

वर्ष 83-84	–8.09 करोड़
वर्ष 84-85	–15.66 करोड़
वर्ष 85-86	–10.90 करोड़
वर्ष 86-87	+1.85 करोड़

(माह जनवरी, 87 तक)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि केवल वर्ष 84-85 में निगम को वर्ष 83-84 की तुलना में अधिक हानि हुई परन्तु वर्ष 1985-86 में गत वर्ष की तुलना में हानि में कमी हुई, एवं वर्ष 86-87 में माह जनवरी, 87 तक गत वर्ष जनवरी, 86 तक हुई रु0 8.57 करोड़ हानि के स्थान पर लगभग 1.85 रुपए का लाभ हुआ है ।

निगम प्रबन्ध द्वारा घाटे की रोकथाम के लिए पुरानी गाड़ियों का प्रतिस्थापन, समय सारिणी का अभिनवीकरण, प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ कर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा कार्यशालाओं का उच्चीकरण कर संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रोडवेज डिपो अलीगढ़ में परिचालकों की कमी

*6–श्री किशन लाल दिलेर (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिचालकों की कमी के कारण रोडवेज डिपो, अलीगढ़ में बसें समय से उपलब्ध नहीं होतीं ? यदि हां, तो क्या

सरकार परिचालकों की नव नियुक्ति के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

अलीगढ़ डिपो में परिचालकों की कमी नहीं है । अतः परिचालकों के अभाव में बसों के समय से उपलब्ध न होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आजाद उ0 मा0 विद्यालय रूनअवा पोखर भिण्डा गोरखपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

*7–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजाद उ0 मा0 विद्यालय रूनअवा पोखर भिण्डा (गोरखपुर) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच गत 10-5-84 को अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) श्री ईश्वर शरण गौड़ ने किया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जांच के समय वांछित अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना, शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान, श्री चुन्नी लाल श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रधानाध्यापक की निर्धारित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना आदि मुख्य बिन्दु हैं । प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । अतएव जांच आख्या के आधार पर अनियमित नियुक्त शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित है ।

बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ में विशेष सम्प्रेक्षा में अनियमितताएं

*8–श्री भगौती सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के अध्यापकों के वेतन कटौतियों की अनियमितताओं के संबंध में 24 दिसम्बर, 1979 को शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में तय हुई कार्यवृत्ति के आधार पर हुई विशेष सम्प्रेक्षा में लाखों रु0 की अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, जिसका दायित्व सम्प्रेक्षण दल ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के कार्यालय पर निश्चित किया है और मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ ने भी रिट पेटीशन सं0 4576 वर्ष 1983 द्वारा उक्त तथ्य की सम्पुष्टि की है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी दायित्व निश्चित कर दोषी को दण्ड न देने और कालेज द्वारा अनुरक्षण खाते से हस्तान्तरित किए गए 65 हजार रु0 कालेज को वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एकाकी परिचालन की अवधि में शुल्क के वास्तविक जमा की जांच नहीं की गई ।

माननीय उच्च न्यायालय ने कथित याचिका में यह उल्लेख किया है कि एकाकी परिचालन की अवधि में प्रबन्धतंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ?

शुल्काय कम जमा होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोषी व्यक्ति को पुलिस जांच पूर्ण होने पर ही दण्ड विषयक निर्णय लिया जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी ।

जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं का जिला विद्यालय निरीक्षकों के समान अधिकारों की मांग

*9–श्री राम शरण दास (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षकों के पद सृजित किए गए तथा कार्यालय संचालित करने हेतु तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कितने-कितने पद सृजित किए गए ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षकों के समान जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को भी अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो इन पदों के सृजन का क्या औचित्य है?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1981 में एक भी जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका का पद सृजित नहीं किया गया । केवल सहारनपुर एवं मुरादाबाद की जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के लिए एक-एक आशुलिपिक (तृतीय श्रेणी) का पद शासनादेश दिनांक 18-4-81 द्वारा सृजित किया गया ।

जी नहीं। शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक का पद सर्वोच्च पद है। यह पद ज्येष्ठ वेतनक्रम रु0 1250–2050 का पद है। जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केवल बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य का जिला स्तर पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती हैं। यह पद कनिष्ठ वेतनक्रम रु0 850–1720 का पद है।

जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद केवल 8 जिलों में ही सृजित हैं। इन पदों का सृजन इस कारण किया गया था कि सम्बन्धित जिलों में माध्यमिक शिक्षा के बालिका विद्यालयों की संख्या अधिक हो गयी थी और यह महसूस किया गया कि मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के कार्य में सहायता प्रदान की जाय ।

अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के उच्चीकृत होने पर उनके प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति की मांग

*10–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि वे अशासकीय हाईस्कूल जिन्हें इण्टर कक्षाएं चलाने हेतु मान्यता दी जाती है उनके प्रधानाचार्यों को उसी विद्यालय में प्रोन्नति दी जाती है ? यदि हां, तो अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों को हाईस्कूल हेतु मान्यता मिलने पर उनके प्रधानाचार्यों को प्रोन्नत क्यों नहीं किया जाता है ? क्या सरकार ऐसी दोहरी व्यवस्था समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, उच्चीकरण के फलस्वरूप सृजित पद विनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत विहित प्रक्रियानुसार आयोग के परामर्श से हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, अन्यथा सीधी भर्ती से भरा जाता है।

संस्था की उच्चता और संस्था के प्रधान के पद की गुणात्मक गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्राविधानों एवं उसके विनियमों के अन्तर्गत किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद केवल सीधी भर्ती से ही भरा जाता है। अतः जूनियर हाईस्कूलों के हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त करने पर उनके प्रधानों को हाईस्कूलों का स्वतः प्रधानाध्यापक बनाना उचित न

होगा । दोहरी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न नहीं है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान पुनः अपने प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सीधा सा एक प्रश्न किया कि जो हाईस्कूल उच्चीकृत करके इण्टर कर दिये जाते हैं तो उस हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को इण्टर में भी प्रधानाचार्य मान लिया जाता है। उसी तरह जो जूनियर हाई स्कूल उच्चीकृत करके हाई स्कूल कर दिये जाते हैं तो वहां पर जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य पूर्ण अर्हता रखता है प्रधानाचार्य बनने के लिये तो उसको क्यों नहीं हाई स्कूल का प्रधानाचार्य मान लिया जाता है। चूंकि उत्तर में कहा है कि हाईस्कूल के अन्तर्गत उच्चीकृत करने में उसको प्रधानाचार्य मान लेते हैं लेकिन जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को हाई स्कूल में उच्चीकृत करने के लिये पद की गरिमा और गुणात्मकता को देखकर हम पदोन्नति नहीं करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही विभाग में यह दोहरा मापदंड क्यों है। इस ओर आप विचार करें और इसको समाप्त करें और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को हाई स्कूल में उच्चीकृत करने में क्या उसे प्रधानाचार्य का पद देंगे, यदि वह पूर्ण अर्हता रखता है।

श्री सिब्ते रजी–

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है निश्चित ही हमारे विभाग में कई संवर्ग हैं और बेसिक शिक्षा संवर्ग, माध्यमिक शिक्षा संवर्ग दोनों अलग-अलग हैं । कक्षा 9 से 10 तक हाई स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आता है। और जब कक्षा 10 से 12 तक ले जाना होता है तो उसका परिवेश बदला नही होता है । लेकिन जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल करते हैं तो पूरे संवर्ग और शिक्षा का परिवेश बदल जाता है, इसलिये संभव नही है कि जूनियर हाई स्कूल में जो प्रधानाध्यापक, हैं में प्रधानाचार्यों को हाई स्कूल का स्तर दे दिया जाये। मौलिक रूप से जब हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक चुना जाता है या इंटरमीडिएट का प्रधानाध्यापक चुना जाता है तो उसको शिक्षा आयोग के सामने जाना होता है, जहां तमाम एप्लीकेशंस आती हैं, वहां चुना जाता है किन्तु जूनियर हाई स्कूल स्तर पर चुनाव का आकार छोटा होता है । इसलिये गुणात्मकता के आधार पर अच्छे प्रधानाध्यापक मिलने का आकार सीमित हो जाता है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मैं मंत्री जी के कथन से सहमत हो सकता हूं लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उन्हीं के विभाग में यह मामला है और जो कमी है उसको मैंने सदन में बताया। इसलिये जब हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को उच्चीकृत करने में इसे इण्टर का प्रधानाचार्य मान लेते हैं तो जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करने पर वहां के प्रधानाचार्य को हाई स्कूल का प्रधानाचार्य क्यों नहीं मानते हैं। यह विषमता है, यह दोहरा मापदंड क्या आप समाप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, दोहरे मापदंड का प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार यदि इण्टरमीडिएट कालेज डिग्री कालेज में उच्चीकृत हो जाये तो क्या इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य डिग्री कालेज का प्रधानाचार्य बन जायेगा, तो यह सम्भव नहीं है। इसलिये जूनियर हाई स्कूल के प्रधाना-

चार्य आयोग के सामने जायं और वहां से चयनित हो जायं तो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य बन सकते हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में पहले क्या नियम था। क्या पूर्व नियम में आपने परिवर्तन किया है। यदि हां, तो क्या उस पूर्व नियम को लागू करने का विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जहां तक प्रश्न है जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के पदोन्नति का तो जो नियम बने हैं उनके अनुसार कार्यवाही होती है। आयोग का प्रश्न माध्यमिक शिक्षकों के परिवेश में चयन के लिये किया गया है। जूनियर हाई स्कूल में चयन की प्रक्रिया दूसरी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है जब हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के लिये चयन होता है तो विभिन्न जगहों के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और जब जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य बनाया जाता है तो उसका एक सीमित दायरा होता है। तो माननीय मंत्री जी क्या इस बात पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं अगर उनकी मिनिमम क्वालीफिकेशन अन्य आवेदनकर्ताओं के समान है और यदि वह हाई स्कूल के प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थी हैं तो क्या चयन में उनको प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, हाई स्कूल से इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति होती है, हाई स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं वह पहले से आयोग द्वारा चयनित होकर आते हैं इसलिये इसको देखते हुए उनको प्रोन्नति किया जाता है यदि उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। लेकिन जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिये इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

जय किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चमियानी, उन्नाव के विवादित मामले, विद्यालय के पक्ष में निर्णीत तथा स्थायी मान्यता की स्वीकृति

*11–श्री भगवती सिंह विशारद (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री प्रथम सत्र, 86 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-16 नत्थी "घ" दिनांक 24-2-86 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि प्रश्नगत विद्यालय से सम्बन्धित शिकायती पत्र की जांच के दिनांक 29-6-85 को जो निर्देश दिये गये थे उसके परिपालन में शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा ने जांचोपरान्त क्या आख्या दी है और उसके अनुसार नियमानुसार क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

जांच आख्या के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय के भूमि के विवाद के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तथा बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा विद्यालय के पक्ष में निर्णय दिया गया है। जांचोपरान्त नियमानुसार विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की गयी।

लखनऊ जनपद के विद्यालयों में विज्ञान-1 के अध्यापन हेतु पदों का सृजन

*12–श्री रघुबर दयाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि पिछले दो वर्षों से प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान–1 की कक्षायें हाईस्कूल में अनिवार्य की गई हैं परन्तु हाईस्कूल में विज्ञान–1 के अध्यापन हेतु लखनऊ जनपद के विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिका का पद अभी तक सृजित नहीं हुआ है? ऐसा क्यों किया गया? यदि उक्त पद सृजित नहीं करना था, तो ऐसी व्यवस्था लागू क्यों की गई?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । परन्तु जिन विद्यालयों में हाईस्कूल परीक्षा के लिये वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता नहीं है, वहां के छात्र विज्ञान-1 अथवा विज्ञान-2 के स्थान पर द्वितीय वैकल्पिक विषय उपहृत करेंगे जो साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिये गये वैकल्पिक विषयों की सूची से होगा । यह व्यवस्था 1988 की परीक्षा तक उपलब्ध रहेगी । प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में आयोजनेतर पक्ष में पद सृजन पर सम्प्रति रोक लगी है।

हरदोई जनपद की कुरसठ टाउन एरिया में बसों के संचालन की मांग

*13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ को, डामर युक्त मार्ग होने के बावजूद भी रोडवेज की बसें उपलब्ध कराकर जनता को यातायात की सुविधा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

डा0 संजय सिंह–

प्रश्नगत मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण उस पर परिवहन निगम द्वारा बस संचालन सम्भव नहीं है।

(ता0 प्र0 सं0 13 पुकारे जाने पर श्री राम आसरे वर्मा जी उपस्थित थे परन्तु वह अपने आसन पर खड़े नहीं हुए और कहा कि समझौता हो गया है।)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। परिवहन मंत्री जी सदस्यों को पटा लेते हैं।

(हंसी)

जनपद पिथौरागढ़ के 64 से पूर्व सेवा निवृत्त प्राइमरी अध्यापकों की पेंशन बढ़ाने की मांग

*14–श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में 1964 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों को 1972 में सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार सेवा निवृत्ति के समय मिले अन्तिम वेतन का मात्र चौथा हिस्सा पेंशन के रूप में जीवित प्रमाण पत्र प्रत्येक माह सभापति तथा पटवारी से प्रमाणित कराकर देने पर धनादेश द्वारा भेजा जाता है ? यदि हां, तो जनपद पिथौरागढ़ में उपरोक्त ऐसे कितने अध्यापक हैं ? क्या सरकार इनको वृद्धावस्था व असहायता को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि कम से कम दो सौ रुपया करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

तीन अध्यापक हैं।

इस प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् शासन द्वारा 19-4-86 को जारी किये गये आदेशों के अनुसार उक्त श्रेणी के अध्यापकों को दिनांक 1-1-86 से न्यूनतम रु0 50 अथवा उनके अन्तिम आहरित वेतन का 1/5 भाग मासिक जो भी अधिक हो, देने का प्राविधान किया गया है।

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट को 78–80 तक की सनद न मिलना

*15–कर्नल केशरी सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा

करेंगे कि वर्ष 1978, 1979 एवं 1980 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अभी तक कोई बोर्ड के प्रमाण पत्र (सनद) नहीं उपलब्ध कराये गये हैं जिससे इन बच्चों को नौकरी आदि प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इन्हें उपलब्ध कराने के क्या उपाय किये जा रहे हैं और कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हाईस्कूल वर्ष 1978 की परीक्षा के समस्त प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं। हाईस्कूल वर्ष 1979 के 108900 प्रमाण-पत्रों में से 107900 प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा 1000 प्रमाण-पत्र शेष है। हाईस्कूल वर्ष 1980 के कुल 115000 में से 97148 प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा 17852 शेष है।

इण्टरमीडिएट वर्ष 1978 की मुख्य परीक्षा के सभी प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं । केवल पूरक परीक्षा 1978 के 1434 प्रमाण-पत्र भेजा जाना शेष है। इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1979 के 331861 प्रमाण-पत्रों में से केवल 131986 प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शेष है। इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1980 के 305000 प्रमाण-पत्र अभी तक राजकीय प्रेस, इलाहाबाद से छप कर प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिन छात्रों को अभी तक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, उन्हें सरकारी नौकरी अथवा अन्य उद्देश्यों हेतु आवश्यकतानुसार परिषद् कार्यालय द्वारा अस्थायी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं ।

शेष प्रमाण-पत्र छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु राजकीय प्रेस, इलाहाबाद से लगातार सम्पर्क स्थापित करके प्रमाण-पत्रों को मुद्रित कराया जा रहा है जिन्हें छात्रों को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(मंत्री जी द्वारा अन्य प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह गलत उत्तर पढ़ रहे हैं। यह प्रश्न 15 का उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रश्न 15 माननीय कर्नल केशरी सिंह का प्रश्न है। उसका उत्तर पढ़ें ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि 8 वर्ष तक इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों का उपलब्ध न कराया जाना गंभीर चिंता का विषय है विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनकी उम्र समाप्त हो जाती है और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पाती है । जो छात्र सेना में जाना चाहते हैं तो सेना में बोर्ड की सनद मांगते हैं और कोई प्रमाण-पत्र नहीं लेते हैं । इसलिये छात्र सेना में भर्ती होने से वंचित हो जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई तिथि निश्चित करेंगे कि इस तिथि तक सन् 80 तक के प्रमाण-पत्र दे दिये जायेंगे । दूसरी बात जो अस्थायी प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था है, उसके लिए छात्रों को हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट बोर्ड, इलाहाबाद तक दौड़कर जाना पड़ता है, उसमें धन भी व्यय होता है और परेशानी भी होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि जब तक छात्रों को बोर्ड का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, तब तक अस्थायी प्रमाण-पत्र तुरन्त उनके विद्यालय में उपलब्ध करा दिया जाय, क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

सबसे पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि इलाहाबाद तक बच्चे दौड़ कर न जाया करें । जो प्रमाण-पत्र रह गये हैं, उनके लिए आदेश हो चुके हैं कि उन्हें निकाल दिया जाय । दिनांक 1-1-86 से लेकर 28-2-87 तक की स्थिति के अनुसार दिनांक 31-12-85 को 30, 33, 932 प्रमाण-पत्रों की पैंडेंसी थी, जिसमें से 19, 25, 194 प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं और 10,19,188 प्रमाण-पत्र शेष हैं और इन्हें भी वार-फूटिंग के ऊपर तेजी के साथ काम करके निपटाया जा रहा है । यह जो कुछ प्रमाण-पत्र रह गये हैं, 1978-79 के उस समय के हैं जब कि हस्त लिखित प्रमाण-पत्र दिये जाते थे । अभी कुछ कारणों से प्रमाण-पत्र छपकर नहीं मिले हैं । जैसे ही ये प्रमाण-पत्र मिल जायेंगे, छात्रों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है, कि प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सके हैं । छात्रों को नौकरी मिलने में खिलवाड़ न हो, क्या माननीय मंत्री जी यह जो अस्थायी प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था करवा रहे हैं यह व्यवस्था क्या विद्यालय के माध्यम से करवा रहे हैं अथवा ये प्रमाण-पत्र इलाहाबाद बोर्ड पर मिलेंगे, जहां पर सौदेबाजी होती है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, कहीं पर भी सौदेबाजी नहीं होती है । ये सारे प्रमाण-पत्र स्कूल के माध्यम से बच्चों को दिये जायेंगे ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो 1979-80 में ये प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये, बोर्ड आफिस का रवैया आप जानते हैं कि जिस प्रकार से गंगा घाट पर पंडों का स्थान होता है, उसी प्रकार से इलाहाबाद बोर्ड का हाल है । मान्यवर, इलाहाबाद बोर्ड पर हजारों लोग आते हैं और परेशान होते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये प्रमाण-पत्र जो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसके विलम्ब के क्या कारण हैं । इसके लिए कौन लोग दोषी हैं । जो इस विलम्ब के दोषी हैं, उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, प्रमाण-पत्र प्रेस से छपकर न मिलने की वजह से देर हुई है और अब स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। अब कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि 1978-79-80 के इतने प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं और कुछ शेष हैं । अभी दूसरी बार माननीय मंत्री जी उत्तर देते हुए यह कह रहे हैं कि प्रेस से छपकर नहीं आये हैं, इस वजह से नहीं दिये जा सके हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राजकीय प्रेस में कोई प्रमाण-पत्र अभी छपने से शेष रह गये हैं ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष इलाहाबाद बोर्ड की करप्ट प्रैक्टिस के बारे में सदन में काफी चर्चा की गयी ।

क्या यह सच नहीं है कि एक भ्रष्ट डिप्टी डायरेक्टर, जिसके ऊपर बहुत से चार्जेज थे, उसको प्रोमोट करके वहां का सचिव बना दिया गया है, जिससे इस सदन के सदस्यों की चिन्ता बढ़ती जा रही है और किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, हाई स्कूल परीक्षा के जो 2,30,000 प्रमाण-पत्र प्रेक्षण हेतु शेष हैं, वे बाद में पूर्ण परीक्षाफलों से संबंधित हैं । कम्प्यूटर फर्म को रिप्रिंट हेतु आदेश दे दिये गये हैं । इण्टरमीडिएट परीक्षा के शेष 7',89,188 प्रमाण-पत्रों में अभी राजकीय प्रेस इलाहाबाद से 3,90,500 प्रमाण-पत्र छपकर प्राप्त होने हैं । 1,50,000 बाद में पूर्ण परीक्षाफलों से संबंधित हैं जिनके रिप्रिंट का आदेश कम्प्यूटर फार्मों को दे दिया गया है । माह नवम्बर, 1986 में प्राप्त इण्टरमीडिएट परीक्षा 1985 के 3,00,000 प्रमाण-पत्रों का प्रेषण युद्ध स्तर पर कराया गया है । इस कार्य में हाई स्कूल तथा इण्टर दोनों विभागों के सहायकगण लगाये गये हैं । मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही है, अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की अनियमितता को शासन के संज्ञान में लायेंगे तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच की जायेगी, जिनके विरुद्ध ऐसे आरोप होंगे ।

श्री सुख पाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक आदर्श इस सदन में स्थापित करेंगे ? मान्यवर, ट्रेन दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने तो लाखों छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए इस अपराध में माननीय मंत्री जी इस सदन में क्या त्यागपत्र देने की घोषणा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, इस प्रश्न का सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो मेरे कक्ष में आकर बात करें, तो मैं बताऊंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जिस तरह से यह अनियमितता हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में है उसी तरह से इस विभाग में कई अनियमितताएं इस वर्तमान समय में हैं। मान्यवर, स्क्रूटिनी के के लिए 10-10 रुपये छात्रों से जमा कराया गया है और यह परीक्षा भी होने वाली है । मान्यवर, ऐसे-ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें अनियमितता व्याप्त है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई अनियमितता होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । क्या ऐसे अधिकारी जिनके समय में स्क्रूटनी और तमाम चीजें रुकी पड़ी हैं और कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे छात्रों का नुकसान होने वाला है इसमें माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ? जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि डायरेक्टर और सचिव के रहते यह सारी अनियमितताएं हो रही हैं । तो इसमें क्या प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे देंगे तो कार्यवाही हो जायेगी । अब आप बैठें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि यहां पर जांच करने की बात नहीं है । जिन हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध

में जांच हो चुकी है और जिनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पूरे प्रान्त का सवाल पूंछिये ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । हमारे यहां धम्मौर इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में है (व्यवधान) वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा, डी0 आई0 ओ0 एस0 के द्वारा जांच हुई और आडीटर ने भी गबन का मामला पकड़ा है, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रेस से यह प्रमाण-पत्र छपने में दिक्कत होती है, इसी विभाग ने अपनी परीक्षा को विकेन्द्रीकृत किया है बनारस, मेरठ और और जगहों को, तो क्या उनको यह अधिकृत करेंगे कि तुरन्त रिजल्ट बनाते समय उनके प्रमाण-पत्र बनाकर तत्काल मार्कशीट के साथ भेज दें ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह प्रकरण जो सवाल में उठाया गया है वह 78-79 और 80 का है, इसके पश्चात विकेन्द्रीकृत हुआ है और उसमें सुविधाजनक नीति अपनायी गयी है । यह जो प्रकरण पिछला है जिसके बारे में प्रेस की बात कही गयी है ।

मथुरा-नौहझील मार्ग पर बसों की कमी

*16–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 16-5-86 को मथुरा-नौहझील मार्ग पर जनपद मथुरा में परिवहन निगम की बसों की दुर्व्यवस्था, बसों की भारी कमी व नई बसें उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस डिपो में सीमा से ज्यादा चल चुकी बसों को बदलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित-15-5-86 प्राप्त हुआ था ।

मथुरा नौहझील मार्ग पर 16-5-86 को 16 बसों का संचालन था, जिसे बढ़ाकर 21 बसों (18 नियम की तथा 3 अनुबन्धित) का कर दिया गया है । मथुरा डिपो में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार बसों के संचालन में कोई कमी नहीं आई है । मथुरा डिपो का निर्धारित संचालन 91 बसों का है । वर्तमान में 92 बसें संचालन हेतु उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां। सीमा से अधिक चली बसों को नियमानुसार संचालन से अलग कर दिया जाता है । प्रतिस्थापन के आधार पर मथुरा डिपो को 4 नई बसें दी जा चुकी हैं। इसी वित्तीय वर्ष से आगरा क्षेत्र को 20 नई गाड़ियां और देने की व्यवस्था की जा रही है । सेवा प्रबन्धक आगरा को निर्देशित कर दिया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर मथुरा

डिपो की पुरानी गाड़ियों को प्रतिस्थापित करने हेतु कार्यवाही करें ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हालांकि इनका प्रयास अच्छा रहा है लेकिन वह इतनी मन्द गति से हो रहा है कि उसका कोई विशेष फायदा नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 91 बसें उन्होंने बताई हैं उसमें से कितनी बसें निर्धारित सीमा से ज्यादा चल चुकी हैं ?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, इनमें से 10 बसें आउट डेटेड हैं और उन्हें बदलने की व्यवस्था हो रही है ।

श्री राम प्रसाद पाण्डेय –

मान्यवर, जैसी कि केन्द्र में व्यवस्था है कि परिवहन निगम की बसें 1 लाख किलो मीटर तक चलती हैं और प्रतिदिन उसे लगभग 250 किलोमीटर चलना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मथुरा डिपो की कितनी ऐसी बसें हैं जो एक लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और उनकी अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है और कितनी बसें ऐसी हैं जो 250 किलोमीटर से कम चली हैं ।

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, एक लाख किलोमीटर से ज्यादा जो बसें चल चुकी हैं, उनमें 10 बसें ऐसी हैं जो कि साढ़े चार लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं और उनके रिप्लेसमेंट की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, यह मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि बसें बस स्टैंड से चलने के बाद रास्ते में खड़ी रह जाती हैं और माननीय मंत्री जी ने जो 20 बसें देने का आश्वासन दिया है वह 20 बसें कब तक हमको मिल जायेंगी ताकि कुछ काम चल सके ।

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, उसमें से 10 बसें मिल चुकी हैं और जो 10 बसें बाकी हैं वे तीन महीने में मिल जायेंगी ।

श्री बलजीत सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो बसें दिल्ली से मथुरा, आगरा और ग्वालियर जाती हैं वे कोसी-कला और छाता बस स्टाप पर नहीं रुकती हैं और होटलों पर एक-एक घंटे खड़ी रहती हैं जिससे बस स्टेशन पर खड़ी सवारियों को बहुत परेशानी होती है । सवारियां बस स्टेशन पर खड़ी रहती हैं लेकिन बस वहां नहीं रुकती हैं । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संबंध में कोई व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे बस स्टेशन पर खड़ी सवारियों की समस्या हल हो सके ।

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, कोसी में बसों के रुकने की व्यवस्था हो गई है और छाता में रुकने के लिए निर्देशित कर दिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

प्रश्न सं0 19 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अभी बाद में इसको देख लेंगे ।

राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में एम0 एस0-सी0/एम0 कम0 की कक्षाएं खोलने की मांग

*17–श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में

एम0 एस0-सी0, एम0काम0 की कक्षाएं प्रारम्भ किए जाने के लिए प्रश्नकर्ता जनता एवं छात्र संघों द्वारा निरन्तर मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन अगले सत्र में एम0 एस0-सी0 तथा एम0 काम0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्नगत राजकीय महाविद्यालय को जुलाई 87 से एम0 काम0 कक्षाएं आरम्भ करने की क्लियरेन्स दी जा चुकी है । वर्तमान में महाविद्यालय किराए के भवन में चल रहा है वर्तमान में चल रहे विषयों के लिए ही भवन व्यवस्था अपर्याप्त है अत: एम0 एस0-सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ करना इस समय सम्भव नहीं है ।

शिक्षा विभाग में महिला शाखा में कार्यरत कनिष्ठ वेतनमान को टाइम स्केल की मांग

*18–श्री कमल किशन पाण्डे (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 वे0आ0-2-1450/दस 85 के अनुसार 10 साल की सेवा करने के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों को उस पद से उच्च पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग में महिला शाखा में कार्यरत (850–1720) कनिष्ठ वेतनमान (राजपत्रित) को भी नियमानुसार समयबद्ध वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। शासनादेश संख्या–वे0 आ0-2-1450/दस-85-सां व्या (सा)-82 दिनांक 6-11-1985 के अनुसार ऐसे नियमित कर्मचारियों, जिन्होंने पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष की निरन्तर सेवा सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है, को उक्त शासनादेश में उस पद के साधारण वेतनमान के समक्ष उल्लिखित सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतनमान) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया है। यह सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतनमान) उस पद के वेतनमान से निम्न स्तर का वेतनमान है जो उस पद से उच्च पद का स्वीकृत वेतनमान है।

शिक्षा विभाग में महिला शाखा में रुपये 850–1720 के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत यदि कोई महिला अधिकारी उक्त शासनादेश दिनांक 6-11-85 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती हो तो उसे नियमानुसार सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतन मान) अनुमन्य होगा। शिक्षा विभाग में महिला शाखा में रु0 850–1720 के कनिष्ठ वेतन मान में तदर्थ पदोन्नति से कार्यरत अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतनमान) उक्त शासनादेश दिनांक 6-11-85 के अनुसार अनुमन्य नहीं है। उन्हें चयन वेतनमान अनुमन्य कराने हेतु शिक्षा निदेशालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने की मांग

*19–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु आवंटित कई करोड़ रुपये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और सा0 नि0 वि0 के पास केवल इसलिये कई वर्षों से विभिन्न जिलों में पड़े हैं क्योंकि समय के

अन्दर निर्माण कार्य पूरे नहीं किये गये और कीमतों में भारी वृद्धि हो जाने से अवमुक्त किये गये धन द्वारा काम पूरा कराया जाना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिये तथा निर्माण कार्यों में विलम्ब करने के लिए दोषी लोगों को दण्डित करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां ।

अधूरे निर्माण कार्यों को उपलब्ध धनराशि से पूरा करने हेतु निर्माण इकाइयां सतत प्रयत्नशील हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मा0 शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि वे अधूरे कार्यों को उपलब्ध साधनों तथा धनराशि से पूरा करने हेतु प्रयत्नशील हैं तो उन्होंने क्या संसाधन निश्चित किये हैं, क्या रूपरेखा बनायी है। क्या सदन को उससे अवगत करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यह प्रकरण बहुत पुराना है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

सवाल तो नया है, आप पुराने हैं।

श्री अध्यक्ष–

सवाल करने वाला भी पुराना है, उत्तर देने वाला भी पुराना है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सन् 81 से अब तक विवरण पूछा गया कि कितना काम हो चुका । यह जो अवशेष रह गया है, उसको पूरा कराने की बात कही गयी है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

माननवर, आप ध्यान दें। यह मामला सभी मा0 सदस्यों से सम्बन्धित है । पूरा प्रदेश इससे सम्बन्धित है। जितने स्कूलों को पी0 डब्लू0 डी0 को दिया जाता है, या ग्रामीण अभियन्त्रण को दिया जाता है, वे उनका निर्माण नहीं कराते। जब कहा जाता है कि निर्माण करायें तो कह देते हैं कि अब दाम बढ़ गये हैं ईंटों का और सामानों का दाम बढ़ जाता है और स्कूल अधूरे रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में क्या मंत्री जी कोई स्पष्ट घोषणा करेंगे कि स्कूल कैसे बनेंगे और कब तक बन जायेंगे।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जो आर0 इ0 एस0 या पी0 डब्लू0 डी0 के पास स्कूल अवशेष हैं और जो धन उनके पास उपलब्ध है, उनसे कहा गया है कि जितने स्कूल पूरे हो सकें उनको पूरा कर दें।

श्री पूरन सिंह माहरा–

माननवर, यह सारे प्रदेश का मामला है। सभी विधायक इससे सम्बन्धित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आर0 इ0 एस0 और सा0 नि0 वि0 के पास जितने स्कूल बचे हैं जिनको बनाना है। जो स्कूल बच गये हैं क्या उनको पूरा करने के लिये सरकार और धन देगी या उन अधिकारियों को दण्डित करके वसूली करके उनको पूरा कराया जायेगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

ग्रामीण अभियन्त्रण को जो स्कूल बनाने थे वह इस प्रकार हैं। कुल स्कूल बनाने थे प्राइमरी 5,972, कुल [illegible] राशि जो दी गई 21 करोड़ 57 [illegible] 37 हजार 80 रुपये, कुल स्कूल [illegible] 3 हजार, 382 अधूरे हैं [illegible] जूनियर हाई स्कूल के भवन [illegible] 1 हजार 537 धनराशि दी गयी 17 करोड़, 10 लाख 61,212 स्कूल बने

678 अधूरे हैं 859 सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मंत्री जी को जबाब नहीं देने दे रहे हैं।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से दो बात जानना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि 15-15 साल से यह विद्यालय पेंडिंग में हैं, छोटे-छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे गर्मी, सर्दी में बैठकर पढ़ते हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई समयबद्ध कार्यक्रम बतायेंगे कि फलां तारीख तक सब पूरे कर दिये जायेंगे । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय समय से नहीं बन पाये और उनकी लागत 50 हजार की जगह डेढ़ लाख हो गई, जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं, उनको दण्डित करने का कोई प्राविधान मंत्री जी करेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जहां तक अवधि का सम्बन्ध है अब ऐसे निर्देश कर दिए गए हैं कि जिस बजट साल का पैसा होगा उसी साल भवन बन जायेगा । अगर कोई इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसकी जांच की जायेगी कि क्यों समय से पूरा नहीं हुआ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों तक मोटर मार्ग है, उनके लिए भी उतना रुपया और तीस मील दूर पैदल चलकर जहां सीमेन्ट और सामान पहुंचता है, उनको भी वही रुपया दिया जाता है । जब इनकी लागत अधिक होती है । क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवस्था करेंगे ताकि यह विसंगति दूर हो ? क्योंकि पहाड़ में बड़ी कठिनाई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

डेढ़ किलोमीटर एरिया के अन्दर प्राइमरी पाठशाला बनने की व्यवस्था है । आबादी तीन सौ से कम नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे तो सुनिए, आप लोग बैठ जायं। इस प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों की रुचि है और परेशानी भी है, इसलिए मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को पढ़ाने की व्यवस्था

*20–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 6 वर्ष से कम की आयु वाले शिशुओं को भी पढ़ाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, विचार किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में सरकारी बालक/बालिकाओं की कुल प्राथमिक पाठशालायें

1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में कितनी सरकारी बालक-बालिकाओं की प्राथमिक पाठशालायें कहां-कहां चल रही हैं और उनमें से कौन-कौन सी सरकारी भवनों में तथा

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 19 श्री सुखपाल पाण्डे की रुचि पर लिया गया।

कौन-कौन सी गैर सरकारी भवनों में हैं तथा कितने भवनों की हालत खराब है ?

श्री सिब्ते रजी–

इलाहाबाद में सरकारी बालक/बालिकाओं की प्राथमिक पाठशालाएं नहीं चल रही हैं ।

जनपद इलाहाबाद में 82-85 में खोले गये जूनियर प्राइमरी स्कूल

2–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति पर वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में कौन-कौन से जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं इनमें से सभी के लिए स्वीकृत किस-किस विद्यालय के भवन बन गए हैं तथा किन-किन विद्यालयों के भवन नहीं निर्मित हो सके हैं ? निर्मित न करा सकने वाले कौन-कौन से निर्माण विभाग हैं ? इन अनिर्मित विद्यालयों का निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

अपेक्षित सूचना संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण ईकाई से भवनों को यथाशीघ्र निर्मित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 106 पर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाराबंकी में वर्ष 1982 में हुई नियुक्तियां

3–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

द्वितीय सत्र 85 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कुल 13 नियुक्तियों हेतु कोई लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा (रिटेन काम्पेटीटिव इक्जामिनेशन) ली गयी थी? क्या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा समिति में क्या एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी नामित किया गया था ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

जी हां, रिक्तियां विज्ञापित की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन में भेद

4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब शासनादेश नं0 5355/3133-1962 दि0 17-12-65 के द्वारा प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेतर समस्त कर्मचारियों को 1-10-64 से लाभत्रयी योजना का लाभ स्वीकृत किया गया था, तो शासनादेश नं0 9777/(2)/15-79-(ग)-(7)-79 दिनांक लखनऊ 18-4-80 के अंतर्गत सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों को देय दरों से पेंशन देने के संबंध में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में यह भेद क्यों किया गया कि 28-4-80 के शासनादेश द्वारा शिक्षक कर्मचारियों को 1-4-79 से राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन स्वीकृत की गयी किन्तु यही सुविधा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश नं0 11-7235/15-82(1)-31151/80 दिनांक 18-1-1983 के अन्तर्गत सितम्बर, 1982 से स्वीकृत की गयी ? यदि हां, तो क्या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी शिक्षक

कर्मचारियों के समान राजकीय दर से पेंशन की सुविधा दिनांक 1-4-79 से देना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां,

शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी भिन्न-भिन्न सेवा वर्ग के हैं । इस कारण पेंशन की सुविधा इन दोनों वर्गों को अलग-अलग तिथि से दी गई ।

ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रेम महाविद्यालय इण्टर कालेज वृन्दावन, मथुरा में मानक से अधिक अध्यापक

5–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा संस्थापित प्रेम महाविद्यालय इण्टर कालेज वृन्दावन (मथुरा) में छात्र संख्या की तुलना में अध्यापकों की संख्या अधिक है और विद्यालय में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इस शिक्षण संस्था के सुधार हेतु कोई योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अनुशासन के बारे में शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है।

जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा द्वारा दिनांक 26-12-86 को संस्था का निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप मानक से अधिक पाये गये अध्यापकों का समायोजन नियमानुसार करने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

श्री हीरा बल्लभ पाठक, शिल्प शिक्षक को सेवा में न लेने का प्रकरण

6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री हीरा बल्लभ पाठक ग्राम करालाविवाली पत्रा0 संगोड़ा, बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ को शिल्प शिक्षक (कताई बुनाई) वेतन-क्रम सी0 टी0 के पद पर दिनांक 12-8-61 को रा0 दीक्षा विद्यालय टेहरी में नियुक्ति दी गई थी एवं उन्हें 1970 में स्थाई कर दिया गया था? यदि हां, तो अप्रैल, 1972 में मानसिक रूप से अस्वस्थ्य तथा जनवरी 1979 में उपचारोपरान्त स्वस्थ्य होने, अपने सभी देय जमा करने, वांछित अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी दिनांक 25-1-80 को विद्यालय में श्री पाठक को सेवा में उपस्थित न होने देने तथा दिनांक 23-2-80 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) को स्वस्थता प्रमाण पत्र सहित नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद भी उक्त श्री पाठक को सेवा में न लिए जाने के क्या कारण है? क्या सरकार उनकी नियुक्ति हेतु अविलम्ब निर्णय लेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

छः वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण ।

शिक्षा निदेशालय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को विचारोपरान्त नियमान्तर्गत निर्णय लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक पथिक इण्टर कालेज साढ़, कानपुर का वेतन मान

7–श्री भगौती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी जो पथिक इण्टर कालेज साढ़, जनपद कानपुर के प्रधानाध्यपक थे एवं जिनका वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 13-11-81 को 865 रु0 निर्धारित किया गया था, बिना प्रबन्धतंत्र के प्रस्ताव के 13-11-85 को उनका वेतन 1300 रु0 किस नियम के अंतर्गत निर्धारित कर दिया ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी का हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के वेतनमान रु0 450-950 में 13-11-81 को रु0 865/- नहीं वरन् 665 रु0 निर्धारित किया गया जो कि पुनरीक्षित वेतनमान रु0 770-1600 में 1050 रु0 के स्तर पर आता है। उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 19-3-84 द्वारा वे इण्टर मीडिएट के प्रधानाचार्य नहीं मान्य किये गये ।

इसी बीच श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-1-85 में इण्टर मीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य का वेतन देने की मान्यता प्रदान कर दी । अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री त्रिपाठी, जो 770-1600 रु0 के वेतनक्रम में रु0 1200 पा रहे थे, का इण्टर के प्रधानाचार्य के वेतनक्रम 850–1720 रु0 में 1250 रु0 के स्तर पर दिनांक 1-1-85 को वेतन निर्धारित किया गया । श्री त्रिपाठी को अभी तक 1300 रु0 वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

किसान इण्टर कालेज बभनान, बस्ती का गोण्डा में स्थानान्तरण की मांग

8–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, बभनान, जिला बस्ती का भवन ग्राम करनपुर, तह0 उतरौला, जिला गोण्डा में स्थित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने उक्त विद्यालय का बस्ती जिले से स्थानान्तरण जिला गोण्डा में करने की संस्तुति शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को भेज दी है ? यदि हां, तो उक्त संस्तुति के आधार पर किसान इण्टर कालेज, बभनान, जिला बस्ती का स्थानान्तरण जिला गोण्डा में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

हां ।

नहीं ।

अधिनियम में विद्यालय के एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

लखनऊ में गैर परिषदीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की योग्यता

9–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गैर परिषदीय मान्यता प्राप्त कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक पद हेतु वांछित प्रशिक्षित स्नातक योग्यता का ध्यान न देकर, उसमें कम योग्यता के लोगों को प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई है?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई विद्यालय नहीं है।

विश्वनाथ इण्टर कालेज, कलान, सुलतानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही

10—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विश्वनाथ इण्टर कालेज, कलान (सुलतानपुर के प्रबन्धक ने विद्यालय के निर्माण के लिए मंगाई गई सामग्री ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपना निजी भवन निर्माण के लिए चुरा कर ले जाने तथा प्रबन्धक का फर्जी हस्ताक्षर बनाने की कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को दिनांक 21-8-83 को तथा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को 12-9-83 को दी थी? यदि हां, तो इस संबंध में प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक/जिला अधिकारी सुल्तानपुर से जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को 17-2-87 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। वैसे कथित शिकायतों तथा अन्य शिकायतों के सन्दर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच की जा रही है।

विश्वनाथ इण्टर कालेज, कलान, सुलतानपुर के अभिलेखों का विशेष आडिट

11—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में श्री विश्वनाथ इण्टर कालेज, कलान में अभिलेखों की जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद कार्यालय की जांच इकाई द्वारा जुलाई, 1984 में की गई थी और विशेष आडिट में वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के अभिलेखों में विशेष आडिट में कई लाख रुपये का गबन और अनियमितायें पाई गई हैं? इस संबंध में श्री राम आसरे विधायक ने दिनांक 4-9-85 को शिक्षा मंत्री जी को कोई शिकायती पत्र लिखा है जिस पर शिक्षा निदेशक एवम् मण्डल फैजाबाद को उक्त विद्यालय के अभिलेखों को सील करके प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और प्रमुख शिकायतों तथा अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी हां।

रु0 267800.93 पै0 का अनधिकृत व्यय/गबन एवं व्ययाधिक्य का मामला प्रकाश में आया है।

जी हां । अभिलेखों के सील करने के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित आदेश की शिक्षा निदेशक से पुष्टि कराई जा रही है।

प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं:—

1. विद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री भोला नाथ सिंह द्वारा भ्रष्टाचार।

2. रु0 2,67,800/- के गबन एवं आर्थिक अनियमितता का विद्यमान होना।

3. बाउचर्स फर्जी होना।

4. रोकड़ बही संदिग्ध होना।

इस समय विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर ने प्रधानाचार्य को सारे वांछित अभिलेख सतर्कता विभाग को सौंप देने तथा जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, रनीवा, फैजाबाद में श्री राम तीर्थ यादव प्रवक्ता भूगोल को योगदान न कराया जाना

12–रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में श्री राम कृष्ण जायसवाल जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद के आदेश सं0 शि0 स0-2/85-86 दिनांक 16 जनवरी, 1986 के बावजूद ग्राम स्वावलम्बी इण्टर कालेज, रनीवा, फैजाबाद के प्रधानाचार्य और प्रबन्धक ने श्री रामतीर्थ यादव आरक्षित समूह अध्यापक (प्रवक्ता भूगोल) को दिनांक 20-1-86 को कार्यभार ग्रहण कराने से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया जिसकी लिखित सूचना उक्त श्री रामतीर्थ यादव ने 20-1-86 को ही जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को दिया है? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन न करने पर विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही करने और उक्त अध्यापक को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

प्रवक्ता भूगोल के पद के प्रति इसी संस्था के सहायक अध्यापक श्री राम बहोर मिश्र ने अपने को प्रवक्ता भूगोल के पद पर तदर्थ नियुक्ति बताकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में याचिका संख्या 202/1986 दायर किया है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16-1-86 का तथा 4-3-86 के कारण प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के पत्र दिनांक 9-6-86 द्वारा श्री रामतीर्थ यादव आरक्षित समूह अध्यापक को बस्ती जनपद में आमेलित किया जा चुका है।

श्री शंकर सरन परिचारक बेसली इण्टर कालेज, आजमगढ़ की सेवा मुक्ति

13–श्री विष्णु देव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर सरन मु0 कटरा मकान नं0 49 आजमगढ़ 19-7-82 से बेसली इण्टर कालेज, आजमगढ़ में परिचारक के पद पर नियुक्त थे और उन्हें 30-3-70 को सेवा-मुक्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़, उप शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर को अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ ने अपने पत्रांक सी/7810 दिनांक 14-6-79 व अपने पत्रांक शिविर/1/3216/73-74 दिनांक 26-9-73 तथा उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर ने दिनांक 6-11-71 व पत्रांक शिविर/2127/72-73 दिनांक 16-2-72 व पत्रांक सी/85/21-22 दिनांक 5-3-74 व पत्रांक सा/546-47/77-78 के अनुसार प्रबन्ध समिति को उन्हें पद भार ग्रहण कराने तथा वेतन भुगतान कराने का आदेश दिया परन्तु आज तक उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर व जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश का कार्यान्वयन नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री शंकर सरन दिनांक 19-7-82 से नहीं अपितु 19-7-62 से संस्था में नियुक्त थे और गंभीर आरोपों के कारण उन्हें संस्थाधिकारी द्वारा दिनांक 30-3-70 को सेवा मुक्त कर दिया गया।

जी हां।

प्रबन्ध तंत्र द्वारा आदेशों को न माने जाने के कारण उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका विद्यालय अल्पसंख्यक संस्था है। श्री शंकर सरन ने माननीय उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में रिट याचिका सं0 3240/86-ए दायर कर रखी है जो लम्बित है।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाराबंकी में इण्डाउमेंट की भूमि

14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर स्कूल, बाराबंकी में हाई स्कूल की मान्यता के समय कितनी भूमि इण्डाउमेंट के रूप में दिखलायी गयी और दिनांक 1-11-1985 को कितनी भूमि इण्डाउमेंट के रूप में थी ? यदि इण्डाउमेंट की भूमि समाप्त या कम हो गयी है, तो इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यता के समय 15 बीघा, 16 बिस्वा, 17 बिस्वांसी भूमि इण्डाउमेंट के रूप में दिखलायी गयी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भूमि में से कुछ भूमि सीलिंग में चली गयी है। तहसीलदार, बाराबंकी तथा प्रधानाचार्या द्वारा बतायी गई सीलिंग में गयी भूमि की माप में भिन्नता होने के कारण यह जांच करायी जा रही है कि वास्तव में कितनी भूमि सीलिंग में गई है। सीलिंग में गई भूमि को मुक्त कराने हेतु नियुक्त अधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी में वर्ष 1984 में वाद दायर कर दिया गया है, जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

मास्टर मुमताज अहमद, जू0 हा0 स्कूल जहनियापुर, आजमगढ़ का बकाया वेतन

15—श्री मो0 मसूद खां—

क्या मा0 शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर मुमताज अहमद निवासी ग्राम कोइलाड़ी ब्लाक मोहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ जो इस समय जू0 हा0 स्कूल जहनियापुर, ब्लाक मुहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ में कार्यरत है, का अगस्त, सन् 78 का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्होंने उस वेतन बकाया के भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यलय में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अध्यापक का माह अगस्त, 1978 का बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

श्री राम सहाय मिश्र, प्रधानाध्यापक के त्याग पत्र का प्रकरण

16—श्री बलराम यादव, श्री राम सागर तथा श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पांचवें सोमवार को निर्धारित श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम शरण दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया है कि प्रश्नगत विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राम सहाय मिश्र के अपने पद से त्याग-पत्र देने के उपरान्त श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो विधान सभा प्रथम सत्र 86 के चौथे सोमवार को निर्धारित श्री शारदानन्द अंचल के अतारांकित प्रश्न-17 के परिप्रेक्ष्य में श्री मिश्र का त्याग पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में शिक्षा मंत्री जी

के यह कहने का क्या औचित्य है कि संस्था प्रबन्धक के कथनानुसार विद्यालय में श्री मिश्र का त्याग-पत्र उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार इस संबंध में श्री राम सहायक मिश्र के साक्ष्य तथा बयान लेकर इसका निस्तारण करायेगी कि वे दिनांक 15-7-76 अथवा उसके बाद आज तक अपने पद से त्याग पत्र दिये हैं अथवा नहीं ? यदि दिये हैं तो कब और यदि नहीं, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा संस्था के प्रधानाध्यापक के संरक्षण देते हुए इतनी झूठी आख्या शासन को भेजकर सदन को गुमराह करने के आरोप में उनके विरुद्ध आज तक कठोर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्नगत त्याग पत्र तत्कालीन विद्यालय प्रबन्धक स्वर्गीय श्री राम चन्द्र आजाद के कार्यकाल का था । वर्तमान विद्यालय प्रबन्धक द्वारा यह सूचित किया गया कि उक्त त्याग पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं है । अतः इसी आधार पर पूर्व में यह कहा गया था कि त्याग पत्र उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में श्री राम सहाय मिश्र को साक्ष्य तथा बयान हेतु लिखा गया है। जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

अतरौलिया, आजमगढ़ में बस स्टेशन निर्माण

17–श्री बलराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत अतरौलिया बस स्टेशन के निर्माण हेतु लगभग एक बीघा जमीन दान के रूप में दी गई है ? यदि हां तो अब तक बस स्टेशन निर्माण न कराये जाने का कारण क्या है?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित भूमि पर बस स्टेशन के निर्माण के अन्तर्गत यात्रियों के बैठने एवं प्रतीक्षा करने हेतु एक शेड तथा इसी शेड के साथ एक बुकिंग कक्ष के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्माण-कार्य प्रगति में है ।

शाहगंज–अतरौलिया मार्ग पर बस सेवा

18–श्री बलराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत शाहगंज अतरौलिया बस सेवा जो पिछले 20 वर्षों से चल रही थी विभागीय अधिकारियों द्वारा रोक दी गयी है ? यदि हां, तो इस जन विरोधी कार्य करने वाले अधिकारियों की जांच कराकर दण्डित करायेंगे तथा उक्त बस सेवा अविलम्ब शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

19–श्री निहाला सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में जहां पर छात्र संख्या एक हजार से कम है वहां व्यायाम शिक्षक रखने कि अनुमति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए व्यायाम शिक्षक रखने की अनुमति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्बद्ध महाविद्यालयों में व्यायाम शिक्षक का अब कोई पद सृजित नहीं है और न सृजित किया जाना है । वर्तमान में

महाविद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद हैं। इस पद के सृजन हेतु मानक निर्धारित है । निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ही इस पद का सृजन संभव हो सकेगा ।

छाता इण्टर कालेज, छाता, फतेहपुर के सेवानिवृत प्रधानाचार्य श्री राम जी दास की पेंशन

20—श्री अचल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में छाता इण्टर कालेज छाता के प्रधानाचार्य श्री राम जी दास दिनांक 30 जून, 1985 को अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु अभी तक उनकी पेंशन का निर्धारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो पेंशन निर्धारण में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

श्री राम जी दास द्वारा अपूर्ण पेंशन पत्रजात प्रस्तुत किये गये । आपत्तियों के निराकरण हेतु उन्हें लौटाया गया । जिला विद्यालय निरीक्षक की सूचना के अनुसार प्रबन्धकीय अंशदान जमा न होने के कारण श्री दास नवीन पेंशन पाने के अधिकारी नहीं हैं । साथ ही उन पर अपहरण एवं अधिक वेतन आहरित करने का आरोप है । श्री दास ने अपने पेंशन रूप प्रकरण पर एक समादेश याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त उनके पेंशन प्रकरण पर विचार करना संभव होगा ।

जनपद फैजाबाद की अलियाबाद, मियामऊ और रेना की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों का अनुपात

21—श्री अचल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के बेसिक प्राइमरी पाठशाला अलियाबाद, मियामऊ तथा रेना में कितने-कितने छात्र किस-किस कक्षा में पढ़ने आते हैं और उक्त सभी स्कूल में पिछले कई वर्षों से कितने अध्यापक अध्यापन का कार्य करते आ रहे हैं ? क्या छात्रों की संख्या को देखकर और अध्यापक नियुक्त करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

फतेहपुर जनपद में रेना नाम का कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है । अलियाबाद तथा मियामऊ प्राइमरी पाठशाला में छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या निम्नवत है :—

विद्यालय का नाम	कक्षा	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1—अलियाबाद	1	27	
	2	33	3
	3	30	अध्यापक
	4	21	
	5	12	
	योग	123	
2—मिया मऊ			
	1	22	
	2	39	4
	3	63	अध्यापक
	4	30	
	5	22	
	योग	176	

अध्यापक निर्धारित मानक के अनुसार है । अतः और अध्यापक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर द्वारा विभिन्न मार्गों पर प्राइवेट बस स्वामियों को अनुज्ञा पत्र

22—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर क्षेत्र कानपुर के पत्र संख्या 1033/आर0 टी0 ए0/विज्ञप्ति/86 दिनांक 18-10-86 के सम्बन्ध में विभिन्न मार्गों पर प्राइवेट बस स्वामियों को कब तक स्थायी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र प्रदान कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर के कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1033/आर0 टी0 ए0/विज्ञप्ति/86, द्वारा आमंत्रित अनुज्ञा-पत्र हेतु, प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर, इन प्रार्थना-पत्रों के राजकीय गजट में प्रकाशित होने के बाद किसी निर्धारित तिथि को विचार करेगी। अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने का अधिकार संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर को ही है।

प्राइवेट बस स्वामियों को परमिट देने में सरल नीति की मांग

23—ब्रह्म दत्त द्विववेदी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बढ़ती हुई भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु शासन पुनः प्राइवेट बस स्वामियों को जारी किये जाने वाले परमिटों में सरल नीति अपनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ करने के लिये समय-समय, पर प्राइवेट बसों भी, आवश्यकतानुसार, अनुबन्धन में ली जाती है।

संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर कार्यालय में स्थायी स्टेज कैरिज हेतु कुल जमा अनुज्ञा आवेदन पत्र

24—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1986 में कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर क्षेत्र कानपुर द्वारा विभिन्न मार्गों पर उपलब्ध रिक्तियों की पूर्ति हेतु स्थायी स्टेज कैरिज अनुज्ञा पत्र आवेदन आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक कुल कितने आवेदन पत्र विभिन्न मार्गों हेतु कार्यालय में जमा किए गए ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि फर्रुखाबाद हरपालपुर वाया अल्लागंज व फर्रुखाबाद जरिमनपुर वाया अमृतपुर मार्गों हेतु अलग-अलग कुल कितने आवेदन पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर के कार्यालय में अन्तिम तिथि तक जमा कराये गये ?

डा0 संजय सिंह—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि 31-10-86 तक कुल 1584 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

फर्रुखाबाद-हरपालपुर वाया अल्लागंज मार्ग पर 22 आवेदन पत्र तथा फर्रुखाबाद जरिमनपुर वाया अमृतपुर मार्ग पर 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।

स्वतन्त्र भारत इण्टर कालेज, तुलसीपुर गोण्डा में जीव विज्ञान अध्ययन की मांग

25—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तुलसीपुर क्षेत्र के थारू जनजातीय बच्चों को इण्टर में जीव विज्ञान अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-3-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,

तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? श्री सिब्ते रजी?

संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है स्वतंत्र भारत इन्टर कालेज, तुलसीपुर, गोण्डा को इन्टर वैज्ञानिक वर्ग के अन्तर्गत जीव विज्ञान अतिरिक्त विषय मान्यता वर्ष 1985 की परीक्षा से प्रदान करने हेतु परिषद् का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था, जो कतिपय कमियों (मुख्यत: भवन की कमी आदि) के कारण शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया ।

1981 में वाराणसी रीजन में कण्डक्टर पर चयनित मुंशराज की नियुक्ति ना होना

26–हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981 में वाराणसी रीजन में चयनित कण्डक्टरों की सूची से अब तक कितने लोग सेवा कार्य में लिये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-6-86 मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

डा0 संजय सिंह–

वर्ष 1981 में वाराणसी रीजन में परिचालकों की कोई सूची नहीं बनायी गयी थी, अत: किसी को सेवा कार्य में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-6-86 प्राप्त न होकर दिनांक 27-6-86 को प्राप्त हुआ है ।

श्री मुंशराज का नाम वर्ष 1982 को परिचालक प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-30 पर था । परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 के प्रतीक्षा सूची परिचालकों के संबंध में केवल निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर सेवा-योजित करने का निर्णय लिया गया था :–

1–जिन्होंने 240 दिन से अधिक कार्य किया है ।

2–जिन्होंने 240 दिन से कम कार्य किया है ।

3–जिन्होंने एक भी दिन कार्य नहीं किया है, परन्तु प्रशिक्षण प्राप्त कर सिक्योटीं जमा की है

चूंकि श्री मूंशराज उपर वर्णित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, अतएव उनको निगम द्वारा सेवायोजित किया जाना संभव नहीं हो सका ।

स्व0 मोहनी कुमार सक्सेना, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बरेली के बकाया भुगतान

27–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री मोहनी कुमार सक्सेना, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बरेली में वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पद पर कार्यरत थे, का देहान्त दिनांक 17-3-86 को हो गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी पत्नी को अभी तक बोनस ग्रेच्युटी आदि का भुगतान न होने एवं उनके स्थान पर उनकी पत्नी की नियुक्ति न होने के क्या कारण है ? क्या मंत्री जी स्व0 मोहनी कुमार सक्सेना के स्थान पर उनके पुत्र या उनकी पत्नी की नियुक्ति करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

स्व0 श्री मोहनी कुमार सक्सेना की पत्नी को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान दिया गया है।

स्व0 श्री सक्सेना की पत्नी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजकीय कन्या

दीक्षा विद्यालय में की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन डिपो अलीगढ़ में नई बसों की व्यवस्था

28—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन डिपो अलीगढ़ में बसों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी बसें कार्यशाला में खराब पड़ी है तथा कितनी रोड पर चल रही है ? क्या नई बसों की व्यवस्था करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

परिवहन डिपो अलीगढ़ में कुल 121 बसें है। इनमें से 12 बसें कार्यशाला में खराब है तथा 109 बसें रोड पर चल रही है ।

माह अक्टूबर 1986 तक अलीगढ़ क्षेत्र को 44 नई बसों की व्यवस्था करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु 86 में प्राप्त आवेदन पत्र

29—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में वर्ष 86-87 हेतु बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण के लिए 8 जून, 86 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

श्री सिब्ते रजी—

केवल 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये।

साधौलाल कन्या विद्यालय, छाता, मथुरा को इण्टर मीडिएट की मान्यता

30—श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधौलाल कन्या विद्यालय छाता जिला मथुरा को इण्टरमीडिएट मान्यता के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा शिक्षा मंत्री को वर्ष 85-86 में अनेक पत्र लिखने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्न कर्ता द्वारा लिखित दो पत्र प्राप्त हुए है जो क्रमश: दिनांक रहित और 3-9-86 है। प्रश्नगत विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता कतिपय कमियों (मुख्यत: विद्यालय भवन में 10 कमरों की कमी, छात्र संख्या की न्यूनता एवं क्रीड़ा स्थल की अनुपलब्धता आदि) के कारण परिषद् स्तर से ही अस्वीकार कर दी गई थी। यह स्थिति संदर्भगत पत्र प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् से आख्या प्राप्त होने पर ज्ञात हुई।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के विरुद्ध जांच

31—श्री रमेश यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच तत्कालीन सहायक शिक्षा निदेशक श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 5-8-85 को की गई थी एवं जांच में आरोप सत्य पाये गये थे तथा इसी संबंध में प्रश्नकर्ता का भी पत्र दिनांक 26-8-86 उन्हें मिला है? यदि हां, तो पूर्व जांच के परिणामों एवं प्रश्नकर्ता के पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही कब तक की जायगी?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव सहायक

शिक्षा निदेशक से कराई गयी थी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर श्री शत्रुघन प्रसाद मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा को भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी दे दी गयी है। इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-8-86 प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसे किसी पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महन्त सिंह, भू0 पू0 प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल कोयरोपुर विकास खंड प्रतापपुर कमैचा, सुल्तानपुर के विरुद्ध कार्यवाही

32—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्त सिंह, भू0 पू0 प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल कोयरोपुर, विकास खण्ड प्रतापपुर, कमैंचा, सुल्तानपुर दिनांक 30-6-80 को सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् भी विद्यालय के धातु, लकड़ी, पुस्तक, स्काउट फण्ड, कला फण्ड, जूनियर रेडक्रास फण्ड, क्रीड़ा फण्ड, विज्ञान फण्ड, विकास फण्ड, दीनछात्र कोष, कन्टीजेन्सी फण्ड, कृषि फण्ड आदि सारी सामग्री का बिना चार्ज दिए हुए स्टाक बुक के साथ गायब हो गए हैं और शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान पड़ने के कारण परगना मजिस्ट्रेट कादीपुर तथा तहसीलदार कादीपुर तथा पुलिस की देख-रेख में विद्यालय का ताला तुड़वाकर चार्ज दिया गया? क्या इसके सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व माननीय मुख्य मंत्री व जिला अधिकारी को वर्तमान प्रधानाध्यापक ने आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति की है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी हां, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, जिला अधिकारी सुल्तानपुर एवं थानाध्यक्ष लम्भुआ को प्रधान अध्यापक द्वारा सूचना दी गई है। मा0 मुख्य मंत्री जी को सूचना देने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के यहां कोई जानकारी नहीं है।

प्रकरण पुलिस की विवेचना में है संबंधित अध्यापक को अदेय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और विभागीय जांच भी कराई जा रही है।

वर्ष 85 में अनुसूचित जाति के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति

33—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1985 में राजपत्रित पद पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति में कितने स्थानों पर अनुसूचित जाति के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति हुई है ? क्या अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, तीन स्थानों पर अनुसूचित जाति के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई है।

जी नहीं।

अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार तिवारी की संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय डोली सरैया गदैपुर, फैजाबाद में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति

34—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय इण्टर कालेज, रामगंज, फैजाबाद के सहायक अध्यापक (सी0 टी0 ग्रेड) श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने अपने उपरोक्त पद से त्याग-पत्र दे दिया और वे

मान्यता प्राप्त संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय डोली सरैया गदौपुर, फैजाबाद के अनुमोदित प्रधानाध्यापक हो गए हैं ? यदि हां, तो उन्होंने त्याग पत्र किस सत्र में दिया और कब से संजय स्मारक उपरोक्त विद्यालय के अनुमोदित प्रधानाध्यापक हुए?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उन्होंने त्याग पत्र सन् 1985-86 में दिया और 27-3-85 से कथित विद्यालय के अनुमोदित प्रधानाध्यापक हुए ।

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति

35–श्री मनेजर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में प्राचार्य के पद पर किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो नियुक्ति की अवधि तथा उसके विपरीत वेतन भुगतान की वैधानिक स्थिति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (12) की व्यवस्था के अनुसार अनुमोदनोपरान्त प्रतिनियुक्ति की गई है । प्रतिनियुक्ति की अवधि त्रिपुरा सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है । दिनांक 14-5-86 से एक वर्ष की अवधि पुनः बढ़ाई गई है, इसलिए वेतन भुगतान नियमानुसार है ।

लखनऊ के कैसरबाग व चारबाग बस डिपो में औसतन टिकट बिक्री व यात्रियों की संख्या

36–श्री भगौती सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ के कैसरबाग तथा चारबाग बस डिपो से क्रमशः औसतन प्रतिदिन कितने-कितने यात्री यात्रा करते हैं तथा कितने-कितने रुपए के टिकट बिकते हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 3, 4 तथा 5 अप्रैल, 86 को उपरोक्त दोनों बस डिपो से कुल कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा किया और कुल कितने-कितने रुपए के टिकट बेचे गए ?

डा0 संजय सिंह–

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग तथा चारबाग डिपो से क्रमशः औसतन 3500 तथा 4000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं तथा क्रमशः रुपया 28,000/- एवं रुपया 36,000/- के औसतन टिकट बिकते हैं ।

दिनांक 3, 4 तथा 5 अप्रैल, 86 को कैसरबाग डिपो से क्रमशः 3826, 3420 एवं 3504 यात्रियों ने यात्रा की तथा क्रमशः रुपया 29,614.65 पैसे के 26,726-70 पैसे एवं रु0 28,481-55 पैसे के टिकट बेचे गए तथा चारबाग डिपो से क्रमशः 4257, 4346, 4064 यात्रियों ने यात्रा की व क्रमशः रु0 40,102-70 पैसे, रुपया 36,348-35 पैसे एवं रु0 33,301-15 पैसे के टिकट बेचे गए ।

रतनसेन महाविद्यालय, बासी, बस्ती की पंजीकृत नियमावली

37– श्री अशोक बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन महाविद्यालय बांसी जनपद बस्ती की कोई पंजीकृत नियमावली है? यदि हां, तो उसकी पंजीयन संख्या व वर्तमान नवीनीकरण संख्या क्या है ? क्या शासन नियमावली की प्रमाणित प्रति सदन

के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जीवन चन्द्र जोशी वर्ष 83 के हाईस्कूल अनुक्रमांक 239058 की छात्रवृत्ति

38–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एच0 बी0 जोशी, 634 तिवारी गार्डन, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 21-5-85, 27-5-85 एवं पंजीकृत पत्र सं0 4061 दिनांक 25-11-83 तथा पत्र नं0 4227 दिनांक 19-2-85 जो कि उनके पुत्र श्री जीवन चन्द्र जोशी वर्ष 83 के हाईस्कूल अनुक्रमांक 2390-58 की राष्ट्रीय छात्र वृत्ति दिलाये जाने के बाबत था, शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद का मिला है ? यदि हां, तो उक्त छात्र को सम्पूर्ण छात्रवृत्ति दे दी गई है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

उपर्युक्त छात्र को 16/- रु0 प्रतिमाह की दर से एक छात्रवृत्ति पहले से ही मिल रही थी । नियमानुसार किसी छात्र को एक से अधिक छात्रवृत्ति देने का प्राविधान नहीं है ।

उक्त छात्र को रु0 60/- प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय छात्र वृत्ति दिनांक 21-2-87 को स्वीकृत कर दी गई है । चूंकि दो छात्रवृत्तियां एक साथ कर दी गई है । चूंकि दो छात्रवृत्तियां एक साथ अनुमन्य नहीं है अतः शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के भुगतान की देय तिथि से जो छात्रवृत्ति रु0 16/- प्रतिमाह की दर से दी गई है उसका समायोजन कर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैदानी जनपदों के असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त सी0 बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की ली गयी परीक्षा तथा उत्तीर्ण अध्यापकों को लाभ

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 शिक्षा अर्थ (4) अनुभाग इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (4)/466-585/दस पी (22) 1982-83 दिनांक 20 अप्रैल, 1983 (विषय-छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मैदानी जनपदों के असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान) की कंटिका 11 में जिस कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा का उल्लेख किया गया है तथा जो 28 फरवरी, 83 से आयोजित हुई थी उसका परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ तथा इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लाभ वेतन स्थरीकरण में कार्यरत अध्यापकों को किस तिथि से मिलेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा निदेशक (बेसिक) की सूचना के अनुसार परीक्षाफल 3-9-1983 को घोषित किया गया था । इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुये शिक्षकों को इसका लाभ परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से प्राप्त होगा ।

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त के संदर्भ में 10 वर्ष से अधिक के कार्यरत अध्यापकों को जिस प्रकार 1-7-78 से लाभ दिया गया है उसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम

वाले कार्यरत अध्यापकों को भी 1-7-78 से लाभ दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

श्री मंजूर अहमद लिपिक सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

41–श्री हाजी मो0 हयात–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-7-85 को एक शिकायती पत्र मंजूर अहमद लिपिक सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के विरुद्ध श्री महमूद अहमद भू0 पू0 सदस्य नगर पालिका अमरोहा द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के चेयरमैन को दिया गया था ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थी तथा उन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

उ0 प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महमूद अहमद, भू0 पू0 सदस्य नगर पालिका, अमरोहा का शिकायती पत्र दिनांक 8-7-1985 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0 प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा की कतिपय शिक्षिकाओं को चयन वेतनमान

42–श्री हाजी मो0 हयात–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के राजकीय बालिका इण्टर कालेज अमरोहा की अध्यापिकाओं श्रीमती परवीन रिजवी (एल0 टी0 ग्रेड) व कु0 एफ0 एफ0 खुबैरी (एल0 टी0 ग्रेड) को व श्रीमती एजाज फातमा (सी0 टी0 ग्रेड) व श्रीमती संजीता बेगम (सी0 टी0 ग्रेड) को 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी चयन वेतनमान नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि इन 16 वर्षों में उपरोक्त अध्यापिकाओं को प्रोन्नति भी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अध्यापिकाओं को उनका वेतनमान दिलाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

श्रीमती परवीन रिजवी एवं श्रीमती संजीता बेगम को पदोन्नति दी गई थी । श्रीमती रिजवी ने पदोन्नति स्वीकार नहीं की । शेष दोनों अध्यापिकाओं की 16 वर्ष की नियमित सेवा अभी पूर्ण नहीं हुई है। देय होने पर ही चयन वेतनमान दिया जा सकेगा ।

महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0पी0सी0 वेतनमान की मांग

43–श्री धनराज यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0 जी0 सी0 वेतनमान देने की शिक्षा विभाग से संस्तुति किया है ? यदि हां, तो शासन इसे कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

83-84 में देवरिया जनपद के छात्रा/छात्राओं का मा0 शिक्षा संस्थागत परीक्षा में डं लू0 वी0 के अंतर्गत रोका गया परीक्षाफल

44–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में देवरिया जनपद के कितने छात्रों/छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा

संस्थागत परीक्षा में डब्लू0 बी0 के अंतर्गत परीक्षा फल रोका गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत रुके हुए परीक्षा फल से कितने छात्रों छात्राओं का परीक्षा फल घोषित हुआ और कितने लोगों का निरस्त किया गया है ? इन्हीं रुके हुए परीक्षा फल में हाईस्कूल परीक्षार्थिनी कुमारी सुमित्रा अनुक्रमांक 473-262 अशोक इण्टरमीडिएट कालेज रामपुर कारखाना डमरी देवरिया का भी है?यदि हां, तो इनका परीक्षाफल निरस्त होने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

देवरिया जनपद के हाईस्कूल एवं इंटर के कुल 1874 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल सूची "डब्लू बी0" के अन्तर्गत रोका गया था। रोके गये परीक्षार्थियों में से 1158 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित हुआ है और 716 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त किया गया है । इन रोके गए परीक्षार्थियों में अशोक इंटर कालेज, रामपुर कारखाना, डमरी, देवरिया की परीक्षार्थिनी कु0 सुमित्रा भी शामिल है । कु0 सुमित्रा को उक्त हाईस्कूल परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण आरोपित किया गया था । आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप परीक्षार्थिनी का परीक्षाफल 1984 परिषद् द्वारा निरस्त किया गया है ।

45–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[दिनांक 4-3-87 को अता0 प्र0 सं0 172 द्वारा उत्तरित]

कालविन तालुकेदार कालेज, लखनऊ के प्राचार्य द्वारा हिन्दी का अपमान

46–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कालविन तालुकेदार कालेज के प्राचार्य ने जून सन् 1986 में राष्ट्रभाषा हिन्दी को कुत्तों और सुअरों की भाषा कहा था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राचार्य ने हिन्दी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया।

47–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 8-9-86 को अता0 59 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर के ग्राम मोहनापुर की प्राइमरी पाठशाला का निर्माण

48–श्री सैयद जावेद अली–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के ज0 हकीम नं0 2 ग्राम मोहनापुर में प्रा0 पाठशाला अर्ध निर्मित हालत में पड़ा हुआ है और छत पर गिट्टी, प्लास्टर एवं फर्श नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रा0 पाठशाला की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां।

नई व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयों के मरम्मत का कार्य ग्राम शिक्षा समितियों को सौंप दिया गया है ।

उ0 प्र0 शिक्षणेत्तर कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राम सुफल तिवारी का मांग पत्र

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपा बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय शिक्षणेत्तर कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राम सुफल तिवारी द्वारा 20-2-96 को अथवा उनके आस पास किसी दिन कोई मांग पत्र तथा मांगों को न स्वीकार करने पर 5-2-86 को विधान भवन पर प्रदर्शन किये जाने के

बारे में कोई सूचना मिली ? यदि हां, तो मांगे क्या हैं तथा उन पर शासन की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में सन्दर्भित श्री राम सुफल तिवारी का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्रश्न में उल्लिखित समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राम सुफल तिवारी का 20-2-86 का एक छपा हुआ मांग पत्र प्राप्त हुआ है । इस मांग पत्र में उल्लिखित मांगे संलग्न सूची में अंकित है ।

चूंकि उक्त मांगे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, अतएव सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वित्तीय उपाशयों को दृष्टि में रखते हुये इन मांगों का परीक्षण किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 107 पर)

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

51–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने

श्री राज कुमार राम अध्यापक, हाई स्कूल भरौली, बलिया को सश्रम कारावास

52–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज कुमार राम अध्यापक हाई स्कूल भरौली, बलिया, एक अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है जिसको 1 वर्ष का सश्रम कारावास भी हो चुका है, आज भी गांव भरौली में तरह-तरह का खुराफात किया करता है और रामलीला मैदान भरौली, बलिया पर अवैध कब्जा कर रहा है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को निलम्बित या सेवा मुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के आधार पर कथित अध्यापक के अपराधिक प्रकृति के होने तथा रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा करने की जानकारी नहीं है । इनके सश्रम कारावास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के बरेली कार्यालय में चयनित लिपिको को वेतनमान न दिया जाना

53–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बरेली के कार्यालय में 26 लिपिकों को जिला स्तर चयन समिति द्वारा विधिवत् रखे जाने के उपरान्त भी लिपिक पद का वेतन न देकर दस रु0 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन द्वारा शीघ्र ही उन सभी लिपिकों को स्थाई करने के आदेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचनानुसार नामावली लेखकों की मांग क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय बरेली से की गयी थी । तद्नुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में जिला चयन समिति द्वारा चयनित 26 अभ्यर्थियों को नामावली लेखक के रूप में दस रुपये प्रतिदिन पर रखा गया था । शासन द्वारा लिपिकों के पदों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर 26 नामावली लेखकों में 5 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी लिपिक पद पर नियुक्त हो चुके हैं । शेष की भी नियुक्ति विचाराधीन थी परन्तु माननीय लोक सेवा अधि-

करण लखनऊ द्वारा रोक लगा देने के कारण कार्यवाही अवरुद्ध है । माननीय अधिकरण के निर्णयोपरान्त कार्यवाही निष्पन्न की जायगी ।

प्रधानाचार्य, बल्देव वैदिक इण्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी को हटाने की मांग

54–श्री नंगा राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 20-2-86 को प्रधानाचार्य, बल्देव वैदिक इण्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी को बर्खास्त करने एवं विद्यालय के साधिकार नियंत्रक (प्रशासक) पद पर एस0 डी0 एम0 निघासन, खीरी के स्थान पर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिकायत पर जांच की गई । तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक, परगनाधिकारी निघासन, खीरी ने अपने आदेश दिनांक 26-6-86 में प्रधानाचार्य की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने की संस्तुति की। प्रधानाचार्य के चयन वेतनमान में अन्तिम सोपान में होने के कारण तदनुसार कार्यवाही न हो सकी । विद्यालय के तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक के स्थान पर राजकीय इण्टर कालेज, खीरी के प्रधानाचार्य को शासनादेश दिनांक 9-9-86 के द्वारा नियुक्त किया गया था।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर के जयकरन यादव की लिपिक पद पर नियुक्ति

55–श्री रमाकान्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जिला गोरखपुर के अनुमोदित लिपिक श्री जयकरन यादव को श्री योगेन्द्र पाल सिंह, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-3), इलाहाबाद के पत्र दिनांक 18-5-83 द्वारा यह कह कर लिपिक पद से विमुक्त कर श्री परशुराम को नियुक्त किया गया है कि उक्त पद पर श्री यादव को मात्र शपथ पत्र के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने बिना साक्ष्य लिये ही श्री जयकरन यादव को उक्त पद पर मान्यता प्रदान कर दी थी ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से साक्ष्य थे जिनकी आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उक्त पद पर श्री यादव को मान्यता प्रदान की थी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) से विस्तृत आख्या मांगी गई है।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर के लिपिक पद के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ सिंह का शिकायती पत्र

56–श्री रमा कान्त तथा श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के लिपिक पद के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ सिंह तत्कालीन सदस्य, विधान सभा ने दि0 19-1-85 व दि0 1-11-85, दि0 8-8-86 को शिक्षा सचिव, दिनांक 30-10-85 व दि0 4-11-85 को विशेष शिक्षा सचिव, दि0 31-5-86 को संयुक्त शिक्षा सचिव को शिकायती पत्र दिये है ? यदि हां, तो क्या यह

सही है कि इन सभी अधिकारियों ने शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अथवा शिक्षा निदेशक, बेसिक से समय-समय पर आख्या की मांग की है पर अभी तक आख्या शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो शासन के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं और इनके विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की ? क्या शिक्षा मंत्री इस प्रकरण पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी क्रम वार पत्रों के सम्बन्ध में देने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

31-5-86 के अतिरिक्त अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं।

जी हां ।

आख्या निदेशालय से प्राप्त हुई थी जिस पर निदेशालय से कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर में श्री परशुराम की लिपिक पद पर नियुक्ति

57–श्री रमा कान्त तथा श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा श्री एम0 आविद अली, उप-शिक्षा सचिव अनुभाग-6 को दिनांक 6-3-86 को भेजे गये पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के अनुमोदित लिपिक श्री जय-करन यादव के स्थान पर श्री परशुराम को नियुक्त किये जाने सम्बन्धी निदेशालय के आदेश दि0 19-5-83 में श्री परशुराम की नियुक्ति तिथि दि0 1-1-76 लिखी गई है जबकि श्री परशुराम ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपने शपथ-पत्र में अपनी नियुक्ति तिथि दिनांक 2-4-79 घोषित की है जो एक दूसरे के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो क्या इसका परीक्षण कराकर जालसाजी करने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । विद्यालय के आय-व्ययक के आधार पर निदेशालय के पत्र दिनांक 19-5-83 में श्री परशुराम की नियुक्ति तिथि 1-7-76 लिखी गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपने शपथ पत्र में श्री परशुराम की नियुक्ति तिथि 2-4-79 एनेक्सर-1 में अंकित होना दिखाया है ।

जी हां ।

श्री दया राम, व्यक्तगत अभ्यर्थी हाई-स्कूल परीक्षा 1983 रो0 नं0 1183427 की जन्मतिथि का प्रकरण

58–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाराम पुत्र श्री बंशराज ने किसान सर्वोदय इण्टर कालेज, रायठ, बस्ती से हाईस्कूल परीक्षा 1983 में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण किया जिसका रोल नं0 1183427 था, लेकिन छात्र को जो अंक-पत्र मिला था उसमें जन्म-तिथि 05-07-60 लिखा था जबकि वास्तविक जन्मतिथि 15-7-60 है ? इस जन्मतिथि संशोधन के सम्बन्ध में सचिव, मा0 शि0 प0, उ0 प्र0, इलाहाबाद को छात्र के दो पत्र रजिस्टर्ड 31-5-84 एवं 11-7-84 का रसीद संख्या क्रमशः 849, 848 प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो **क्यों ?**

श्री सिब्ते रजी–

हां, सम्बन्धित परीक्षार्थी की जन्म-तिथि संशोधित करके उसकी सूचना दिनांक 13-9-84 को ही सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को भेज दी गई थी। उसके बाद इस तथ्य की सूचना परिषद् कार्यालय के पत्र दिनांक 17-7-86 द्वारा सम्बन्धित प्रधानाचार्य को पुनः प्रेषित कर दी गई है।

स्व0 श्रीमती कालिन्दी त्रिपाठी, राजकीय कन्या जू0 हा0 स्कूल पिपराइच, गोरखपुर के आश्रित को नियुक्ति

59–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीया श्रीमती कालिन्दी त्रिपाठी जो राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, पिपराइच, जिला गोरखपुर में कार्यरत थीं और सेवाकाल में ही जिनकी मृत्यु हो गयी है के किसी आश्रित को शासनादेश के आधार पर विभाग में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

नियुक्ति हेतु स्व0 श्रीमती कालिन्दी त्रिपाठी के किसी भी आश्रित का आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण ।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, पिपराइच, गोरखपुर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती आभा द्विवेदी की योग्यता व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

60–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, पिपराइच, जनपद गोरखपुर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती आभा द्विवेदी प्रशिक्षित है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो उनका चयन किस प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ है ? क्या यह सत्य है कि गत दो वर्षों में कई बार इनके स्थानान्तरण आदेश किये गये परन्तु फिर भी यह वहीं पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कुल कितने बार स्थानान्तरण किये गये और कितने बार रद्द किये गये और बार-बार स्थानान्तरण निरस्त करने के कारण क्या हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

श्रीमती आभा द्विवेदी सी0 टी0 वेतनक्रम की अप्रशिक्षित अध्यापिका हैं। संगीत प्रभाकर उत्तीर्ण होने के कारण संगीत अध्यापिका के पद पर चयन किया गया ।

जी नहीं । श्रीमती आभा द्विवेदी को राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल, पिपराइच, जनपद गोरखपुर से स्थानान्तरित करने का केवल एक बार आदेश 30-6-85 को जारी हुआ था जिसे 22-8-85 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया ।

चूंकि श्रीमती आभा द्विवेदी का उक्त स्थानान्तरण एक वर्ष से कम अवधि में किया गया था, इसलिये उसे स्थगित किया गया ।

सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के इंस्पेक्टर श्री अब्दुल हलीम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

61–श्री हाजी मो0 हयात–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में कार्यरत इंस्पेक्टर अब्दुल हलीम जो जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित है, के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र दिनांक 4-10-85 व 7-10-85 को श्री महमूद अहमद मुतवल्ली मस्जिद पछवरा अमरोहा द्वारा सचिव सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अब्दुल हलीम इंस-पेक्टर सन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के विरुद्ध शिकायतों से सम्बन्धित श्री महमूद अहमद का दिनांक 4-10-85 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

श्री महमूद अहमद का दिनांक 7-10-85 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें श्री अब्दुल हलीम इन्स्पेक्टर के विरुद्ध अशोभनीय बातचीत करने की शिकायत की गई थी और प्रार्थी की पत्रावली किसी अन्य इन्स्पेक्टर को देने का अनुरोध किया गया था। शिकायती-पत्र में कोई गम्भीर आरोप न होने के कारण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त उक्त इन्स्पेक्टर को निरीक्षण के दौरान शिष्ट व्यवहार करने के निर्देश दिए गए।

चूंकि वक्फ बोर्ड एक निगमिक संस्था है और अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है अतः शासन स्तर से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में चयन वेतनमान की गणना

62–श्री हाजी मो0 हयात–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन ने शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को आदेशित किया है कि चयन वेतनमान की स्वीकृति के समय कर्मचारियों की सेवा की गणना उसकी नियुक्ति तिथि से की जाय? यदि नहीं, तो शासनादेश सं0 3377 (1)/पन्द्रह 2-82-27 (11) 82 दिनांक 29-12-81 के पैरा दो में उल्लिखित शब्द "नियमित" से उत्पन्न भ्रम को कैसे दूर किया गया है जिसके कारण अधिकारीगण पात्र कर्मचारियों को चयन वेतनमान से वंचित किए हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

चयन वेतनमान के लिए सेवा की गणना पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से करने के आदेश हैं।

राजाज्ञा सं0 3377(1)/पन्द्रह–2-82-27 (11)/87, दिनांक 29-12-81 द्वारा शिक्षण कर्मचारियों को चयन वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। उक्त आदेश के प्रस्तर 1(11) में उल्लिखित शब्द "नियमित" के सम्बन्ध में उक्त आदेश के प्रस्तर में कार्यालय ज्ञाप संख्या वे0आ01842/दस-48(एम)/1981, दिनांक 25-11-81 का उल्लेख है जिसमें सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन दिये गये हैं। इस आदेश के संदर्भ में पुनः कार्यालय ज्ञाप संख्या-वे0आ0 343/दस-48(एम)/1981, दिनांक 14-2-83 द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तद्नुसार पात्र शिक्षण कर्मचारियों को चयन वेतनमान अनुमन्य किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

ज्ञान भारतीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरारिपुर, उन्नाव के श्री दिनेश कुमार शुक्ल व उमा कृष्ण सिंह की सेवा मुक्ति

63–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या 236/86 दिनांक 16-5-86 जिसमें ज्ञान भारतीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरारिपुर जनपद उन्नाव के शिक्षक श्री दिनेश कुमार शुक्ल एवं श्री उमाकृष्ण सिंह को विद्यालय के पत्राचार प्रशिक्षण के पश्चात् सेवा से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सत्य है कि श्री दिनेश कुमार शुक्ल एवं श्री उमा कृष्ण सिंह के साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त श्री नशफीं लाल की नियुक्ति कर ली गयी है? यदि हां, तो श्री दिनेश कुमार शुक्ल एवं श्री उमा कृष्ण सिंह की प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति न करने का क्या औचित्य है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

सर्वश्री दिनेश कुमार शुक्ल व उमा कृष्ण सिंह ने विद्यालय में कार्य करना बंद कर दिया था। अतः उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी।

श्रीमती शकुन्तला पाण्डे, प्रधानाध्यापिका जीनिया कन्या जू0 हा0 स्कूल, फतेहपुर का निलम्बन एवं बहाली

64–श्री अंचल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जनपद फतेहपुर जीनिया कन्या जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शकुन्तला पाण्डे ने गत वर्ष 1985 की कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में पर्चों की सील तोड़कर पर्चे आउट कराया था और इसी कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया था और अब उपबालिका विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला फतेहपुर ने बहाल करके उसी स्कूल में पुनः प्रधानाध्यापिका के पद पर भेज दिया है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधानाध्यापिका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान कर रही है और स्कूल में भ्रष्टाचार फैला रही है? इसका शिकायती प्रार्थना पत्र ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व ग्राम प्रधान ने दिनांक 20-7-86 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर को दिया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। तथा कथित आरोप पर निलंम्बित की गई। अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) द्वारा बहाल की गई और उसी विद्यालय में पदस्थापित की गई।

शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर द्वारा स्वयं की गई। शिकायतों में कोई बल न होने के कारण प्रकरण को स्थलीय जांच के बाद समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के साधिकार नियंत्रक के पद पर श्री व्यास मिश्र का कार्यकाल

65–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री व्यास मिश्र ने किस तारीख से किस तारीख तक बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ में साधिकार नियंत्रक के पद पर कार्य किया ? क्या यह सत्य है कि बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, बक्शी का तालाब, लखनऊ के पास रसायन विज्ञान प्रवक्ता का स्थानान्तरण अक्टूबर, 1983 में किया गया है तथा उस समय कालेज के साधिकार नियंत्रक श्री व्यास मिश्र थे ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री व्यास मिश्र ने दिनांक 11-4-83 से 18-11-83 तक प्राधिकृत नियंत्रक के पद पर कार्य किया ।

जी हां ।

बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रांगण में धान कूटने की चक्की लगाये जाने के सम्बन्ध में

66–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रांगण में धान कूटने की चक्की लगाने की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गयी थी और क्यों? विद्यालय प्रांगण में धान कूटने की चक्की लगाने का आदेश उचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

लिखित अनुमति देने की पुष्टि पत्रजातों से नहीं होती। उस समय विद्या-

लय में प्राधिकृत नियंत्रक कार्यरत थे। नाजायज कब्जे को रोके जाने के लिये ही कार्यवाही की गयी है।

बक्शी का तालाब, लखनऊ की चाहर दीवारी बनवाने में व्यय के सम्बन्ध में

67–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बक्शी का तालाब, लखनऊ की चाहर दीवारी (बाउंडरी वाल) बनवाने में कितना पैसा खर्च किया गया? क्या इस कार्य के लिए टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

रु0 37747.99 व्यय किया गया।

नहीं। यह कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के शिड्यूल्ड रेट से कराया गया ।

बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के सहायक अध्यापक श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के सम्बन्ध में

68–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री यदुनाथ सिंह सहायक अध्यापक, बक्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ के निलम्बन का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा न दिये जाने के बाद भी श्री सिंह को लगभग 15 माह निलम्बित रखे जाने का क्या कारण था ? क्या साधिकार नियंत्रक ने श्री सिंह के स्थान पर अस्थाई नियुक्ति करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो क्या शासन साधिकार नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री यदुनाथ सिंह, सहायक अध्यापक के निलम्बन का विधिवत अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त किया गया था और निलम्बन की अवधि में श्री सिंह विधिवत निलम्बन भत्ता प्राप्त करते रहे ।

छात्रों के शिक्षण के हित में अस्थायी व्यवस्था की गयी।

बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 में कार्यरत अध्यापकों के सेवाकाल में दिवंगत हो जाने पर आश्रित को परिषद् में शिक्षक रखने की मांग

69–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 में कार्यरत जो अध्यापक सेवा काल में दिवंगत हो जाते हैं उनके एक वारिस को परिषद् में शिक्षक रखने (यदि वह अप्रशिक्षित है परन्तु हाई स्कूल अथवा उसके ऊपर की योग्यता रखता है तो सेवा में लेकर प्रशिक्षण दिलाने) के बारे में कोई सुझाव वर्ष 1985-86 में शासन तथा अध्यापकों के बीच हुए समझौते की शर्तों के अधीन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है तथा उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में उल्लिखित ऐसा कोई सुझाव शासन के विचाराधीन नहीं है। हां, शिक्षकों की मांगों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिषदीय शिक्षक, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाय, के एक आश्रित जो कि बेरोजगार हो, और उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कम से कम इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो को अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में वरीयता के आधार पर नियुक्ति दी जायगी तथा इन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा । इस सम्बन्ध में दिनांक

19-7-86 को आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

सलेमपुर, देवरिया के सहायक परियोजनाधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा श्री कमल नयन सिंह यादव के विरुद्ध प्रविष्टियां

70—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के प्रौढ़ शिक्षा परियोजना कार्यालय सलेमपुर के सहायक परियोजनाधिकारी श्री कमल नयन सिंह यादव वर्ष 1983-84 तथा 84-85 में आजमगढ़ की लालगंज परियोजना में नियुक्त थे ? यदि हां, तो क्या आजमगढ़ के जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने इनके चरित्र पंजिका में लिखा है कि श्री यादव आहरण वितरण का कार्य सम्भालने के योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो इनको सलेमपुर, जिला देवरिया में परियोजनाधिकारी का चार्ज तथा आहरण वितरण का कार्य दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि 83-84, 84-85 से लेकर 85-86 तक लगातार प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी नहीं।

परियोजना अधिकारी का कार्य केवल प्रभार के रूप में दिया गया है। उनसे आहरण वितरण का कार्य वापस लिया जा रहा है।

श्री यादव को केवल वर्ष 84-85 व 85-86 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। वर्ष 84-85 की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध श्री यादव का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। वर्ष 85-86 की प्रविष्टि अभी तक पूर्ण न होने के कारण उन्हें संसूचित नहीं की जा सकी है।

लक्ष्मी नारायण रावत, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

71—श्री राम नरेश यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को राम शरण पौनिया जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ आगरा के रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र दि0 22-10-85, 12-3-86, 18-3-86, 10-4-86, 21-5-86 श्री लक्ष्मी नारायण रावत, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, आगरा के विरुद्ध प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई? क्या यह भी शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उन्हें 6 जुलाई, 86 को अवकाश ग्रहण के पश्चात् 30 जून, 87 तक के लिये इक्सटेंशन (सेवा विस्तार) दिये जाने का क्या औचित्य है?

श्री सिब्ते रजी—

कथित शिकायती पत्र दिनांक 10-4-86 को छोड़कर प्रश्न में उल्लिखित शेष चार शिकायती पत्र दिनांक— 21-10-85 (22-10-85 नहीं), 12-3-86, 18-3-86 एवं 21-5-86 प्राप्त हुए हैं। इन पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा से जांच कराई जा रही है।

श्री रावत ने दिनांक 14-7-86 (अर्थात 31-7-86) को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण की थी। अतः उनके द्वारा 6 जुलाई, 86 को अवकाश ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, जो मध्य सत्र में अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हैं, को सत्र के अन्त तक शासनादेश दि0 21-3-84 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने की दशा में, सेवा में विस्तरण दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि श्री रावत उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों

को पूरा करते थे, अतः उन्हें 14-7-86 के पश्चात शिक्षा सत्र के अन्त तक, अर्थात 30-6-87 तक जनहित में, सेवा में विस्तरण प्रदान किया गया है।

राजकीय इण्टर कालेजों में सेवारत विभिन्न ट्रेड के अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

72—श्री राम नरेश यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेजों में सेवारत विभिन्न ट्रेड के अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभाग एवं शासन की क्या नीति है और क्या उस नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

राजकीय इण्टर कालेजों में निम्नलिखित ग्रेड/श्रेणी के अध्यापक होते हैं, जिनका संवर्ग क्षेत्रीय/मण्डलीय/जिला स्तरीय, जैसा कि प्रत्येक श्रेणी के सम्मुख उल्लिखित है, होता है :—

(1) विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (प्रवक्ता) वेतनक्रम के अध्यापक	पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का संवर्ग
(2) प्रशिक्षित स्नातक (एल0 टी0) वेतनक्रम के अध्यापक	मण्डलीय संवर्ग
(2) सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापक	जिला स्तरीय संवर्ग

विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण उनके संवर्गीय क्षेत्र के अनुसार संवर्गीय क्षेत्र के भीतर ही आवश्यकतानुसार जनहित में किये जाने की नीति है। स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त/नीति निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1985-86 के लिये शिक्षा विभाग की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त शासनादेश दिनांक—29 मई, 1985 द्वारा निर्धारित किये गये थे जिसमें अध्यापकों के स्थानान्तरण विषयक सिद्धान्त भी उल्लिखित है। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न है।†

शासन को प्राप्त सूचनानुसार उक्त शासनादेश में निर्धारित नीति/सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए ही वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में स्थानान्तरण किये गये हैं। सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति का पालन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में शिथिलता भी बरती जाती है।

जूनियर हाईस्कूलों में प्रशिक्षित वेतनक्रम में नियुक्त अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापक प्रधानाध्यापक पद के अर्हत होने के सम्बन्ध में

73—डा0 अच्युतानन्द तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूलों में प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्त अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापक प्रधानाध्यापक पद पाने के लिए अर्ह हैं या नहीं? यदि अर्ह हैं, तो कितने ऐसे संस्कृत अध्यापक, प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर के प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध कार्यवाही

74—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इस समय पटेल स्मारक इण्टर कालेज,

†छापी नहीं गई ।

पटेल नगर, भटहट, जनपद गोरखपुर के छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों में प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध भारी असंतोष व्याप्त हो गया है ? क्या यह भी जानकारी है कि निदेशालय द्वारा प्रबन्धतंत्र को भंग करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने लगभग 6 माह से प्रबन्धतंत्र व प्रधानाचार्य को अनुचित संरक्षण देने के अभिप्राय से शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा 16 डी (4) की कार्यवाही रोके हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर मामले पर तत्काल प्रभावी कदम न उठाये जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार धारा 16 घ(3) की नोटिस के उत्तर पर क्षेत्राधिकारियों की आख्या निदेशालय में प्राप्त हो गई है, जिस पर परीक्षणोपरान्त निदेशालय द्वारा दिनांक 9-2-87 को क्षेत्राधिकारियों से कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

75–श्री कौशिक रमाशंकर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा आरक्षित समूह अध्यापक का अनियमित आमेलन

76–श्री फजलुल बारी श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज चरगांवा जिला-गोरखपुर की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक में दिनांक 14-10-81 प्रस्ताव सं0-5 द्वारा श्री शेख सब्बीर अहमद को एल0 टी0 वेतनक्रम में गणित अध्यापक पद से विज्ञान अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को दिनांक 23-11-81 को भेजा था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर निर्णय दिनांक 30-10-86 तक नहीं किया गया और प्रस्ताव के विपरीत अवैधानिक ढंग से एक आरक्षित समूह अध्यापक की नियुक्ति अक्टूबर 1985 में उसी पद पर कर दिया? यदि हां, तो अवैध नियुक्ति को निरस्त करके जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा 22-5-82 को निर्णय दिया गया था।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा रिक्त की सूचना देने पर आरक्षित समूह अध्यापक का आमेलन किया गया।

सही तथ्य प्रकाश में आने पर आमेलन निरस्त किया गया।

जनता इण्टर कालेज चरगांवा, गोरखपुर में विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति

77–श्री फजलुल बारी श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता इण्टर कालेज चरगांवा जिला गोरखपुर में विज्ञान तथा गणित के कितने पद सृजित हैं? क्या यह सही है कि बिना पद सृजित किये ही अक्टूबर, 1985 में एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा की गयी है जिसके विरुद्ध श्री शेख सब्बीर अहमद अध्यापक विज्ञान जनता इण्टर कालेज चरगांवा जिला-गोरखपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर तथा उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर एवं अपर शिक्षा निदेशक इला-

इलाबाद को अगस्त, 1986 को प्रार्थना-पत्र देकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया तथा इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री इब्राहिम खां आदि का शिकायती-पत्र दिनांक 1-10-86 को उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित करके पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

विज्ञान तथा गणित के क्रमशः दो-दो पद सृजित हैं।

आरक्षित समूह के अध्यापक के आमेलन के विरुद्ध श्री शेख सब्बीर अहमद ने प्रार्थना पत्र दिया था।

जांच के बाद सही स्थिति ज्ञात होने पर आमेलन निरस्त कर दिया गया।

वर्ष 1986–87 में माध्यमिक शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

78–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में माध्यमिक शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु जिला वि0 नि0 इलाहाबाद के पास कितने शिक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे? उनके नाम क्या थे? उन प्रतिवेदनों को राजकीय चयन समिति को भेजे न जाने के क्या कारण थे?

श्री सिब्ते रजी–

राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 1986 हेतु दो अध्यापकों सर्वश्री राम सागर मिश्र व इन्द्र सेन वर्मा के प्रकरण प्राप्त हुए थे।

जिला चयन समिति द्वारा उपर्युक्त दोनों अध्यापक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

नेशनल हाई स्कूल शहजादपुर, फैजाबाद की रची गयी भूमि का ब्योरा

79–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अटंगी परगना व तह0 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में स्थित नेशनल हाई स्कूल शहजादपुर की प्रबन्धक श्रीमती सुमित्रा जेटली के नाम दर्ज भूमि में से अब तक कितनी भूमि बेची जा चुकी है और उससे कितनी धनराशि विद्यालय को प्राप्त हुई? क्या उक्त धनराशि का ब्योरा विद्यालय के खाते में दर्ज है? यदि नहीं, तो शासन ने प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार नेशनल हाई-स्कूल शहजादपुर नामक कोई विदयालय संचालित नहीं बताया गया है। इसकी पुनः पुष्टि कराई जा रही है।

लक्ष्मी कुंअर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारा कलां, फैजाबाद की प्रबन्ध कमेटी का चुनाव

80–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी कुंअर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारा कलां जनपद फैजाबाद के प्रबन्ध कमेटी का चुनाव कितने दिनों से नहीं हुआ है? क्या सरकार को इससे संबंधित कोई शिकायत मिली है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

दिनांक 29-3-81 को चुनाव हुआ था। इसके उपरान्त चुनाव नहीं हुआ है।

जी हां।

सदस्यता के विवाद की जांच की कार्यवाही चल रही है।

नेहरू उच्चतर मा0 विद्यालय बीबीगंज, गोरखपुर में कथित फर्जी नियुक्ति

81—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेहरू उच्चतर मा0 विद्यालय बीबीगंज (गोरखपुर) में पूर्व प्रबन्ध समिति ने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अध्यापक के पद पर की जिसका स्नातक का प्रमाण पत्र फर्जी है? क्या यह सच है कि वर्तमान प्रबन्ध समिति ने संबंधित अध्यापक की सेवा पृथक करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को गत वर्ष 1985 में ही लिखा है? यदि हां, तो इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित विद्यालय में ऐसे किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है।

किसान पूर्व मा0 विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर लिपिक के अनुमोदन में जालसाजी की शिकायत

82—श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री कौशिक रमा शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदही जनपद गोरखपुर के अनुमोदित लिपिक के स्थान पर शिक्षा निदेशालय द्वारा जालसाजी कर शिक्षा निदेशालय को अनुमोदित व्यक्ति को वेतन भुगतान कराने संबंधी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर द्वारा सीधे शासन को दिनांक 6-2-86 को आख्या भेजी गयी है? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर मामले में शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत सहायक उपस्थित अधिकारियों की वेतन विसंगति

83—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत सहायक उपस्थित अधिकारियों का वेतन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से भी कम है जबकि पद के अनुसार वे अध्यापकों से भी ज्येष्ठ हैं और वे अध्यापकों के निरीक्षण आख्या अधिकारी भी हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस असंगति को दूर करने एवं इनके वेतनमान पुनः निर्धारित करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

प्रकरण सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है।

शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत महिलाएं

84—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद, पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा पाठ्य पुस्तक अनुभाग, लखनऊ में प्रत्येक में कितनी महिलाएं सेवारत हैं? क्या उनको उनके पदों से हटाने तथा महिलाओं की नई भरती न करने का कोई आदेश शासन अथवा निदेशालय शिक्षा विभाग से भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में—16, माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद में—6, पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में—9 तथा पाठ्य पुस्तक अनुभाग लखनऊ में—2 महिलायें सेवारत हैं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

विनियमित प्रति विद्यालय निरीक्षकों की वरीयता सूची का आधार

85–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विनियमित प्रति विद्यालय निरीक्षकों की वरीयता सूची का आधार उनकी नियुक्ति तिथि है ? क्या यह भी सही है कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

विनियमित प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की वरीष्ठता सूची का आधार उनकी विनियमितीकरण (नियुक्ति) आदेश की तिथि होती है ।

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकाओं को 10 वर्ष पर नहीं, 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान देने की व्यवस्था है ।

प्राइमरी पाठशाला डडुअन नगला, फर्रुखाबाद का भवन निर्माण

86–श्रीमती रामनन्दिनी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद विकास खण्ड सौरिख के प्रा0 पा0 डडुअन नगला के भवन का निर्माण जो सन् 1978 में जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा प्रारम्भ कराया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों तथा शेष कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़ दिया था जिसके फलस्वरूप उसका ठेका रद्द कर दिया गया । जनपद की जिला योजना में प्रावधान उपलब्ध होने तथा उक्त विद्यालय का चयन बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किये जाने पर ही निर्माण कराना सम्भव होगा ।

शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के सचिव अली जकीकुम्मी के विरुद्ध मुकदमा

87–श्री मूलचन्द्र–

क्या वक्फ मंत्री की जानकारी में है कि शिया वक्फ बोर्ड, लखनऊ के सेक्रेटरी अली जकीकुम्मी के विरुद्ध कस्बा न्योतनी थाना हसनगंज जिला उन्नाव के वक्फ हकीम सैयद हिफाजत अली के आम के बाग के हरे पेड़ों को अनाधिकृत व गैर कानूनी तरीके से कटवाकर लकड़ी चुरा ले जाने के अपराध में थाना हसरागंज में अपराध संख्या 85-84 के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सेक्रेटरी उक्त केस में दिनांक 13-6-84 को केसरबाग कोतवाली लखनऊ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे और और इस समय जमानत पर हैं तथा उक्त केस मुंसिफ मजिस्ट्रेट प्रथम उन्नाव की अदालत में चल रहा है और उक्त केस का नं0 583/85 है ? यदि हां, तो अभी तक उपरोक्त मुल्जिम (अली जकी कुम्मी) सेक्रेटरी शिक्षा वक्फ बोर्ड को निलम्बित (सस्पेंड) न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के पूर्व कन्ट्रोलर शिया वक्फ बोर्ड द्वारा सचिव के विरुद्ध किसी

विभागीय कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

परिवहन विभाग के सेवा निवृत्त जूनियर फोरमैन श्री नासीर अली की पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान

88–श्री फजलुल बारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नासीर अली सेवा निवृत्त जूनियर फोरमैन को दिनांक 1-4-82 से जूनियर फोरमैन के पेंशन युक्त (पेंशनेबुल) पद पर परिवहन निगम के आदेश संख्या 279 सी ई टी/85 दिनांक 19-6-85 द्वारा स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त जूनियर फोरमैन को पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पेंशन एवं नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान अविलम्ब करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

श्री नासीर अली सेवा निवृत्त जूनियर फोरमैन को दिनांक 1-4-1972 से परिवहन निगम के आदेश सं0-279/सी ई टी/85-137 पी एफ/जे एफ, दिनांक 19-6-85 द्वारा जूनियर फोरमैन के पद पर दिनांक 1-4-1972 से स्थाई घोषित किया गया । श्री अली को दिनांक 14-2-73 को सेवा निवृत्त के उपरान्त नान पेंशनेबुल पद के सेवा नैवृत्तिक लाभ के रूप में ई0 पी0 एफ0 तथा ग्रेच्युटी की धनराशि अंकन रु0 16,462-60 पैसे पहले ही भुगतान किया जा चुका था । दिनांक 1-4-72 से जूनियर फोरमैन के पेंशनेबुल पद पर स्थायीकरण किए जाने के कारण उन्हें पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन देय है । अत: श्री अली को पूर्व में भुगतान किए गए रु0 16,462-60 पैसे वापस करने का उनसे अनुरोध किया गया, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और उक्त भुगतान को उन्हें पेंशन नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली पेंशन व ग्रेच्युटी की धनराशि से समायोजित करने का अनुरोध किया है । श्री अली के पेंशन प्रपत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अग्रसारित कर दिए गए हैं । महालेखाकार से आदेश प्राप्त होने पर श्री अली को भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रधानाचार्य, बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां खीरी के विरुद्ध सांसद श्री धर्मगज सिंह के पत्र पर कार्यवाही

89–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को संसद सदस्य श्री धर्मगज सिंह का दिनांक 15-11-85 का रजि0 पत्र प्रधानाचार्य बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियांकलां जिला खीरी के विरुद्ध जांच में आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध श्री जफर अली नकवी, राज्य मंत्री के पत्र पर कार्यवाही

90–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां खीरी के प्रधानाचार्य श्री राज कुमार दीक्षित को विभागीय जांच आख्याओं के आधार पर सेवा से बरखास्त करने के संबंध में श्री जफरअली नकवी, राज्य मंत्री वन, उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 21 मई, 1986 का कई संलग्नकों सहित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा आज तक क्या

कार्यवाही की गई तथा विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक, परगनाधिकारी निघासन, खीरी ने अपने आदेश दिनांक 26-6-86 में प्रधानाचार्य की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने की संस्तुति की। प्रधानाचार्य के चयन वेतनमान में अन्तिम सोपान में होने के कारण तद्नुसार कार्यवाही न हो सकी । विद्यालय के तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक के स्थान पर राजकीय इण्टर कालेज, खीरी के प्रधानाचार्य को शासनादेश दिनांक 9-9-86 के द्वारा नियुक्त किया गया था।

बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी के प्रधानाचार्य श्री राज कुमार दीक्षित के विरुद्ध जांच

91–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 के0 मेहरोत्रा, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल, लखनऊ ने शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशों पर दिनांक 7 जुलाई, 1986 को बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां, जनपद खीरी के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित के विरुद्ध बोर्ड परीक्षा 1986 में धांधली करने, मा0 शि0 परिषद् उ0प्र0 की उत्तर पुस्तिकाओं को बेचने तथा उक्त कालेज के सहायक अध्यापक सुरेन्द्र सिंह को जुलाई, 1978 से फरवरी, 1983 तक की अवधि के बिना कार्य किए फर्जी वेतन भुगतान रुपया 21,232, जो कि प्रधानाचार्य की साजिश से दिनांक 1-5-86 को हुआ है तथा प्रधानाचार्य ने उसमें से रु0 11,000 बैंक से अपने पुत्र के द्वारा निकलवाया आदि की जांच कार्यवाही पूर्ण की तथा जांच करके अपनी जांच आख्या दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को शिक्षा निदेशक, लखनऊ को भेजी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक के अनुसार जांच में प्रधानाचार्य दोषी पाए गए । प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगवही, गोरखपुर के लिपिक पद के संबंध में श्री केदारनाथ सिंह का कथित पत्र

92–श्री रमाकान्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के लिपिक पद के संबंध में श्री केदार नाथ सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 29-10-86 को शिक्षा मंत्री को कोई शिकायती पत्र दिया था और उस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक से एक पक्ष के अन्दर आख्या सहित पत्रावली की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या आख्या सहित पत्रावली मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई और नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगवही, गोरखपुर के लिपिक श्री परशुराम सिंह को हटाने की मांग

93–श्री रमाकान्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के लिपिक पद पर कार्यरत श्री परशुराम को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 6-3-86 जो उप शिक्षा सचिव, शिक्षा

अनुभाग-6 को भेजा गया है में अननुमोदित लिपिक कहा गया है और पत्र के अनुसार उक्त पद पर श्री परशुराम की नियुक्ति अनियमित सिद्ध होती है ? यदि हां, तो श्री परशुराम को अब भी क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर की जांच आख्या पर आधारित निदेशालय के आदेश के अनुसार श्री परशुराम कार्यरत हैं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध श्री परशुराम की एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित कर दिया गया है कि वे पूर्ण मामले का विधिक परीक्षण कर तत्काल नियमानुसार समुचित कार्यवाही करें ।

श्री प्रवेश कुमार सिंह, शोध छात्र, भाषा विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता

94–श्री अकबर हुसैन डाबर–

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र अक्टूबर माह में प्राप्त हुआ है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग के शोध छात्र को आर्थिक सहायता देने के बारे में था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

छात्र प्रवेश कुमार सिंह, शोध छात्र भाषा विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को वर्ष 1985-86 में मा0 शिक्षा मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से 300 रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी। वर्ष 1986-87 में पुनः माननीय सदस्य के पत्र के साथ माह अक्टूबर, 1986 में उनका दूसरा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। चूंकि शिक्षा मंत्री जी के उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विवेकाधीन कोष में धनराशि लगभग समाप्त हो गई थी, अतः श्री प्रवेश कुमार सिंह को वर्तमान वित्तीय वर्ष 1986-87 में आर्थिक सहायता स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। सन्दर्भित पत्र सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 82–84 तक इलाहाबाद क्षेत्र के फर्रुखाबाद जनपद के विद्यालयों को इण्टर की नवीन मान्यता

95–श्री महरम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 1982, 83, 84 वर्षों में उ0 प्र0 मान्यता समिति इलाहाबाद ने कितने विद्यालयों में इण्टर कक्षायें खोलने की मान्यता स्वीकार की है और उनमें फर्रुखाबाद जनपद में कितने और कौन-कौन हैं तथा मान्यता के आधार पर किन-किन में इण्टर की कक्षायें इस जनपद में चालू की गयी हैं?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत वर्षों में इलाहाबाद की मान्यता समिति ने कुल 24 विद्यालयों को इण्टर की नवीन मान्यता स्वीकृत की है। इनमें से फर्रुखाबाद जनपद के निम्नलिखित 3 विद्यालय हैं, जिनमें इण्टर की कक्षायें चालू हैं :–

1–श्री स्वामी दीनबन्धु हा0 से0 स्कूल, सिरौली, फर्रुखाबाद ।

2–स्वामी राम प्रकाश आदर्श हा0 से0 स्कूल, तिरहा मुरहस, फर्रुखाबाद ।

3–पं0 बाबूराम हा0 से0 स्कूल, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद ।

रा0 उ0 मा0 विद्यालय, निधौली कलां, एटा के पूर्व अध्यापक श्री राम स्वरूप भारद्वाज को पेंशन लाभ न मिलना

96—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निधौली कलां (एटा) के भू0 पू0 अध्यापक श्री राम स्वरूप भारद्वाज वर्तमान निवासी ग्राम बिलार, डा0 अरनौट, जिला अलीगढ़ को नई पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सच है कि उक्त अध्यापक से दिनांक 16-11-84 को जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के कार्यालय एवं विद्यालय अधिकारियों की सांठ गांठ से पुरानी पेंशन का विकल्प भराया गया जबकि सन् 1984 में पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं किया जा सकता था? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक को वेतनमान के अनुसार पेंशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा की सूचना के अनुसार दिनांक 16-11-84 को अध्यापक द्वारा स्वयं ही पुरानी पेंशन योजनान्तर्गत विकल्प पत्र दिया गया था । यह विकल्प पत्र यद्यपि निर्धारित अवधि के उपरान्त दिये जाने के कारण निष्प्रभावी था तथापि यह विदित नहीं होता कि यह जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के कार्यालय एवं विद्यालय अधिकारियों की सांठ गांठ से भरा गया ।

राजाज्ञा संख्या 5310/15-8-3004 (2)/1974, दिनांक 31-3-78 के क्रम में निर्गत राजाज्ञा संख्या 750/15-8-3054/1977, दिनांक 28-7-78 के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर विकल्प पत्र न प्रस्तुत किये जाने पर यह स्वतः मान लिया जायेगा कि सम्बन्धित अध्यापक इस राजाज्ञा में स्वीकृत लाभ का वरण नहीं करना चाहता । उक्त के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प पत्र न देने के कारण भी श्री राम स्वरूप भारद्वाज को नई पेंशन योजना का लाभ देय नहीं है ।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर शाहजहांपुर में श्री बादशाह गुप्ता की नियुक्ति

97—नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में श्री बादशाह गुप्ता की अवैधानिक तदर्थ नियुक्ति को स्नातक वेतनक्रम में बिना पद के दिनांक 16-4-85 को अनुमोदित किया है और नवम्बर, 1984 से जून, 1985 तक का वेतन भुगतान किया है जबकि माह नवम्बर, 1984 से माह मार्च, 1985 तक वेतन बिल पर वेतन काटा जाता रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

नियुक्ति बिना पद के नहीं की गई क्योंकि प्रवक्ता जीव विज्ञान के रिक्त पद पर स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत अर्ह अध्यापक की 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तदर्थ प्रोन्नति किये जाने से हुये रिक्त पद पर श्री बादशाह गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 12-11-84 से प्रबन्धक आर0 बी0एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा की गयी जिसका अनुमोदन जि0 वि0 नि0 शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 16-4-85 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 12-11-84 से दिया गया एवं 12-11-84 से 30-6-85 तक वेतन का भुगतान भी किया गया।

जी हां, माह नवम्बर 84 से मार्च 85 तक का वेतन नियुक्ति का अनुमोदन न होने के कारण काटा जाता रहा । अनुमोदित किये जाने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से भुगतान किया गया ।

98–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या यह सही है कि स्नातक वेतनक्रम की इस नियुक्ति का जिला विद्यालय निरीक्षक ने माह अगस्त 1985 में पुनः अनुमोदन दिया है तथा जुलाई 1985 से वेतन भुगतान किया है जबकि शासन ने तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक नियुक्ति के अनुमोदन की जांच करायेगा? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, छात्रों के शिक्षण के हित को ध्यान में रखकर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 8-7-85 से पुनः अनुमोदन दिनांक 11-9-85 को दिया गया तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही भुगतान किया गया।

आरक्षित समूह के अध्यापकों के आन्दोलन के कारण केवल मौलिक रिक्त पदों के प्रति रोक लगाई गई थी। अल्पकालिक रिक्ति के प्रति रोक नहीं लगाई गयी थी। नियुक्ति शिक्षण हित में तदर्थ रूप से की गई थी।

मथुरा डिपो में पुरानी बसों के स्थान पर नयी बसों की मांग

99–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा डिपो (परिवहन विभाग) में कुल कितनी बसें आज तक दो लाख कि0 मी0 से ज्यादा चल चुकी हैं और कितनी बसें 4 लाख कि0 मी0 से ऊपर चली हैं? क्या सरकार मथुरा डिपो में इन खराब और मृत बसों के स्थान पर नयी बसें देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

मथुरा डिपो में 10-12-86 को 2 लाख कि0 मी0 से अधिक चल चुकी बसों की संख्या-66 थी एवं 4 लाख कि0 मी0 से अधिक चल चुकी बसों की संख्या-37 थी।

मथुरा डिपो में खराब एवं मृत बसों के स्थान पर 16 नई बसें दी जा चुकी हैं। शेष पुरानी बसों के नियमानुसार निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के बाद उनके स्थान पर नई बसें प्रतिस्थापन के लिये दी जायेंगी ।

मथुरा जनपद में कन्या प्राइमरी पाठशालाओं को शिफ्ट करने सम्बन्धी पत्र

100–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8 सितम्बर, 86 को मथुरा जनपद में कन्या प्रा0 पाठशाला को शासन की नीति के अनुसार उन गांवों में जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है में शिफ्ट करने के बारे में प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां तो अब तक मथुरा जनपद में कितनी प्रगति हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

101–श्री सुखपाल पाण्डे–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही

102–श्री विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर राजकीय महाविद्यालय दुद्धी के के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही आज तक नहीं हो पायी है जिससे महाविद्यालय का विकास एवं विस्तार अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो भूमि अर्जन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

इस महाविद्यालय के लिये भूमि अर्जन हेतु जो प्रस्ताव जिला अधिकारी से प्राप्त हुआ था उसमें कृषि भूमि होने के कारण भूमि अर्जन की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में भूमि उपयोग परिषद् की अनुमति प्राप्त की जा रही है। उसके पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर में अतिरिक्त विषय आरम्भ करने की मांग

103–श्री विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि राजकीय महाविद्यालय दुद्धी मिर्जापुर में कला संकाय में सीमित विषय होने एवं विज्ञान व वाणिज्य विभाग न होने के वजह से महाविद्यालय का विकास नहीं हो पा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त विषय निकट में खुलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

भूमि तथा भवन की स्थायी व्यवस्था हो जाने के उपरान्त ही इस महाविद्यालय में अतिरिक्त विषय आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी के प्रधान लिपिक पद पर श्री कालीचरण की नियुक्ति

104–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत श्री कालीचरन को उक्त पद हेतु शासनादेश द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखते हुए भी प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार, इस गम्भीर मामले की जांच कराकर नियमानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां, खीरी के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों से जबरन वसूली तथा प्राप्त शिकायती पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

105–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां में छात्रों से अभिभावक अध्यापक संघ के नाम पर प्रधानाचार्य द्वारा प्रति माह 10 रु0 जबरन वसूलने की शिकायत श्री के0 बी0 गुप्ता जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्रसंगठन (इं) ने दिनांक 5-9-86 को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल लखनऊ से की थी, तथा उक्त पत्र पर उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी, को अनधिकृत धन वसूली रोकने तथा जांच

करके कार्यवाही करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गयी? छात्रों से कितना रुपया अवैधानिक रूप से वसूला गया और अवधि कृत धन वसूली करने के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक न उसकी जांच साधिकार नियंत्रक से करायी।

प्राप्त सूचना के अनुसार 17871-00 रुपये वसूल किया गया है। साधिकार नियंत्रक ने अपने पत्र दिनांक 23-9-86 द्वारा प्रधानाचार्य को अवैध वसूली रोकने का आदेश दिया है। धन वसूलने का दायित्व अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन ने अपने ऊपर लिया है। अनाधिकृत धन की वसूली रोक दी गयी है।

बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां, खीरी, के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

106–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां जनपद खीरी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध उच्च स्तरीय विभागीय जांचों में दोषी होने पर कार्यवाही करने के संबंध में लखनऊ वि0 विद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री रामबीर सिंह महामंत्री श्री रामेन्द्र जनवार का दिनांक 5 मार्च, 86 को संयुक्त पत्र जो शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 को संबोधित है आपको तथा राज्य शिक्षा मंत्री उ0 प्र0, शिक्षा सचिव उ0 प्र0, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ, जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी, जिलाधिकारी खीरी को रजि0 डाक से प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर प्रधानाचार्य के विरुद्ध शासन द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

विद्यालय के तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को दोषी पाये जाने पर उनके वेतन में दो वार्षिक वृद्धि रोकने की संस्तुति 26-6-86 को की गयी थी किन्तु तद्नुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि प्रधानाचार्य अपने चयन वेतन के अन्तिम सोपान पर थे। प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध समिति को अब निर्देश दिये गये हैं।

107–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या मा0 शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 ने दिनांक 12-9-86 को, श्री के0 बी0 गुप्त जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस (आई) के पत्रांक संख्या 2670/ दिनांक 6-9-86 जो बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां, जनपद खीरी के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है, पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल लखनऊ को जांच आख्या के आधार पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के संबंध में आदेश दिये? यदि हां, तो उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच आख्या के आधार पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जनपद के दो शिक्षेणतर गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

108–श्री महरम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जिला परिषदों से स्थानान्तरित गैर शिक्षक (शिक्षणेतर) कर्मचारियों की सेवा निर्वतन अवधि में आयु सीमा का 60 वर्ष के लिए नियम में प्राविधान किया है फिर भी नवम्बर, 1985 में फर्रुखाबाद जनपद के 2 शिक्षणेतर गैर शिक्षक कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पर ही सेवा निवत्त कर दिया गया है? यदि हां, तो सेवा निवृत 2 वर्ष पूर्व क्यों किया गया और क्या यह भी सही है कि संबंधित कर्मचारियों ने अपना लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह भी प्रार्थना की थी कि उनके प्रति सेवा निवृत की कार्यवाही न की जाय? यदि हां, तो सरकार एसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिन्होंने दो वर्ष पूर्व कर्मचारियों की सरकारी नियम के विरुद्ध सेवा निवृत कर दिया?

श्री सिब्ते रजी–

नियमानुसार सेवा निवृत किये गये।

प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिंह राय भाले सुलतान इण्टर कालेज, हलियापुर सुल्तानपुर में प्रबन्ध तंत्र द्वारा की गयी नियुक्तियां

109–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिंह राय भाले सुलतान इण्टर कालेज हलियापुर, सुल्तानपुर में प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 1981 से वर्ष 1985 के मध्य किन-किन व्यक्तियों को किन-किन पदों पर नियुक्त किया गया है? क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उक्त नियुक्त व्यक्तियों में अधिकांश व्यक्ति प्रबंध समिति के सदस्यों के ही सगे संबंधी है?यदि हां, तो इस अवैधानिक कृत्य के लिये दोषी प्रबंध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत अवधि में कठिनाई निवारण आदेश प्रथम तथा दिवतीय 1981 के अंतर्गत श्री गया प्रसाद त्रिपाठी को प्रवक्ता वेतन क्रम में एवं श्री वन्दा प्रसाद सिंह को एल0 टी0 वेतनक्रम में तदर्थ पदोन्नति की गई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों अध्यापक प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के सम्बन्धी नहीं है।

110–श्री अभिताभ अनिल दबे–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर के पुनर्निर्माण की मांग

111–श्री अमिताभ अनिल दूबे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के राजकीय बालिका इण्टर कालेज को असुरक्षित घोषित करने तथा उसके पुनर्निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? क्या इस संबंध में जनपद के प्रतिनिधियों तथा प्रश्नकर्ता के कोई पत्र भी शासन में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कालेज के पुनर्निर्माण पर शासन ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 1986-87 में ही भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

श्री के0 बी0 सिन्हा, यातायात निरीक्षक नगर बस सेवा, वाराणसी का वेतन निर्धारण

112—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात निरीक्षक प्रथम (स्टेशन इन्चार्ज) नगर बस सेवा वाराणसी कैन्ट श्री के0 बी0 सिन्हा दिनांक 17-12-62 को पर्यटन विभाग के टूटने पर रिसेप्सनिस्ट के पद से रोडवेज में सहायक यातायात निरीक्षक पद पर प्रत्यास्थापित किये गए थे? यदि हां, तो क्या श्री सिन्हा का वेतन निर्धारण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

श्री के0 बी0 सिन्हा, रिसेप्सनिस्ट, पर्यटन विभाग, की रोडवेज में सहायक यातायात निरीक्षक पद पर वेतनमान रु0 75-5-100-द0 रे0-5-120 में रु0 75-00 प्रतिमाह की दर से दिनांक 17-1-63 को नई नियुक्ति की गयी थी। उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश रोडवेज में वेतन पुनरीक्षण किये जाने के अवसर पर नियमानुसार श्री सिन्हा का वेतन निर्धारण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

खुर्जा डिपो के परिचालक श्री प्रताप के विरुद्ध कार्यवाही

113—श्री सन्तोष चतुर्वेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्जा डिपो की बस सं0 9088 के परिचालक श्री प्रताप के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी फर्रुखाबाद के महामंत्री के पत्र दिनांक 20-5-86 जो मेरे अ0 शा0 पत्र के साथ प्रेषित तथा आर0 के0 दूबे उपप्रधान /प्रबन्धक/संचालन अ0 शा0 पी0 सं0 2257 रोपी/86/818 अली/वी आई पी/86 द्वारा प्राप्ति स्वीकार की गई है के सन्दर्भ में क्या जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

उक्त परिवाद की जांच करायी गयी। जांच के दौरान परिवादकर्ता ने स्वीकार किया कि परिचालक नशे में न होकर मानसिक तनाव में था। रोजगारी के अभाव में यात्रियों के शेष पैसे तत्काल वापिस न कर बाद में वापिस किये गये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बस एटा में फेल हो गयी थी तथा परिचालक ने शेष धनराशि सम्बन्धित यात्रियों को वापिस कर दी थी। परन्तु रेजगारी वापस न करने तथा यात्रियों से ठीक व्यवहार न करने के आरोप में परिचालक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी तथा दो माह का सचरित्र भत्ता काट लिया गया है।

डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, बलिया के प्रधानाचार्य कक्ष पर कब्जा

114—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के डी0 ए0 वी0 इण्टरमीडिएट कालेज बिल्थरा रोड, जिला बलिया के प्रधानाचार्य कक्ष प्रधान लिपिक कक्ष को अनधिकृत तौर पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब्जा कितने दिनों से किया हुआ है जो जिला विद्यालय निरीक्षक के बार-बार आदेश के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं जिससे काफी कागजात बन्द हैं और प्रधानाचार्य तथा लिपिकों को अलग कार्यालय

चलाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अनाधिकृत रूप से कार्यालय पर कब्जा करने वालों पर कार्यवाही हेतु आदेश जारी करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । प्रबन्धक के अनुसार विद्यालय के प्रवक्ता श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह एवं उनके साथी श्री कमला सिंह, श्री शम्भू नाथ मिश्र तथा श्री राम चन्द्र पाण्डेय का प्रधानाचार्य कक्ष एवं कार्यालय कक्ष पर कब्जा है।

कार्यवाही हो रही है।

श्री परशुराम, लिपिक किसान पूर्व मा0 विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर को अनियमित लाभ दिया जाना

115–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 6-2-86 को उप शिक्षा सचिव अनुभाग-6 को भेजा गया है उसमें श्री परशुराम अनानुमोदित लिपिक किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गयी है और उसमें जिला बेसिक अधिकारी, गोरखपुर ने सक्षम अधिकारियों की आज्ञा लेकर जबाबी शपथ पत्र दाखिल करते हुए प्रतिवाद किया है? यदि हां, तो श्री परशुराम को जो लाभ माननीय न्यायालय ने नहीं प्रदान की वह लाभ श्री परशुराम को किस आधार पर दे दिया गया?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्नगत विषय पर निदेशालय से आख्या मांगी जा रही है।

116–श्री कौशिक रमाशंकर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बलदेव वैदिक विद्यालय इन्टर कालेज, पलियाकलां, खीरी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध श्री के0 बी0 गुप्त तथा श्री नंगा राम विधायक के शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

117–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बल्देव बैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलिया कलां के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित को दिनांक 8 नवम्बर, 79 में कालेज के साधिकार नियंत्रक द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये जाने तथा उसके बिना विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण किये निस्तारण के संबंध में श्री के0 बी0 गुप्त, जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस (आई) का शिकायती-पत्र संख्या 2669/दिनांक 2-9-86 जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी, उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल, लखनऊ को दिनांक 4-9-1986 को प्राप्त हुआ, तथा उक्त पत्र की प्रति पर दिनांक 12-9-86 को शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ को जांच कार्यवाही पूर्ण कराने के आदेश दिये? यदि हां, तो उक्त विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

118–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बल्देव बैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलिया कलां के प्रधानाचार्य (श्री राजकुमार दीक्षित) द्वारा प्रबन्ध समिति की सांठ-गांठ से जाल साजी करके प्रधानाचार्य का पद प्राप्त करने की जांच करने तथा उनके

विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में श्री के0 बी0 गुप्त जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन (इ) का शिकायती-पत्र संख्या 2705/16-8-68 आपको तथा शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ श्री पी0 के0 मेहरोत्रा व पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गम्भीर शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि उक्त मामले में प्रधानाचार्य श्री दीक्षित दोषी हैं तो वह किन विभागीय नियमों के अन्तर्गत पद पर कार्यरत हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिकायती पत्र में पलिया स्थित बल्देव वैदिक विद्यालय इंटर कालेज, पलियाकलां के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित द्वारा जालसाजी करके प्रधानाचार्य का पद प्राप्त करने की शिकायत है । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने श्री राजकुमार दीक्षित को शैक्षिक योग्यता की जांच 7-7-86 को की थी ।

श्री राजकुमार दीक्षित प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ण अर्ह पाये गये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

119–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बल्देव वैदिक इण्टर कालेज, पलिया कलां के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित को दि0 23 जुलाई, 1971 में अवैधानिक रूप से पद पर पुनः स्थापित किये जाने तथा दि0 5-3-1975 को प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा बहाली की फर्जी पुष्टि किये जाने के संबंध में कोई शिकायती-पत्र श्री के0 बी0 गुप्त जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन (इ) का श्री पी0 के0 मेहरोत्रा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को तथा जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी आदि को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजकुमार दीक्षित को वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रबन्ध समिति ने उन्हें 1969 में निलम्बित किया था। परगनाधिकारी निधासन खीरी को विद्यालय का प्राधिकृत नियंत्रक किये जाने पर उनके द्वारा आरोपों/अनियमितताओं की जांच की गई । जांच के आधार पर साधिकार नियंत्रक द्वारा 5-3-75 को यह निर्णय दिया गया था कि भूतपूर्व प्रबन्ध समिति की आपसी दल बन्दी के कारण श्री दीक्षित पर आरोप लगाये गये थे, वह सभी जांच के बाद असत्य एवं निराधार पाये गये । उन्हें 1971 से बहाल कर दिया गया ।

120–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 के0 मेहरोत्रा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल, लखनऊ को श्री नंगाराम विधायक (खीरी) का रजिस्टर्ड पत्र दि0 31 अगस्त, 1986 जो जनपद खीरी स्थित बल्देव वैदिक इण्टर कालेज, पलिया कलां में सहायक अध्यापक (श्री सुरेन्द्र सिंह) को प्रधानाचार्य द्वारा कराये गये अनियमित फर्जी भुगतान रुपया 21232 जो दि0 1 मई, 86 को हुआ, की रिकबरी कराने तथा इस षड़यंत्र में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में था, प्राप्त

हुआ है तथा उक्त पत्र की प्रति आपको शिक्षा निदेशक उ0 प्र0, वित्त सचिव उ0 प्र0 शासन को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त मामले में आज तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उप शिक्षा निदेशक, षष्ट मण्डल, लखनऊ ने अनियमित भुगतान की जांच 7-7-86 को की थी । अनियमित भुगतान की वापसी की जा रही है ।

121–123–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 164 से 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आदर्श उच्चतर मा0 विद्यालय, बनकट आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव

124–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकट आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ 12-11-81 व 16-11-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रबन्ध समिति के दो अध्यापकों की सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ के पत्र दिनांक 15-12-82 द्वारा अनानुमोदित कर दिया गया ।

125–श्री मूलचन्द्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अशासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम प्रकरण

126–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता तथा शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों (श्री गांधी स्मारक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय समदिपुर जिला जौनपुर तथा क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण लखनऊ) में कार्यरत अध्यापकों को अभी तक वेतन वितरण अधिनियम में न लाने तथा उनके अध्यापकों को गैर सरकारी मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों की भांति लाभकारी योजना तथा चयन वेतनमान का लाभ न देने का क्या कारण है ? प्रश्न में उल्लिखित सभी सुविधायें कब तक दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

सहायता तथा शासकीय मान्यता प्राप्त प्रश्नगत अशासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम में लाने तथा उन्हें चयन वेतनमान का लाभ देने के प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्राइमरी पाठशाला रामकोट, खैराबाद, सीतापुर में अनुपस्थित पाये गये अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही

127–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय प्रा0 पा0 रामकोट वि0ख0 खैराबाद, जिला सीतापुर में दिनांक 4-8-84 को विद्यालय में कथित रूप से अनुपस्थित पाये गये अध्यापक के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध जो पुनर्विचार करने की अपील अगस्त, 84 में श्री सुखदेव प्रसाद गुप्त

(अध्यापक) द्वारा बी0एस0 ए0 सीतापुर को की गई उस पर डी0 आई0 द्वारा की गई जांच की आख्या तथा तथ्यों के आधार पर बी0 एस0 ए0 सीतापुर द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सौंपी गई है । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । अत: अभी निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हायर सेकेन्डरी स्कूल मगरावां, आजमगढ़ में कृषि विज्ञान के अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु प्रार्थना पत्र

128–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल मंगरावां, आजमगढ़ में कृषि विज्ञान के अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु सन् 1983 में शिक्षा परिषद् वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया गया था और उस सम्बन्ध में शासन को कई पत्र लिखे गये परन्तु अभी तक उसकी मान्यता नहीं मिली? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत विद्यालय ने कृषि वर्ग की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय को वर्ष 1983 में प्रस्तुत किया है । प्रश्नगत विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने के कारण मान्यता का प्रकरण अभी भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति के विचाराधीन है ।

अरबी तथा परशियन स्कूलों की मान्यता तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमावली

129–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबी तथा परशियन स्कूलों की मान्यता तथा नियुक्ति के संबंध में शासन रोक लगाकर नियमावली बना रहा था ? यदि हां, तो क्या उक्त नियमावली बन गई और रोक खत्म हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

विचार हो रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के जू0 हा0 स्कूलों में लिये जाने वाले विकास शुल्क की जमा धनराशि का उपयोग

130–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जू0 हा0 स्कूलों में लिये जाने वाले विकास शुल्क की जमा धनराशि का क्या उपयोग किया जायेगा ? क्या शिक्षा मंत्री परिषद् के स्कूल भवनों की जीर्ण स्थिति को देख कर विकास शुल्क की जमा राशि को स्कूल भवनों की मरम्मत में व्यय करने के आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

विकाश अभिदान शुल्क से प्राप्त धन-राशि का उपयोग स्कूल के भवन के रख रखाव एवं मरम्मत पर भी व्यय किया जायेगा । तद्नुसार आदेश पारित कर दिये गये है। प्रश्न नहीं उठता ।

131–श्री सुखपाल पाण्डे–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हायर सेकेण्डरी स्कूल मंगरावां, आजमगढ़ को सेक्शन संचालन की स्वीकृति

132–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेण्डरी स्कूल मंगरावां आजमगढ़ सेक्शन परमीशन और पद सृजन का

प्रार्थना पत्र दिया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हायर सेकेण्डरी स्कूल मंगरावां आजमगढ़ को सेक्शन संचालन की स्वीकृति दे दी गयी है तथा पद सृजन प्रपत्र अपूर्ण होने के कारण उसे पूर्ण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय को निर्देशित किया है।

आर0 बी0 एम0 इंटर कालेज तिलहर जनपद शाहजहांपुर में सी0 टी0 वेतन क्रम के चयन में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को न लिया जाना

133–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इंटर कालेज तिलहर जनपद शाहजहांपुर में सी0 टी0 वेतनक्रम के तीन पदों के चयन हेतु दिनांक 26-7-81 को राजकीय इंटर कालेज शाहजहांपुर में **चयन समिति की बैठक हुई थी तथा तीन** पदों में से दो पद अनुसूचित जाति तथा एक पद पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित था ? क्या यह सत्य है कि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया किन्तु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रबंधक ने कार्यभार नहीं ग्रहण करवाया है ? जिस कारण सी0 टी0 वेतनक्रम के दो पद समाप्त हो गये ? क्या यह भी सत्य है कि श्री तोताराम का सी0टी0 वेतनक्रम में मंगलसेन इंटर कालेज शाहजहांपुर से इस विद्यालय में वर्ष 1984 में स्थानान्तरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक स्थानान्तरण की जांच करा कर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

तीन पद में एक पद एल0 टी0 वेतनक्रम तथा दो पद सी0 टी0 वेतनक्रम के थे ।

जी नहीं ।

केवल सी0 टी0 वेतनक्रम के दो पदों में से एक पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था ।

चयनित पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया गया । अनुसूचित जाति के लिये पद आरक्षित नहीं था **और न ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी** का चयन ही हुआ था ।

जी हां ।

अध्यापकों के एक संस्था से दूसरी **संस्था में स्थानान्तरण माननीय सर्वोच्च** न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा निदेशक का एक प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जायेगा ।

कल्याणकारी इण्टर कालेज चांदोक, जनपद बुलन्दशहर के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 1981 से 1986 के प्रमाणपत्र न मिलना

134–श्री किरन पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणकारी इण्टर कालेज चांदोक, जनपद बुलन्दशहर के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के 1981 से सन् 1986 के कुछ परीक्षार्थियों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद उ0 प्र0 से अभी तक

प्राप्त नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो विभिन्न वर्षों के ऐसे कितने छात्र हैं तथा उनके प्रमाण-पत्र कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

हाई स्कूल परीक्षा के वर्ष 1981 से 1986 तक के निम्नांकित छात्रों की संख्या को छोड़कर अन्य सभी प्रमाण-पत्र विद्यालय को भेज दिये गये हैं ।

1981	दो प्रमाण-पत्र
1982	छः प्रमाण-पत्र
1984	चार प्रमाण-पत्र
1986	चौदह प्रमाण-पत्र

इण्टरमीडिएट परीक्षा के निम्नांकित छात्रों की संख्या को छोड़कर सभी प्रमाण-पत्र विद्यालय को भेजे जा चुके हैं ।

1984	पन्द्रह प्रमाण-पत्र
1985	आठ प्रमाण-पत्र

उपर्युक्त सभी प्रमाण-पत्रों को भी शीघ्र विद्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ के प्राथमिक अध्यापकों के उचन्त खाते की रकम भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

135–श्री विष्णु देव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक अध्यापकों के उचन्त खाते की रकम भुगतान हो गयी है ? अगर नहीं, तो क्यों? अगर भुगतान होगी तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

पुराने खाते का भुगतान हो गया है । नवीन का भुगतान नहीं हो पाया है । नवीन खाते का बैंक ड्राफ्ट कालातीत होने के कारण रिवैलिडेट होकर वापस नहीं आया है ।

बैंक ड्राफ्ट वापस प्राप्त होने पर।

136–श्री कुशलपाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल बेलाघाट, गोरखपुर के भवन निर्माण के संबंध में कार्यवाही

137–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल, बेलाघाट के भवन निर्माण हेतु बेलाघाट विकास खण्ड के प्रमुख श्री शैलेन्द्र प्रताप शाही का पत्र दिनांक 23-9-86 और प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-9-86 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

यह जिला योजना से सम्बन्धित है, योजनान्तर्गत प्रश्नगत जिले हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिव्यय आबंटित नहीं है । अतः उक्त स्कूल के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

खुर्जा डिपो की बस के परिचालक श्री प्रताप के विरुद्ध शिकायत

138–श्री सन्तोष चतुर्वेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित खुर्जा डिपो की बस सं0 9088 परिचालक श्री प्रताप के विरुद्ध शिकायत के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी फर्रुखाबाद के महामंत्री का पत्र दिनांक 20-5-86 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त

हुआ जिसे पर आर0 के0 दुबे उप प्रधान प्रबंधक/संचालक के अ0 शा0 प0 सं0 2257 से पी/86/18 अली0/वी आई0पी 86 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम परिवहन भवन दिनांक 28-8-86 द्वारा कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गयी थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

उक्त परिवाद की जांच करायी गयी । जांच के दौरान परिवादकर्ता ने स्वीकार किया कि परिचालक नशे में न होकर मानसिक तनाव में था । रेजगारी के अभाव में यात्रियों के शेष पैसे तत्काल वापिस न कर बाद में वापिस किये गये । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बस एटा में फेल हो गयी थी तथा परिचालक ने शेष धनराशि सम्बन्धित यात्रियों को वापिस कर दी थी ।परन्तु रेजगारी वापस न करने तथा यात्रियों से ठीक व्यवहार न करने के आरोप में परिचालक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी तथा दो माह का सचरित्र भत्ता काट लिया गया है ।

सरैनी, रायबरेली में राजकीय कन्या विद्यालय खोले जाने की मांग

139–श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-9-85 जिसकी प्रतिलिपि उन्हें प्रेषित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित ब्लाक सरैनी, जिला रायबरेली की कन्या शिक्षा की समस्या को सुलझाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या पत्र में वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत प्रदेश में खुलने वाले 12 राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट विद्यालयों में से एक विद्यालय को सरैनी में स्वीकृत किये जाने की मांग की गयी है? यदि हां, तो अब तक सरैनी में राजकीय कन्या विद्यालय न खोले जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

योजना के अभाव में ब्लाक सरैनी, जिला रायबरेली में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोलना सम्भव नहीं हो सका।

जी हां ।

तहसील स्तर पर राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना संबंधी वर्तमान योजना से आवृत न होने के कारण सरैनी में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोला नहीं जा सका, और न आगामी शिक्षा सत्र 1987-88 में खोलना सम्भव हो सकेगा ।

सरैनी, रायबरेली के कतिपय मार्गों पर बस सेवा की मांग

140–श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र 4-7-85 को सरैनी विधान सभा क्षेत्र, जिला रायबरेली की परिवहन समस्या के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन तीन मार्गों पर नई बस सेवायें प्रारम्भ करने की मांग की गयी है उन पर अभी तक बसें चालू न किये जाने का क्या कारण है? क्या निकट भविष्य में उन तीनों मार्गों पर बस सेवायें प्रारम्भ की जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित निम्नलिखित तीन मार्गों पर बस सेवायें चलाने की मांग के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:–

1–उन्नाव-भोजपुर-पूरे पाण्डेय गेगासी क्रासिंग-फतेहपुर

उन्नाव से भोजपुर सेवायें संचालित हैं। भोजपुर से गंगासी तक का अंश अराष्ट्रीयकृत है। अतः इस मार्ग पर सेवाएं संचालित करना सम्भव नहीं है।

2—रायबरेली, लालगंज पूरे पाण्डेय भोजपुर-कानपुर प्रातः सेवा

रायबरेली- लालगंज- नरैनी- भोजपुर लालकुंवा होकर कानपुर के लिये रायबरेली से प्रातः 7-30 बजे सेवा संचालित की जा रही है भोजपुर से पूरे पाण्डेय 6 कि0 मी0 है। इस मार्ग पर निगम द्वारा 5 अप तथा 5 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं जिनसे पूरे पाण्डेय के यात्री भोजपुर आकर इस सेवा से कानपुर जाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

3—रायबरेली - लालगंज - सरैनी-रघुराजसिंह-कानपुर प्रातः सेवा

इस मार्ग की दूरी 129 कि0 मी0 है जिसमें सरैनी से रघुराजसिंह का 14 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है। प्रश्नगत मार्ग की अपेक्षा रायबरेली से कानपुर वाया लालगंज-रघुराजसिंह-कानपुर मुख्य मार्ग है जिसकी दूरी 112 कि0 मी0 है। यदि इस मार्ग की सेवाओं में किसी भी सेवा को रघुराज सिंह-सरैनी होकर चलाया जायेगा तो 17 कि0 मी0 मार्ग की दूरी और बढ़ेगी, जिससे सीधे मार्ग की अपेक्षा यात्रियों को इस अतिरिक्त भाग का किराया अधिक देय होगा तथा उनकी यात्रा का समय भी अधिक बढ़ जायेगा। इस मार्ग पर चारबाग डिपो की एक बस संचालित की जा रही है जो लखनऊ से 15.30 बजे चलकर सरैनी 20.30 बजे पहुंचती है तथा दूसरे दिन यही बस सरैनी से 7.00 बजे प्रस्थान कर रघुराजसिंह होते हुए लखनऊ को वापस आती है। जो यात्री सरैनी से रघुराज सिंह होकर कानपुर जाना चाहते हैं वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुदान रहित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सुविधायें

141—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत अनुदान रहित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासन से क्या कोई सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो वे क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश संख्या—10 सन् 1986 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1986) के अंतर्गत मान्यता एवं अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों की व्यवस्था की गयी है। अध्यादेश के अधीन सम्प्रति साहित्यिक वर्ग, गणित, विज्ञान (जिसमें गृह विज्ञान सम्मिलित है) वाणिज्य तथा कृषि से संबंधित विषयों के ही संबंध में मान्यता दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अधीन अंशकालिक सेवायोजन प्रबन्धतंत्र के निजी स्रोतों पर अविलम्बित है।

जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल, देवरिया में छात्रों से भवन शुल्क की वसूली

142—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में जीवन मार्ग नाम का कान्वेन्ट स्कूल प्रत्येक विद्यार्थियों से 40 रु0 भवन शुल्क प्रतिवर्ष वसूल करता है जबकि विगत वर्षों में इस संस्था के भवन निर्माण में कोई विस्तार नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किये जा रहे धन उगाही की जांच करायेगी और इस प्रकार के अवैधानिक धनोपार्जन पर अविलम्ब रोक लगायेगी?

क्या भवन निर्माण के लिए लिए गए शुल्क के दुरुपयोग के विरुद्ध संबंधित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

भवन का विस्तार कार्य चल रहा है ।

विद्यालय आई0 सी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्ध होने के कारण विभाग के नियन्त्रणाधीन नहीं आता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

143–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के किन-किन स्कूलों में उर्दू अध्यापक नियुक्त हैं तथा उनके अतिरिक्त कहां-कहां और आवश्यकता है परन्तु अभी अध्यापक नियुक्त नहीं हो पाए हैं और उनके नियुक्त न हो पाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

बेसिक शिक्षा परिषद के 125 सीनियर बेसिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक नियुक्त किए गए हैं ।

वर्तमान समय में अब और कहीं नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

144–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में उर्दू अध्याप्कों की नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए वर्ष 86 के माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च में जो इन्टरव्यू हुए उनमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से कौन कौन अभ्यर्थी चयनित किए गये? क्या उनकी नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

चयनित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न† है।

आवश्यक नियुक्तियां कर दी गई हैं।

परिवहन विभाग में कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी एवं लेखाकार पद हेतु अर्हता

145–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक स्टेशन प्रबन्धक तथा लेखाकार के पदों पर चयन करने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? क्या निर्धारित शैक्षिक योग्यता के साथ कोई न्यूनतम प्राप्तांक भी निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्यों?

डा0 संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक स्टेशन प्रबन्धक का कोई पद नहीं है, बल्कि कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद नाम से पद सृजित हैं। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यतायें निम्न प्रकार हैं:–

1– कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी पद हेतु कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक।

2– लेखाकार पद हेतु कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक।

इन पदों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक इस कारण रखे गये हैं ताकि कुशल एवं दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें ।

†छापी नहीं गई।

राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर हेतु भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

146–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर में ब्लैक कार्बन प्लान्ट के लिए (मुर्धवा) रेनुकूट में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गत वर्ष 6 माह के भीतर पूरी हो गई वहीं पर राजकीय महाविद्यालय दुद्धी की भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की फाइल 13 वर्षों से विभिन्न दफ्तरों में घूम रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

इस महाविद्यालय के लिए भूमि अर्जन हेतु जो प्रस्ताव जिला अधिकारी से प्राप्त हुआ था उसमें कृषि भूमि दर्शाये जाने के कारण भूमि अर्जन की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है । इस संबंध में भूमि उपयोग परिषद् की अनुमति प्राप्त की जा रही है । अनुमति प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

जनपद आगरा में नील गायों द्वारा फसलों की बरबादी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 की 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना श्री विजय सिंह राणा, दूसरी श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, तीसरी श्रीमती सरोज वर्मा, चौथी श्री हरेन्द्र सिंह, पांचवीं श्री राजेन्द्र शर्मा, छंठी श्री गोपाल दास यादव और सातवीं है श्री कुशल पाल सिंह की ।

*श्री विजय सिंह राणा–

आगरा जनपद में नील गायों की संख्या दिन रात बढ़ रही है । यह गाएं टोल के टोल बनाकर घूमती हैं और किसानों की सम्पूर्ण फसल को तबाह कर देती हैं। शासन ने वन्य जीव रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नील गायों का शिकार बन्द करा दिया है जिससे किसानों के पास इन नील गायों से छुटकारा पाने का कोई दूसरा प्राविधान नहीं रह गया है । यदि नील गायों से किसान की रक्षा नहीं की गई तो किसानों की पूरी फसल बरबाद हो जायेगी ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि नील गायों को पकड़कर उन्हें सरकारी बाड़ों में रखने की तुरन्त प्रभावी व्यवस्था करें अन्यथा नील गायों के शिकार पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर किसानों की रक्षा करें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसान के सिर पर धर्म पुण्य लूटने वाली सरकार का भांडा फूट जायेगा और किसान विद्रोही बन जायेगा ।

मुरादाबाद में सींगन खेड़ा रोड के निर्माण से प्रभावित किसानों के भूमि के मुआवजे का भुगतान न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभाई क्षेत्र मुरादाबाद (देहात) में सींगन खेड़ा सड़क का निर्माण सा0 नि0 विभाग द्वारा लगभग 12 वर्ष हुए पूर्ण कराया जा चुका है । इस सड़क को बनाने के लिए भूमि अध्यापित की गई थी जिसके प्रतिकर के लाखों रुपए का भुगतान इतना समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है । इस काफी लम्बी सड़क पर अनेकों ग्राम पड़ते हैं उनमें एक ग्राम ग्राम करनपुर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जिसके गरीब किसानों का डेढ़ लाख रुपए का प्रतिकर का भुगतान भी नहीं किया गया है। मैं इस ग्राम के किसानों के साथ विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद से कुछ समय पूर्व प्रतिकर के संबंध में मिला था। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 को पत्र लिखा व उक्त ग्राम के प्रतिकर की धनराशि मांगी। परन्तु अधिशासी अभियन्ता ने केवल 25,000/- रुपए का चेक भेजा जो किसानों ने नहीं लिया। विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने दूसरा पत्र शासनादेश मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 (भूमि अध्यापित वर्ग) व भूमि अर्जन अधिनियम 1984 का हवाला देते हुए लिखा कि सा0 नि0 वि0 को कब्जे से पूर्व ही 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु खेद है कि फिर भी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। मेरे ही क्षेत्र में इसी प्रकार की दूसरी सड़क दलपत-अलीगंज मार्ग 20 किलोमीटर के प्रतिकर का भुगतान भी सा0 नि0 वि0 मुरादाबाद द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं दोनों सड़कों के प्रतिकर का अविलम्ब भुगतान कराए जाने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

उ0 प्र0 शासन सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सहायतार्थ शिशुशाला खुलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज वर्मा–

मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं :–

उ0 प्र0 शासन सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के 3 माह से 5 वर्ष तक के शिशुओं को कार्यालय समय में रखने हेतु सचिवालय परिसर के आसपास कहीं भी कोई शासकीय व्यवस्था न होने के कारण इन महिला कर्मचारियों को अपने शिशुओं को कार्यालय समय में सचिवालय के आसपास खुली तमाम प्राइवेट शिशुशालाओं में रखना पड़ता है, जहां इन महिला कर्मचारियों का मनमाने ढंग से आर्थिक शोषण हो रहा है तथा उनके शिशु अव्यवस्था के कारण तमाम रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में सर्वेक्षण कराकर इन प्राइवेट शिशुशालाओं की जांच कराकर जहां की व्यवस्था ठीक न हो उन्हें बन्द कराया जाय, इन शिशुशालाओं को चलाने के लिए शुल्क, आहार एवं स्वास्थ्य की जांच की उचित व्यवस्था के मार्ग निर्देशन सहित पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाय तथा शासन की ओर से इन महिला कर्मचारियों के बच्चों को कार्यालय समय में रखने हेतु एक राजकीय शिशुशाला, उ0 प्र0 शासन सचिवालय परिसर के आसपास या दारुलशफा परिसर में खुलवाई जाय, जहां राष्ट्र के इन भावी नागरिकों के उचित पालन-पोषण, आहार एवं स्वास्थ्य की जांच की समुचित व्यवस्था हो।

निर्वाचन क्षेत्र खतौली (मुजफ्फरनगर) में पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं आपकी अनुमति से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र खतौली (मुजफ्फरनगर) के ग्राम मुड़भर भौरा खुर्द, भौरा कला, जैतपुर गढ़ी नोआबाद, मोहम्मदपुर राय सिंह, हड़ोली, साहबट आदि ग्रामों में भू-जल स्तर अत्यन्त नीचे हो गए जिसके कारण वहां के नाग-

रिकों के सामने पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों में पानी की टंकियों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर लगवाई जायें, जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके ।

श्री इलम चन्द्र, निवासी ग्राम सरावनी, जिला मेरठ की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्री इलमचन्द्र जो ग्राम सरावनी, थाना किठौर, जिला मेरठ का रहने वाला था, 17 फरवरी को किठौर में अपना रुपया बैंक से निकालने के लिए गया था । बैंक थाने के पास ही है । थाने पर पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया । श्री इलमचन्द्र जो बैंक के बाहर अपना रुपया निकालने की प्रतीक्षा में खड़ा था, भी पुलिस लाठीचार्ज में गम्भीर रूप से घायल हो गया । श्री इलमचन्द्र जो बिल्कुल निर्दोष था, को भी पुलिस ने लाठियों से पीटकर घायल कर दिया । परिणाम-स्वरूप श्री इलमचन्द्र की 24-2-87 को मृत्यु हो गई । श्री इलमचन्द्र अपने पिता की एकमात्र सन्तान थी, जिसके पीछे 24 वर्षीय विधवा और पांच व तीन वर्ष की दो छोटी लड़कियां रह गई हैं। श्री इलमचन्द के पास मात्र दो बीघा पक्की जमीन थी । श्री इलमचन्द्र की दर्दनाक मौत से क्षेत्रीय जनता में रोष है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय, दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय और श्री इलमचन्द्र की विधवा को उसके जीवन व परिवार के जीवनयापन के लिए एक लाख रुपया राहत कोष से दिया जाय ।

इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप व कुत्ते के काटने की दवाओं का अभाव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इस समय इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उच्चीकरण अस्पतालों में सांप और कुत्ते काटने की स्नेक वेनम और रेवेक्सिन दवाओं के न होने के कारण कई लोग मौत की गोद में चले गए । विगत दिनों हनुमानगंज के व्यक्ति की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्नेक वैनम उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु हो गई । इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं । कुत्ता काटने की दवा इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध न होने के कारण जिला अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और दवाएं न उपलब्ध होने का बहाना करके मरीजों से बाहर की दुकानों से खरीदने को बाध्य किया जाता है । अतः इस प्रतिदिन सांप और कुत्ते काटने से मरीज झाड़-फूंक का सहारा लेकर जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं और अनेकों मौतें हो गई हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करता हूं ।

मथुरा में पेयजल संकट तथा पेयजल व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मथुरा जनपद को घोर सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है । पूरे जिले में मनुष्यों व जानवरों के पेयजल का गंभीर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संकट चल रहा है । माट क्षेत्र के नौझील, माट, छाता व चौमुहा ब्लाकों के सैकड़ों गांव के कुएं तालाब नवम्बर माह से सूखे पड़े हैं । जमुना के किनारे के गांवों में जल स्तर बहुत नीचा चला गया है । प्राइवेट ट्यूबवेल का पानी भी समाप्त हो गया है। जनता में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है । जानवर व मनुष्य प्यास से मर रहे हैं । जिलाधिकारी मथुरा ने भी दो सौ जल निगम के हैण्ड पम्पों की सरकार से मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिल सकी है । गर्मियों के आने वाले दिन और भी दयनीय स्थिति बना देंगे । अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांट क्षेत्र के पेयजल अभावग्रस्त गांवों में अविलम्ब हैण्ड-पम्प लगवाने की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

प्रदेश के आन्दोलनकारी छात्र नेताओं व सरकार के बीच हुए समझौते के सम्बन्ध में जानकारी की मांग (जारी)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं नियम 110 के अन्तर्गत सबसे पहले तो सरकार को बधाई देता हूं, जिसने छात्रों के साथ में समझौता करके जो एक बहुत बड़ा आन्दोलन होने वाला था, उसको टाल दिया । लेकिन पूरा प्रदेश यह जानना चाहता है कि आखिर सरकार और छात्रों के बीच में किन मुद्दों पर क्या-क्या बातचीत हुई । अगर इससे अवगत करा दें तो अच्छा होगा । अगर समझौता नकली हुआ है तो मैंने जो बधाई दी है, वह नकली है और अगर समझौता असली है तो बधाई भी असली है ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नियम 110 के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे ज्यादा नियम नहीं जानता, लेकिन मान्यवर, यह विषय जिस नियम के अन्तर्गत आता हो, उसी के अन्तर्गत उक्त जानकारी दिलवा सकते हों तो दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं सक्षम हैं, दर्याफ्त कर लीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस अहम मसले की आप जानकारी शासन से करा दीजिये । मान्यवर, इतने अहम मसले पर जानकारी के बिना यह उचित न होगा कि सदन की कार्यवाही आगे चले ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है, इस पर जानकारी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 110 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जिस नियम के अन्तर्गत आता है, उसी के आधार पर जानकारी करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह अध्यक्ष का काम नहीं है। जिस नियम के अन्तर्गत आपने बात उठायी, उस पर मैंने व्यवस्था दे दी । आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोग बैठें । मैंने अगली मद ले ली है ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की है, जो संविधान के अनुच्छेद 348 के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री विजय सिंह राणा की है-शामली में जो घटना घटी है, उसके सिलसिले में है। तीसरी सूचना श्री फजलुल बारी की है– जो श्री फजलुल बारी द्वारा बस्ती में बुलाये गये पत्रकार सम्मेलन में प्रशासन के डर से पत्रकारों के न आने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की है–जो परिवहन आयुक्त के बारे में है। पांचवीं सूचना श्री मनोहर लाल जी की है जो सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री श्री सीताराम निषाद व फैजाबाद के पी0 डब्लू0 डी0 के चीफ इंजीनियर के बीच हुए झगड़े के संबंध में है ।

प्रदेश के आन्दोलनकारी छात्र नेताओं व सरकार के बीच हुए समझौते के सम्बन्ध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है छात्रों व सरकार के बीच हुए समझौते के सम्बन्ध में, उस पर आप जानकारी सरकार से करा दें। आखिर क्या समझौता हुआ, इसकी जानकारी आ जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप कृपया बैठें । मैंने अपनी व्यवस्था दे दी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह काफी गम्भीर बात है, इसकी जानकारी करवा दें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, सदन के बाहर भी ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं, जिनका संज्ञान लेकर माननीय सदस्य अपनी बात उठाते हैं और आपके माध्यम से सरकार से जानकारी करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अगर इसकी जानकारी आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप कृपा करके सरकार को निर्देशित करें कि दो घंटे-तीन घंटे बाद या शाम तक इसकी जानकारी दिला दें। मान्यवर, यह छात्रों का अहम मसला है आखिर समझौता क्या हुआ है समझौता असली है या नकली इन सारे तथ्यों की जानकारी दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल लिखकर के भेज दें, मैं सरकार को भेज दूंगा।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की पहली सूचना जो श्री शतरुद्र प्रकाश की संविधान के अनुच्छेद 348 के सम्बन्ध में है, उस पर श्री शतरुद्र प्रकाश अपनी बात संक्षेप में कहेंगे ।

सदन में पारित विधेयकों के राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद को प्राधिकृत माने जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आज भी सदन में बहुत से विधेयक हैं, जिन पर विचार किया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जायेगा । मैंने संविधान के अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत एक संवैधानिक आपत्ति दी थी, मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें, यह प्रश्न गम्भीर प्रकृति का है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अनुच्छेद 348 के 1 (ख) (i) की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । लिखा है–''संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरः-स्थापित किये जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किये जाने वाले उनके संशोधनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।''

मान्यवर, संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक जितने भी विधेयक यहां पर रखे जाते हैं, सदन पारित करता है, उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में माने जायेंगे । मान्यवर, यहां पर हमारी जो सदन की भाषा है, और हमारी नियमावली के नियम 282 के अन्तर्गत भी सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 348(3) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है ''खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुरःस्थापित विधेयकों या उनके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेशों में अथवा उस उप खण्ड के पैरा (III) में निर्दिष्ट किसी आदेश नियम, विनियमन या उप विधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।''

मान्यवर, उक्त अनुच्छेद में जो प्राविधान किया गया है, उसके अन्तर्गत मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हम जितने भी विधेयक व अध्यादेश रखते हैं और उन पर जो बहस बहुत होती है, वह सब हिन्दी में होती है और उन्हें हिन्दी में ही पारित भी किया जाता है और पारित होने के बाद हो वह विधेयक, नियम, और उप नियम की शक्ल में जनता के सामने आते हैं लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि उसका प्राधिकृत रूप अंग्रेजी पाठ ही समझा जायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दी में वह प्राधिकृत प्रमाणित पाठ नहीं माना जायेगा। आखिर संविधान में इसका प्राविधान क्यों किया गया, इसकी मंशा मैं नहीं समझ पाया हूं लेकिन यह एक गम्भीर विषय है। अभी 2-3 दिन पहले यहां पर एक नगर स्वायत्त शासन विधि का अध्यादेश रखा गया था और आज आप एक बिजली के बारे में विधेयक रखने जा रहे हैं और ये सारे के सारे हिन्दी में रखे जायेंगे और इन पर हिन्दी भाषा में ही विचार होगा और पारण भी इनका हिन्दी भाषा में ही होगा। लेकिन जब यह न्यायालय और संविधान में सामने में जायेगा तो वहां पर प्राधिकृत रूप अंग्रेजी भाषा को ही माना जायेगा। हिन्दी को प्राधिकृत रूप नहीं माना जायेगा। कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज भी संविधान में अंग्रेजी भाषा का प्राविधान किया गया है। जिन अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग

लड़ते रहे और कई कुर्बानियां हमको देनी पड़ीं लेकिन आज आजादी के बाद भी संविधान हिन्दी में न बनाकर अंग्रेजी में बनाया गया।

24 अप्रैल, 1984 में तत्कालीन केन्द्रीय विधि मंत्री ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, जिसमें यह प्रश्न उठा था कि हिन्दी में जो संविधान लिखा गया है, क्या उसे प्रमाणिक माना जा सकता है या नहीं ? तो उस समय इस सम्बन्ध में निरेन डे, एटार्नी जनरल, शीतल वार्ट, एटार्नी जनरल और श्री कन्हैया लाल मिश्र, जो यहां के एडवोकेट जनरल थे, जब इन लोगों से कानूनी राय मांगी गई तो उस समय इसी आधार पर यह बताया गया कि हिन्दी में लिखा हुआ संविधान प्रमाणिक पाठ नहीं माना जायेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रमाणिक पाठ माना जायेगा। संविधान में लिखा है "भारत अर्थात इण्डिया" और जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसमें लिखा है "इण्डिया दैट इज भारत" अब हमारी समझ में यह नहीं आता कि किसे प्रमाणिक माना जाय । भारत को प्रमाणिक माना जाय या फिर अंग्रेजी में इण्डिया को प्रमाणिक माना जाय । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश का नाम इण्डिया है या भारत । इण्डिया नाम तो उस समय रखा गया था जब यहां पर डा0 बाऊटन व सर टामस राय ने ईस्ट इण्डिया की स्थापना की थी लेकिन "भारत" नाम तो दुष्यन्त व शकुन्तला के पुत्र के नाम पर इस देश का रखा गया था। संविधान के अनुसार इस देश का नाम "भारत" न होकर "इण्डिया" है जबकि सही नाम "भारत" है । मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हम सारे के सारे लोग यहां पर जो अधिनियम, विधेयक पारित करते हैं, वे अगर हिन्दी में प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं और राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के यहां के अध्यादेश पर, यहां के अधिनियम पर, विधेयक पर, नियम पर अगर सारे के सारे नियमों पर अंग्रेजी में अनुवाद करके दस्तखत करते हैं तो क्या वह अनुवाद किया हुआ नियम, नियम माना जायगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि कानून किसको माना जायगा ? विधान सभा में विधेयक की एक प्रक्रिया होती है। अगर विधेयक प्रस्तुत किया जायगा, उस पर विचार किया जायगा, बहस होगी, और पारित होने के बाद वह अधिनियम विधेयक बन जायगा, लेकिन जिसकी बहस ही नहीं की गयी हो जैसे नगर विकास मंत्री ने कल रखा, आज भी बिजली के मंत्री रखेंगे, अगर अंग्रेजी का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया हो और विचार विमर्श ही न हुआ हो, किसी सदस्य के सामने अगर रोमन लिपि में लिखा हुआ कोई विधेयक नहीं रखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में अगर सैक्शन आफीसर या अन्य किसी अधिकारी के **द्वारा लिखा जाय और** उसे अधिनियम मान लिया जाय तो विधि शास्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों के अनुसार वह विधेयक हो ही नहीं सकता। जब तक विधान सभा उस विधेयक को मा0 सदस्यों के जरिये पारित नहीं करेगी तब तक वह विधेयक नहीं हो सकता। जिस पर यहां विचार-विमर्श ही नहीं किया गया वह विधेयक की शक्ल में, नियम की शक्ल में, अधिनियम की शक्ल में कैसे माना जा सकता है?

दुनिया में कहीं भी अनुवाद को कानून नहीं माना जा सकता। किसी भी भाषा में अगर कानून बनाया गया है तो उसके अनुवाद को कानून नहीं माना जा सकता, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

अनुवाद को कानून माना जा रहा है । अगर पाकिस्तान में उर्दू में संविधान हो और हिन्दी में उसका अनुवाद कर दिया जाय तो क्या हिन्दी के अनुवाद को पाकिस्तान का संविधान माना जा सकता है? इसी प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में अगर अंग्रेजी में संविधान है और इस देश में उसका हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाता है तो क्या हिन्दी अनुवाद को ब्रिटेन का संविधान माना जा सकता है?

हिब्रू दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, इजराइल ने वर्ष 1949-50 तक जो संविधान बनायाँ है, वह हिब्रू भाषा में बनाया है और किसी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हुआ है। कनाडा में, फ्रेंच में और अंग्रेजी में दोनों में संविधान बनाया गया है, रूपान्तर नहीं किया गया है। भारत में अनुच्छेद 348 को देख लें तो अनुवाद को प्रामाणिक मान लेना मानसिक गुलामी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार सब काम हिन्दी में करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सारे नियम, विनियम, अध्यादेश, विधेयक जब अंग्रेजी में प्रामाणिकता ले रहे हैं, सारे कानून अंग्रेजी में प्रामाणिक माने जाते हैं और आप कहते हैं कि हिन्दी में काम हो रहा है? पटना उच्च न्यायालय में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विवाद गया कि अगर हिन्दी में अधिनियम या विधेयक पारित किया जाय तो वह वैधानिक माना जाना चाहिये या नहीं । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ केसेज की ओर, रामचन्द्र अमीचन्द्र बनाम संचालक ग्रामोधर; ए0 आई0 आर0 1957, मध्य भारत 26, मथुरा प्रसाद बनाम बिहार सरकार, ए0 आई0 आर0 1957, पटना 295, आलोक कुमार अग्रवाल बनाम बिहार सरकार, ए0 आई0 आर0 1976, पटना 392, इन मामलों में.....

(व्यवधान)

*श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय शतरुद्र प्रकाश जी जो हैं, यह "ए0 आई0 आर0" किस भाषा में कह रहे हैं ? यह सदन की भाषा नहीं है। इनको दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहिये । इस सदन की भाषा हिन्दी है और हमारे देश में तो विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं । सारी व्यवस्था में अंग्रेजी ही है जो इस भाषा को नहीं जानता है तो माना जाता है कि यह कमी है । ये ए0 आई0 आर0 को अंग्रेजी भाषा में नहीं बोलें क्योंकि सदन की भाषा अंग्रेजी नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं तो अंग्रेजी में उद्धरण दे रहा था और उसको मूल रूप में यहां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका अनुवाद करना इस प्रसंग में जरूरी नहीं है । तो मैं कह रहा था कि रामचन्द्र अमीनचन्द्र बनाम संचालक ग्रामोधर (ए0 आई0 आर0 1957 मध्य भारत 26) में माननीय न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि पंचायत नियमावली का अंग्रेजी पाठ प्रकाशित नहीं किया गया तो हिन्दी भाषा में निर्गत नियमावली प्रभावहीन नहीं समझी जायेगी, विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का एक मात्र उद्देश्य यह है कि हिन्दी भाषा में निर्गत नियमावली का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध हो जाय ।

मथुरा प्रसाद बनाम बिहार सरकार (ए0 आई0 आर0 1975 पटना 295) तथा आलोक कुमार अग्रवाल बनाम बिहार सरकार (ए0 आई0 आर0 1976 पटना 392) में पटना उच्च न्यायालय ने भी उपरोक्त मत की पुष्टि करते हुए निर्णय दिया कि जब बिहार विधान मण्डल ने सरकारी कार्यों हेतु हिन्दी भाषा को स्वीकार कर लिया है तो अंग्रेजी संस्करण रहित हिन्दी में प्रख्यापित अध्यादेश को अस्तित्वहीन नहीं कहा जा सकता । यदि किसी अधिनियम अथवा अध्यादेश का हिन्दी रूपान्तर गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता, तो यह तर्क मान्य हो सकता है कि उस अधिनियम अथवा अध्यादेश का कोई प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ उपलब्ध नहीं है, पर मात्र इस आधार पर हिन्दी पाठ को निष्प्रभावी या अस्तित्वहीन मान लेना समीचीन न होगा ।

ई0 हिल एण्ड कम्पनी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1960 इलाहाबाद ला जर्नल 506) के मामले में मुख्य न्यायाधीश श्री देसाई तथा न्यायमूर्ति श्री विशम्भर दयाल के मतानुसार संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) तथा खण्ड (3) का समेकित अर्थ यह है कि प्रत्येक कानून का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिये और यदि किसी अधिनियम, अध्यादेश नियमावली आदि का अंग्रेजी पाठ प्रकाशित नहीं किया गया है तो मूल रूप से हिन्दी में पारित किसी अधिनियम, हिन्दी में प्रख्यापित किसी अध्यादेश अथवा हिन्दी में निर्गत किसी नियमावली के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन सिद्धान्तों के विपरीत था जिनका प्रतिपादन मध्य भारत तथा पटना उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा चुका था । अतः इस निर्णय को जसवन्त शुगर मिल्स बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण के मामले में उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के समक्ष चुनौती दी गयी । पूर्ण पीठ के अनुसार कार्यों के प्रयोग का ही प्रविधान किया गया है और हिन्दी भाषा को अपनाये जाने या विधान मण्डल द्वारा कोई अधिनियम मूल रूप से हिन्दी भाषा में पारित किया जाय अथवा राज्यपाल द्वारा कोई अधिनियम मूल रूप से हिन्दी में प्रख्यापित किया जाय, तो राज्यपाल के लिये यह आवश्यक है कि वे ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश का अंग्रेजी अनुवाद राजपत्र में प्रकाशित करायें ।

इसी प्रकार से जे0 के0 जूट मिल्स (ए0 आई0 आर0 1961) का फैसला पृष्ठ 134 पर है कि विधेयक या अध्यादेश हिन्दी में ही पारित किया गया है और वही सही माना गया है इस संबंध में श्री भाल चन्द्र शुक्ला जी ने भी एक लेख लिखा है उसे आप देखिये । यह सब तभी लागू हो सकता है जब कि श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विधेयकों का, अध्यादेशों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित न करें, लेकिन यदि ये ऐसा करते हैं तो यहां पारित होने वाले अध्यादेश और विधेयक दोनों वैधानिक नहीं माने जायेंगे ।

कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो क्योंकि यहां पर जिन विधेयकों और अध्यादेशों पर बहस होगी, वह हिन्दी भाषा में होगी और उसकी लिपि देवनागरी ही होगी । उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रकाशित नहीं किया जायेगा । जो विधे-

यक और अध्यादेश यहां पारित होंगे उनके लिये सरकार राज्यपाल से यह कहे कि उन पर वे अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि हिन्दी में अपने हस्ताक्षर करें और सारे विधेयक और अधिनियम हिन्दी भाषा में ही बनाये जायेंगे और उन पर राज्यपाल अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करके उन्हें पारित नहीं करेंगे । तो मान्यवर, यह समझ में आ सकता है कि अगर सरकार संवैधानिक संकट से बचना चाहती है, तो जितने भी विधेयकों पर विचार करना है, तो वह सभी विधेयक हिन्दी में हों । मान्यवर, इस सिलसिले में जब तक कोई फैसला न हो जाये, तब तक आप इन पर विचार न करें । आप उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को यहां पर बुला लें और उस पर बहस हो जाये और जब कोई नतीजा निकले तभी विधेयक पास किये जायें, वरना जो विधेयक पास किये जायेंगे, उनकी कानूनी शक्ल नहीं हो सकती है ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य, शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है, और जो मैं उसको समझ पाया हूं, जिसको उन्होंने बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया है, उनका कहना है कि किसी अनुवाद को कानून नहीं माना जा सकता है, मैं सहमत हूं लेकिन कानून का अनुवाद करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कानून तो अपनी जगह पर कानून है । यह केवल समझने का फर्क है । संविधान के अनुच्छेद 348(3) को देखें तो सारी चीज स्पष्ट हो जाती है, उसमें है,

"खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुये भी जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस खण्ड की कंडिका (111) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रत्येक के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है, वहां के राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार के प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद उस खण्ड के अभिप्राय के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।"

मान्यवर, जो भाषा विधेयक पास किया किया गया है, आज से 30 साल पहले पास किया गया है । 1950 में पास हुआ है, उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि विधेयक की भाषा देव नागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होगी । विधेयक हिन्दी में पास होगा और अगर अंग्रेजी में अनुवाद रखने की आवश्यकता हो तो किसके द्वारा किये गये अनुवाद को प्राधिकृत या प्रमाणिक माना जायेगा, संविधान के आर्टिकिल 348 में है कि हिन्दी में पारित किया जायेगा, देश की कोई भी भाषा हो, जिसमें वह पारित किया जाता है, तो वह प्रमाणिक माना जायेगा उसकी प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं रह जाती है । उसका ट्रांसलेशन तो तभी प्रमाणिक माना जायेगा जब उस प्रदेश के राजपत्र में गजट में उसको प्रकाशित कर दिया गया हो और अगर उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, तो उसको प्रमाणिक नहीं माना जायेगा अनुवाद तो तभी प्रमाणिक माना जायेगा जब राज्यपाल द्वारा राजपत्र में उसको प्रकाशित किया गया हो । तो मान्यवर, यह बहुत ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोटी सी बात है । दूसरी बात माननीय सदस्य ने कनाडा की की, वहां पर दो राज भाषायें हैं, एक तो फ्रेंच है और दूसरी अंग्रेजी है । अगर कोई विधेयक अंग्रेजी में पारित किया गया है और अगर फ्रेंच अनुवाद की आवश्यकता पड़ी, तो जो प्रमाणिक अनुवाद है, उसी को माना जायेगा, आज जो विधेयक पास किया जायेगा, उस पर यहां पर यह विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस अधिनियम को दूसरे प्रदेश में विचार के लिये लिया जा सकता है । महाराष्ट्र में विचार किया जा सकता है, मद्रास में विचार किया जा सकता है, गुजरात में विचार किया जा सकता है । वहां पर इस बात की आवश्यकता पड़ सकती है कि कोई विधेयक यहां पर हिन्दी में पारित हुआ है, शायद वहां पर दूसरी भाषा हो। ऐसी स्थिति में जहां अंग्रेजी से भिन्न भाषायें इस्तेमाल की जाती हैं वहां पर इसके अंग्रेजी के अनुवाद की आवश्यकता पड़ सकती है । उसका किसी साहित्यकार द्वारा या किन्हीं अन्य लोगों द्वारा किया गया अनुवाद अधिकृत नहीं माना जायेगा केवल राजपत्र में ही प्रकाशित अनुवाद अधिकृत माना जायेगा । उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए ही ऐसा किया गया । माननीय सदस्य ने जो आश्वासन की बात कही है वह तो सन् 50 में जो कानून बना था कि यहां की भाषा हिन्दी होगी । उसके बाद किसी आश्वासन की बात नहीं रह जाती है । तो पहली बात यह है कि अनुच्छेद 348 में जो प्राविधान किया गया है इससे उसका कोई उल्लंघन नहीं होता। जिन प्रदेश में अंग्रेजी भाषा मानी जाती है जहां हिन्दी नहीं है वहां पर किसी विधेयक का सही रूप प्रकट करने में कठिनाई होगी । संविधान स्वतः स्पष्ट है, सन् 50 में जो हमारा नियम बना वह स्वतः स्पष्ट है कि इस प्रदेश की भाषा हिन्दी मानी जायेगी यहां की सारी कारगुजारी हिन्दी में होगी । केवल राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद माना जाता है ।

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने तकरीर पेश की है । वे संविधान के 348 (1) (ख) को ठीक से नहीं पढ़ पाये । उसमें साफ तौर पर लिखा है:– एक, दो, तीन जितने भी उपबन्ध हैं इस अनुच्छेद के, सारे के सारे विधेयक, विनियम नियम, अधिनियम, अध्यादेश जितने भी प्राविधान हैं, सबका प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में माना जायेगा। यहां पर जिसके बारे में हमने चर्चा ही नहीं की, जो विधेयक का अंग नहीं बने, जो प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आया वह विधेयक अधिनियम कैसे बन जायेगा, चाहे वह किसी भाषा में हो । यहां पर भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। विधेयक की परिभाषा यह है कि जो विधेयक विधान सभा या विधान परिषद् या जहां पर एक ही सदन है, और वहां पर वह इस विधेयक प्रक्रिया से गुजरा हो तभी वह विधेयक कहलायेगा । अगर वह अंग्रेजी में हो तो वह विधेयक या अधिनियम नहीं कहलायेगा । यह विधि-शास्त्र की मूलभूत प्रक्रिया और सिद्धान्त का प्रश्न है ।

कानून की भी अपनी भाषा होती है । कानून के शब्द होते हैं, उसकी ध्वनियां होती हैं । उसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता है । अंग्रेजी भाषा में उसका प्रारूप सदन में आया ही नहीं तो उसकी प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती है । अंग्रेजी में वह प्रामाणिक तभी माना जायेगा जब उसका प्रारूप सदन में आया हो पटना

हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा अन्य उच्च न्यायालयों ने इस सम्बन्ध में जो फैसला दिया है कि यदि हिन्दी के साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया गया है तो वह कानून निष्प्रभावी नहीं माना जायेगा । अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत जितने भी अधिनियम बनाये जाते हैं उसको राज्यपाल अंग्रेजी में दस्तखत करके प्रमाणित करते हैं । मैं कहता हूं कि यह अंग्रेजों की दास्तां से छुटकारा दिलाने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अभी भी अंग्रेजी की गुलाम बनी हुई है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को किसी भी विधेयक की प्रतिलिपि अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रमाणिक नहीं कराना चाहिए इसलिये कि जो विधेयक सदन में अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ न पारित किया गया हो उसे किसी भी मायने में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है । अगर वह प्रामाणिक नहीं है, और जो विधेयक का प्रारूप नहीं है जो सदन में नहीं आया है उसकी मूल प्रतिलिपि यहां नहीं है वह दफ्तर में है । वह विधायिका विभाग के क्लर्क के पास है जिसकी विधान सभा के अन्दर मूल प्रतिलिपि पेश न की जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जनत्रंत को धोखा हो नहीं सकता है । माननीय सदस्यों को धोखा दिया जा रहा है और उससे सदन को गुमराह किया जा रहा है । तो इस संवैधानिक संकट को हल करने के लिये उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को यहां बुलाया जाय उनकी राय जानने के लिये और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिख कर उनसे इस पर राय मंगा ली जाय और जब तक वह न आ जांय यहा पर विधेयक पेश न करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपना निर्णय इस सिलसिले में सुरक्षित रखता हूं ।

नियम 300 के अंतर्गत दो सूचनायें मिली हैं उसमें नम्बर दो में माननीय हरेन्द्र सिंह की शामली कांड के संबंध में है उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पहली मार्च को मुजफ्फरनगर के एक कस्बा शामली में किसनों पर जिस निर्दयता से हमला किया गया और जो अत्याचार हुआ वह अंग्रेजी के जमाने से भी ज्यादा हुआ . .

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने शामली के संबंध में नियम 300 में सूचना दी है और कुछ माननीय सदस्यों ने नियम 56 के अंतर्गत सूचना दी है । आपको तो आप सुन लें लेकिन बाकी सदस्यों को भी जिन्होने नियम 56 में सूचना दी हैं उनको भी सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

एक ही बात है मैं सुन लूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

नियम 300 के अंतर्गत सुन रहे हैं । नियम 56 में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सुन लेता हूं । नियम 300 में जो सूचना आई हैं उनको अस्वीकार करता हूं ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, संविधान की धाराओं का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

बारी साहब जो अपने पत्रकारों के संबंध में दिया है वह यहां से कोई तालुक नहीं रखता है ।

(व्यवधान)

वह यहां से संबंधित नहीं है ।

लोक लेखा समिति 1986-87 का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, सदस्य लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1986-87) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1982-83 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति (1986-87) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं सदस्य लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1986-87) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1970-71) पर आधारित लोक लेखा समिति (1974-75) के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति (1986-87) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं सदस्य लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1986-87) की तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1971-72 पर आधारित लोक लेखा समिति (1974-75) के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की मुद्रित प्रतिलिपि न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बदन सिंह ने जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की है इनकी प्रतिलिपि छपी नहीं है । जब प्रतिलिपि छपी नहीं और वह हमें मिली नहीं तो जो हमारा मौलिक अधिकार है चर्चा करने का वह हम कैसे करेंगे । नियमों में प्राविधान है कि 15 दिन के अंदर उस पर चर्चा को मांग की जाय ।

मान्यवर, न तो वह कापी है, न मैं जान सकता हूं कि बहस होने लायक है कि नहीं । इसलिये निवेदन है कि व्यवस्था दें कि बिना मुद्रित कापी के सदन के पटल पर रिपोर्ट न रखें । मैं चर्चा की मांग करता हूं कि जितने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन हैं उनको चर्चा के लिए आप स्वीकार कर लें और 15 दिन का समय मिलेगा नहीं, इसलिए आज यह कह रहा हूं और 15 दिन का समय कब से मानेंगे ? यह भी बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन से छप कर प्रतियां आयेंगी तो उस दिन से 15 दिन माना जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

ठीक है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7-3-1987 की बैठक में सिफारिश की है

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि सदन का दिनांक 9 मार्च, 1987 का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:–

9 मार्च, 1987 5 बजे अपराह्न तक

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अंतिम दिन)

5बजे अपराह्न से

1–वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण ।

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण (आधा घंटा)।

3–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण (आधा घंटा)।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जैसा अभी श्री खान गुफरान जाहिदी ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में प्रस्ताव रखा है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 4-9-86 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, दिनांक 4-9-86 को सर्व-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री गौरी शंकर भैया, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या (1) के संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि ''मान्यवर'', यदि दोहरा प्रोमोशन देने की निश्चय कैबिनेट का हुआ है, तो उस हिसाब से 100 प्रतिशत प्रमोशन डिपार्टमेंट से होने चाहिए थे । यदि इस तरह का कैबिनेट का डिसीजन है तो उसका पालन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया ।

2–उस समय सदन में उत्तर दिया गया कि ''मान्यवर, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह श्रेणी-1 की प्रोन्नति का मसला है, श्रेणी-2 का नहीं । श्रेणी-2 के संबंध में जरूर डबल प्रमोशन की बात है, श्रेणी 1 में नहीं ।''

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है–

''मान्यवर, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह श्रेणी-1 की प्रोन्नति का मसला है श्रेणी-2 का नहीं । प्रश्न में उल्लिखित सभी 44 पद प्रोन्नति देकर भरे गये हैं, जिसमें डबल एडहाक प्रोमोशन भी है ।''

4–मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

[मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 108-109 पर]

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10 व 11 को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 10 और 11 को स्थगित कर दिया गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत आज 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें

1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना है-इलाहाबाद नगर में निर्माण के नाम पर हजारों मकानों का गिराया जाना ।

2–श्री शारदा प्रताप ने प्रदेश में कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में सूचना दिया है ।

3–श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री कनक सिंह, श्री शफीकुर्रहमान वर्क ने "सरकार द्वारा गठित वेतन समिति के अध्यक्ष पद पर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति न किया जाना", के संबंध में सूचना दिया है और चौथी सूचना इसी विषय पर श्री दीपचन्द्र सोनकर ने भी दिया है । पांचवीं सूचना मा0 मनोहर लाल जी की थाना बांगरमऊ उन्नाव के अन्तर्गत पुलिस के सिपाहियों द्वारा विधवा से बलात्कार किये जाने के बारे में है। छठी सूचना मा0 सरदार सिंह की जनपद मथुरा में हैजा चेचक एवं दिमागी बीमारी के जोर के बारे में है। 7वीं सूचना मा0 चन्द्रभान मौर्य की आगरा जनपद में कुओं के जलस्तर के नीचे गिरने के बारे में है। 8वीं सूचना मा0 हरेन्द्र सिंह और श्रीमती सरोज वर्मा की शामली जिला मुजफ्फरनगर में किसानों पर लाठीचार्ज के बारे में है। 9वीं सूचना मा0 शतरुद्र प्रकाश की जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी द्वारा गांवों के कटान के बारे में है। 10वीं सूचना मा0 विजय सिंह राणा की प्रदेश में भयंकर सूखा के बारे में है। 11वीं सूचना मा0 अर्जुन सिंह यादव और मा0 चन्द्र सेन की जिला जौनपुर में बच्चे को जीप द्वारा कुचल जाने के बारे में है। 12वीं सूचना मा0 माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जिले के करेहना गांव में भीषण नरसंहार की जांच रिपोर्ट के बारे में है और 13वीं सूचना माननीय अवधेश प्रसाद की अयोध्या तीर्थ स्थली में अव्यवस्था के कारण परिक्रमा के समय 32 लोगों की मौत के बारे में है।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

अध्यक्ष महोदय, तीसरी सूचना में मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, आपका नाम है। मा0 दीप चन्द्र सोनकर की सूचना भी इसी विषय पर है।

पहले मैं शामली की घटना के बारे में सुन लूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पहली सूचना मेरी है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल ने कहा था इसलिए मैंने कहा कि पहले इसको सुन लूं। इलाहाबाद की भी आ जायगी चिंता की बात नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं और एक बड़े शर्मनाक काण्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जबसे किसान विरोधी सरकार आयी और उसने किसान पर अटूट जुल्म किये वृद्धि दरों में भारी वृद्धि की और किसानों का उत्पीड़न किया तो किसान एकत्रित हुए और उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया और उसका नाम भारतीय किसान यूनियन रखा गया। उसके तहत मेरठ मण्डल के किसानों ने एक नोटिस मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को दिया और 27 जनवरी को प्रदर्शन किया था शामली में बिजली घर के पास।

उसी के तहत 17 तारीख को सिसौली में मीटिंग हुयी जिसकी सूचना जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को दी गयी थी और एक मार्च को जब सीधे साधे किसान जिनके हाथ खेत और खलिहान में काम करते हैं वह जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शामली जाना चाह रहे थे तो सरकार ने दुश्मनों की तरह 21/22 फरवरी की रात में भोले भाले किसानों को उठा ले गयी।

समाज के कुछ नाते रिश्ते होते हैं। हमारे समाज के देव तुल्य बाबा सिसौली, बाबा लिसाड़, बाबा निरपढ़ा, बाबा छपरौली, बाबा बड़ौत, बाबा सबका, इस सबका अपमान किया सरकार ने जिसको समाज बर्दास्त नहीं कर सकता है। 27/28 फरवरी की रात को किसान ऐसे तरीके से पकड़े गये जिस तरह डकैतों को पकड़ा जाता है। मैं और मेरे साथी विधायक अमीर आलम साहब उस दिन जिले में थे और मैंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को लिखा कि आप लोगों ने जो कार्य किया है उससे समाज में क्षोभ है। मान्यवर, यह कोई राजनीतिक जलस नहीं था इसका उददेश्य केवल यह था कि वह उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ वह आवाज उठाना चाहते थे। जिलाधिकारी ने टाइम भी नहीं दिया मिलने के लिये ताकि किसानों की समस्या को समझाया जा सके। जब ये लोग अपने निर्धारित कार्यक्रम के स्थान पर जाना चाहते थे तो लोगों को रोकने के लिये बैरियर बनाये गये थे, 12 बैरियर बनाये गये थे. तो उन निहत्थे किसानों पर शामली में बिना चेतावनी दिये लाठी बजायी गयी, आंसू गैस छोडी गयी और फायरिंग की गयी। मैं और मेरे साथ अमीर आलम साहब वहां पर मौजूद थे। 1 बजे तक कोई गम्भीर दुखद घटना नहीं घटी थी और किसी की मृत्यु नहीं हुयी थी हमने जिलाधिकारी को लिखकर दिया। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर में रुके थे। ए0डी0एम0 को लिखकर दिया गया था और पुलिस अधीक्षक को लिखकर दिया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि आप लोग इस जनपद को मेरठ को विनाश से बचायें और किसानों की बात को शासन तक पहुंचा दें। किसानों का दमन न करें।

(इस समय 12 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

परन्तु मान्यवर, बुढ़ाना थाने का इन्स्पेक्टर थपलियाल जो उस स्थान पर पुलिस टुकड़ी का इंचार्ज था, ने वहां के निहत्थे किसानों पर पी0ए0सी0 के लोगों को आदेश देकर गोली चलवा दी। जिन लोगों ने यह गोली चलवाई, उनको इस सरकार द्वारा प्रोन्नत किया जा रहा है। मान्यवर निहत्थे किसान लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर अराजनैतिक संगठन के तहत बिजली पर जा रहे थे, उस समय यह गोली चलाई गयी, जिसमें अकबर अली, जैपाल मलिक, मनोज बाल्यान मारे गये तथा सैकड़ों लोग घायल हुए। मान्यवर, आमेनी प्रकाश नर्सिंग होम में इनका निवासी घायल व्यक्ति आज भी अपना इलाज करा रहा है। मान्यवर, उसे पूछने तक कोई वहां पर नहीं गया। कुछ लोग सरकारी अस्पताल शामली में भर्ती हैं। वहां पर उनकी दवा आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है। मान्यवर, कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। मान्यवर वहां पर लाठियों से अनेकों लोगों को पीटा गया है। जिनके इलाज का शासन ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने दो तारीख को यह मामला सदन में उठाया था। मान्यवर, जिलाधिकारी का जहां तक सवाल है, जिला फुंक

रहा था, और वह आराम कर रहे थे मुजफ्फरनगर में मान्यवर, इस सारे झगड़े की जड़ सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं। वहां पर एक भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री का झगड़ा था। कलेक्टर और ए0डी0 एम0 का झगड़ा था और मरवा दिया गया भोले भाले किसानों को, जो पूर्ण रूपेण शान्त थे। वे लोग अपना शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मान्यवर, वे लोग गोरखालैण्ड और खालिस्तान की देशद्रोही मांग भी नहीं कर रहे थे। वे लोग पूर्णतया अराजनैतिक थे। विधान सभा में व राज्य सभा में यह मामला उठने के बाद विधान सभा से यह तय किया गया कि मंत्री लोगों की कमेटी वहां पर जायगी और किसानों की समस्या का निराकरण करेगी। परन्तु खेद है कि कोई भी मंत्री और कोई भी कमेटी जो एक पक्षीय बनाई गयी थी, वहां पर नहीं गयी। माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय भोपाल सिंह ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह मामला सदन में उठाया और सदन में यह फिर आश्वासन दिया गया कि मंत्री लोग वहां पर जायेंगे और समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं गया और समस्या जैसी थी, वैसी ही बनी हुई है, कोई भी निदान नहीं हो रहा है। मान्यवर, किसानों पर झूठे मुकदमें चलाये गये हैं। सदन में यह कहा गया कि किसानों पर जो मुकदमें चलाये गये हैं, अपराधिक प्रवृत्ति को छोड़कर बाकी मुकदमें वापस कर लिये जायेंगे। यह एक मजाक है। मान्यवर, घायलों को आज तक कोई देखने तक नहीं गया। मान्यवर, अगर कोई दुर्घटना में मर जाता है, तो उसके परिवार वालों को एक लाख रुपया देने की माननीय मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं और अगर कोई डकैत गोरखपुर का मर जाता है, तो उसके परिवार वालों को दो लाख रुपया देने की घोषणा मुख्य मंत्री जी करते हैं और अन्नदाताओं को पुलिस द्वारा मारे जाने पर 20000 रु0 क्या अजीब बात है। मान्यवर, जब माननीय भोपाल सिंह ने यह मामला पुनः 4 मार्च को उठाया तो यह आश्वासन दिया गया था कि वहां पर एक कमेटी जायगी, जोकि वहां की स्थिति को देखकर समस्याओं को निपटायेगी। मान्यवर, ये लोग वहां पर नहीं गये और न किसी किसान से बात ही किये। मान्यवर, वहां पर आज भी वहां के भोले भाले किसानों का उत्पीडन किया जा रहा है। मान्यवर, वहां पर किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, इसकी जांच का काम वहां के ए0डी0एम0 को दिया गया है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। वहां का इन्सपेक्टर थर्मलयाल वहां पर आज भी मौजूद है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर आज ही इस विषय पर चर्चा कराई जाय। मान्यवर इससे ज्यादा अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता है।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय और लोक महत्व की घटना की तरफ ले जाना चाहती हूं। मैं इस सरकार को बताना चाहती हूं कि यह जो शामली कांड हुआ है, यह कोई साधारण काण्ड और दुर्घटना नहीं है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई जो इतिहास को बदल सकती है, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल सकती है। मैं कल ही वहां से आई हूं। वहां पर लिसाढ के जैपाल सिंह और अकबर सिम्भल गांव निवासी को मारा गया। यह घटना उस समय हुई, जबकि किसान लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए बिजली घर पर जा रहे थे।

किसान किस लिए जा रहे थे, इस सत्ता के मद में डूबी हुई सरकार को, इस प्रशासन को जिसके कान बहरे हो चुके हैं, अपने हक को, मांग को उनके कानों तक पहुंचाना चाहती थी । यह तो उन्होंने 27, 28 और 29 जनवरी को ही प्रदर्शन किया था इसी बिजली घर में, इसी शामली कस्बे में जहां कोई दुर्घटना नहीं हुई । जहां 15–20 हजार किसान गये थे। इससे किसानों ने साबित कर दिया कि हिंसक घटना की कोई बात होने वाली नहीं है। वह किसान केवल अपनी बात कहना चाहते हैं । यहां पर पहली मार्च को निहत्थे किसानों को रोकने के लिये 3 अवरोधक बनाये गये, लेकिन नहीं रोक पाये । काबडौत के पुल पर ट्रक को खुद पुलिस वालों ने खड़ी किया, उससे जब जनता नहीं रुकी, तो उसको पुलिस वालों ने खुद जलाया। लेकिन जो जनता थी, किसान थे उन्होंने तब भी कोई हिंसक हमला नहीं किया, उस ट्रक को उन्होंने ट्रैक्टर से खिंचवाकर हटाया और आगे घुस गये तो आपकी पुलिस, आपकी सरकार और आपका प्रशासन, जो किसानों का हितैषी बनता है, ने निहत्थे किसानों पर आंसू गैस छोड़ी, लाठियां चलायी, गोलियां चलायी जिससे कुछ लोगों की जानें गयी तथा कई लोग घायल हो गये, जिससे लोगों के मन में खून उबलने लगा । उस लाश को लेकर वह बिजली घर की तरफ बढ़े, हजारों लोग वहां पर थे। इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, जो मांग उनकी है वह न्यायोचित है । आपने वायदा किया था, बिजली मंत्री ने वायदा किया था कि हम किसानों को 8–10 घंटे बिजली देंगे। 8–10 घंटे बिजली मिलना तो दूर की बात है, मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली मिलती है। जहां भी हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं चाहे सत्ता पक्ष के एम0 एल0 ए0 हों या विपक्ष के, उनको यही शिकायत मिलती है गांव वालों की कि हमको बिजली नहीं मिल पाती है, अनियमित रूप से मिलती है । अगर वह आपसे मांग कर रहे थे कि हमको बिजली दो तो कौन सी ऐसी बात कर रहे थे जो आप सुनना नहीं चाहते थे । गांव वालों को आपने कोई सुविधा नहीं दी जितनी उनकी चीजें हैं वह महंगी होती जा रही हैं। इस बात को छोड़ दीजिए कि उनके बच्चों के इम्तहान जब होते हैं तो उनको रात में रोशनी जलाने के लिए नहीं मिलती है। आज जब वह अपने खून पसीने से पैदा की हुई फसल को सूखते हुए देखता है, तो उसे बहुत दुख होता है। उसको बिजली नहीं मिल पाती है जिससे वह सिंचाई करता है। किसान अपनी फसल को अपने बेटों से ज्यादा मानता है तो वह उसको मरते, सड़ते और सूखते कैसे देख सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह दोहरा माप-दण्ड आप कैसे अपना रहे हैं।

आप आज किसानों को बिजली नहीं दे सकते हैं लेकिन जितने पूंजीपति हैं जिनके ऊपर बिजली का बिल बकाया है, आपने कितने पूंजीपतियों को आज तक जेल भिजवाया है, आपने क्या किया है। आपसे मैं यह कहना चाहती हूं कि आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ सुल्तानपुर और रायबरेली को ही उत्तर प्रदेश का गांव न समझें, उत्तर प्रदेश के सारे गांव उसी तरह से सुविधा चाहते हैं जिस तरह से वहां मिली हुई है। गांधी जी ने गांवों को देश की आत्मा कहा था और आज देश की आत्मा जाग चुकी है, आज किसान जाग चुका है:

यह आन्दोलन यह चिन्गारी आपने भड़-कायी है जो आगे चल कर एक ज्वाला-मुखी का रूप लेगा और उसमें आपकी पूरी सरकार को खाक हो जाना पड़ेगा, यदि आप नहीं चेतोंगे। अब भी समय है अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर 90 प्रतिशत गांव जो इस देश के अन्नदाता हैं उसकी न्यायोचित मांगों को आप मानिये । मैं आज आपको कड़ी चेता-वनी दे रही हूं कि किसान 22·50 रु0 से 22·51 पैसा भी देने को तैयार नहीं है। अगर आपने उनकी मांगें नहीं सुनी तो पहली अप्रैल को किसान फिर आन्दोलन करेगा । आपकी गोलियों से आपकी लाठियों से किसान का हौसला पस्त नहीं हुआ है बल्कि उनका हौसला मजबूत हुआ है, उनकी हिम्मत बढ़ी है। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्या करें, अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, यह आग पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में जलकर रहेगी । अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। यह आग पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में फैलेगी इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करवायें ।

*श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में शामली की घटना के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक बातें बताना चाहता हूं। मान्यवर, मुझसे पूर्व मेरे जिले के माननीय सदस्य हरेन्द्र सिंह जी तथा हमारी बहन सरोज ने अपने विचार व्यक्त किये । वास्तव में जो घटना पहली मार्च को घटी इसके लिए हम सभी को अत्यधिक दुख है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी लेकिन किसी घटना को वास्तविक रूप दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका समाधान हो सकता है लेकिन तोड़-मरोड़कर इस तरह से किसी बात को सदन में हम पेश करें तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि किसान लोग अपनी मांगों के लिए आये थे और उनकी मांगें न्यायोचित हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी एक किसान के नाते यह कहना चाहूंगा कि किसानों की विद्युत सम्बन्धी मांगें न्यायोचित थीं लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ में कुछ गैर जिम्मेदार लोग भी सम्मिलित होते हैं और मौका पाकर कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं। किसान लोग वास्तव में शान्तिपूर्ण ढंग से थे लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे मौकों का फायदा उठा लेते हैं। उन लोगों ने, हमारी निश्चित जानकारी है कि कई जगह पुलिस का घेराव करने की स्थिति पैदा की । अन्त में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई कि घेराव हुआ और इसमें हमारे पब्लिक के दो किसान भाई हताहत हुए हैं, इसका हमें अत्य-धिक दुख है। दो पुलिस कर्मी भी इसमें हताहत हुए हैं, उनके लिए भी हम सभी को दुख है लेकिन मान्यवर, जहां तक मेरे साथियों ने इस ओर संकेत किया है कि जिला प्रशासन मूक दर्शक बनी रही, देखती रही वास्तव में वैसी बात नहीं थी । जिला प्रशासन ने जिस सूझ-बूझ और जिस धैर्य और हिम्मत से काम लिया अगर जिला प्रशासन इतनी सूझ-बूझ और हिम्मत से काम न लेती तो इससे बडी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुर्घटना हो सकती थी और उससे हम सभी को और ज्यादा दुख होता। मान्यवर, किसानों की मांगें बिजली के सम्बन्ध में कुछ हद तक न्यायोचित थीं और मैं अपनी ओर से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि किसानों के लिये बिजली की कुछ सुविधायें निश्चित की जायं जो कि इस प्रकार से हों–पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरानी विद्युत लाइनें हैं, उनका नवीनीकरण कराया जाय और जो बहुत पुराने तार हो गये हैं वहां पर बदलवाकर समस्त नये तार डलवा दिये जायं । विद्युत उपगृहों का शीघ्र निर्माण कराया जाय । मान्यवर, बहुत लम्बी लाइनें हैं जिससे किसानों को बिजली सुचारु रूप से नहीं मिल पाती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समुचित व्यवस्था करवाई जाय ।

(श्री किरनपाल सिंह तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको जो कुछ कहना हो, बाद में कह लीजियेगा। उनको अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री बाबू सिंह–

कम से कम 6 बजे से 10 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति देनी चाहिये। ट्रान्सफार्मर चोरी होने पर तुरन्त एक सप्ताह में ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था हो जानी चाहिये ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सीमित रखें।

श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मैं किसानों की बात कर रहा हूं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने से शोर)

एक सदस्य–

इन्हें रोकें मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो रोकूं कहां से ।

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत आप इसे सुन रहे हैं। उनको सुन रहे हैं जिन्होंने इसे उठाया है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । जिन्होंने इसको उठाया नहीं है उनको क्या कहना है। यह गम्भीर मामला है। प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ।

(श्री खान गुफरान जाहिदी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बाबू सिंह जी, आप बैठें। जाहिदी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, नियम 56 में अपने विचार दिये जा सकते हैं। इसमें किसी एक पक्ष का सवाल नहीं है। जो ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, बोल सकते हैं।

श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

थोड़ा सीमित रखें।

श्री किरन पाल सिंह–

गोली चलाई गयी है। आप इनको समय दे रहे हैं। ग्राह्यता पर सुनें।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबू सिंह–

आप किसानों के हितैशी हैं। बनते हितैषी हैं, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष–

राम नरेश जी आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव–

नियम 56 में मा0 सदस्यों ने आपको सूचना दी है। इस सूचना की ग्राह्यता पर आप सुन रहे हैं। शामली की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्यवाही नहीं की गयी। किसान बिजली चाहते थे, फसलें सूख रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, मांगें करते हैं। उनके ऊपर लाठी बरसायी जाती है, गोली चलाई जाती है। प्रश्न यह है कि क्या यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है। प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता पक्ष से यह कहा जाये कि बिजली के लिये यह करना चाहिये, वह करना चाहिये । ग्राह्यता पर बोलना है। अगर मा0 सदस्य इस तरह से बोलते हैं कि बिजली के लिये क्या करना चाहिये, सुझाव देते हैं, तो वह इसके प्रतिकूल है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाबू सिंह जी आप सीमित रहिये ग्राह्यता पर । चर्चा नहीं हो रही है। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(शोर)

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं मौके पर नहीं था, न कोई हमारा भाग है। मैं तो नियमावली के सम्बन्ध में व्यवस्था उठाना चाहता हूं । नियम 56 में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई माननीय सदस्य नियम 56 में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव देता है, तो उसको आप सुनते हैं कि लिया जाय या न लिया जाय । क्या आपने तय कर लिया है कि इस पर चर्चा की जाय, यदि नहीं तय किया है तो बाबू सिंह जी को किस नियम के तहत आपने बुलवाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 56 और नियम 300 में आया था। नेता विरोधी दल ने अध्यक्ष जी से कहा कि इसको नियम 56 में ले लिया जाय । श्री हरेन्द्र सिंह और श्रीमती सरोज वर्मा ने इसकी सूचना दी थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

300 वालों का नाम, नियम 56 में जोड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाबू सिंह जी, आप केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

(व्यवधान)

नियमावली का इसमें कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

बाबू सिंह किस नियम में बोले हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

जहां तक नियम का सवाल है, यह नियमावली के विरुद्ध नहीं है। मैंने अपने विवेक से बुलवाया है, इसलिये कि तथ्य आ जाय ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मेरा व्यवस्था का सवाल है। बाबू सिंह किसान हैं वहीं के रहने वाले हैं ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री बाबू सिंह–

मैं अपने विपक्ष के भाइयों की भावना का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि किसानों के आप ही हितैषी नहीं हैं, हम लोगों को कम चिन्ता नहीं है, जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अमीर आलम खां–

मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि 1-3-87 को शामली बिजली घर पर किसान अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, जो इस मुल्क के हर नागरिक का अधिकार है। मैं और श्री हरेन्द्र सिंह उस दिन मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। दस बजे हम लोगों को सूचना मिली कि पुलिस किसानों के प्रदर्शन को रोक रही है। हम दोनों तुरन्त शामली आए तब तक काबडौत के पुल पर पुलिस दो किसानों को मार चुकी थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। मान्यवर, किसान इस बात से उत्तेजित थे और उन किसानों की लाश को बिजली घर पर रख कर रो रहे थे, उन लोगों ने हम लोग से कहा कि हम कमजोरों की

(शेम शेम की आवाज)

सहायता कीजिए। हम लोग शामली आए और श्री हरेन्द्र ने कहा कि अमीर तुम एस0 पी0, डी0 एम0 से मिलो। मैं थाने गया वहां एस0 पी0 और डी0 एम0 मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा यह खूंरेजी क्यों आप लोगों ने करवाई है तो उन्होंने साफ कहा कि मुख्य मंत्री जी के आदेश हैं कि चाहे जितनी लाशें गिरानी पड़े, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जुलूस नहीं निकलने देना है। यह सब मुख्य मंत्री ने कराया है, मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं घायलों के मुआवजे की मांग करता हूं और पूरे दिन सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मैं इस सदन में शामली काण्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि यहां जो कुछ हुआ मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने कराया। किसानों पर लाठी, गोली चलवाई। यह किसानों की विरोधी सरकार है। यह सरकार किसानों के हर अधिकार को छीनना चाहती है। किसान शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी मांगों को लेकर शान्तिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी और गोली बरसाई। माननीय मुख्य मंत्री या केबिनेट का कोई सदस्य वहां पहली तारीख से 9 तारीख तक नहीं पहुंचा है। इनको इतनी हमदर्दी है किसानों से। आज 9 तारीख हो गई, मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य वहां नहीं गया। मैं किसानों की परेशानी की बात कर रहा हूं तो कृषि मंत्री जी हंस रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री विजय सिंह राणा–

मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि वह आन्दोलन किसी पार्टी ने नहीं कराया था किसी दल विशेष ने नहीं कराया था, इसलिए किसी पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं सरकार का कोई सदस्य खड़े होकर कह दे कि हिन्दुस्तान का किसान कभी पागल हुआ है। जो किसान पटवारी, लेखपाल को बाबूजी और पुलिस को दरोगा जी कहता है। उससे गोली चलाने की अपेक्षा की जा सकती है। आज तक किसी किसान ने अनु-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

शासन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया । तो मान्यवर, मेरा केवल इतना कहना है कि यह गरीब किसान वर्ग जो कभी भी किसी प्रकार की अहिंसा न करने वाला वर्ग है, जब यह अपनी उचित मांग को लेकर आपके सामने है, तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं और जो लोग अहिंसा पर उतारू हैं उनसे आप निपट नहीं पा रहे हैं । आज इनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, केवल 5 माह बिजली इनको मिलती है और जब यह इन चीजों की आपूर्ति की मांग करते हैं तो आप इनकी सुनना नहीं चाहते। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने इन किसानों के प्रति अपने रवैये का रुख सही नहीं किया तो इधर बैठे एक-एक एम0 एल0 ए0 और एक-एक कार्यकर्ता, किसानों पर होने वाले अत्याचार और उन पर चलने वाली गोली का जवाब देगा या तो फिर समय रहते इनके साथ न्याय किया जाय वरन् मान्यवर यह सदन चलने नहीं दिया जायेगा ।

*श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, शामली की घटना देश भर के इतिहास की अभूतपूर्व घटना है और और इसकी गाह्यता के बारे में ज्यादातर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं मान्यवर, केवल एक बात माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की दर जो आपने रु0 22 से 30 रु0 कर दिए हैं । इस पर किसान अडिग है कि हम इस बढ़े हुए दर को नहीं मानेंगे और सरकार भी जैसा कि अपनी जगह पर दृढ़ है कि इसे वह नहीं कम करेगी । इसी प्रश्न को लेकर फिर किसानों ने एक अप्रैल को प्रदर्शन करने की बात कही है। इसलिए मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि भविष्य में अब दुबारा इस प्रकार की नौबत न आए जो पहले आ चुकी है और इस बात को लेकर केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश प्रभावित है । मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने इस विषय पर एक समिति का भी गठन किया है और उसकी बैठकें भी कई हो चुकी हैं । इस समिति की बैठकों से अब तक क्या परिणाम सामने आए और किसान जैसा कि अपनी बात पर अडिग है और सरकार भी रु0 30 से घटने को तैयार नहीं है, तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस स्थिति में कोई सुधार न हुआ तो फिर उसी प्रकार का संघर्ष होगा और गोलियां चलेंगी और इसी बात को लेकर आज सारे प्रदेश में मान्यवर चर्चा है कि देखो। अप्रैल में किसानों का क्या रुख होगा और मैं समझता हूं कि यदि सरकार का यही रवैया रहा तो फिर किसानों को गोली खानी पड़ेगी इसलिए ऐसी कोई घटना घटित होने से पहले-पहले यदि सरकार को सद्बुद्धि आए और अपने बढ़े हुए दामों को वापस ले, तो प्रदेश की स्थिति किसी प्रकार से शान्तिपूर्ण रहेगी।

(घोर व्यवधान)

(एक साथ कई मा0 सदस्यों का अनुरोध कि श्री मूलचन्द्र जी को भी एक मिनट का समय अवश्य दिया जाए)

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द्र जी को क्या कहना है, इनको घटना के बारे में क्या पता ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, एक मिनट का समय इनको दे दीजिए ।

*श्री मूलचन्द्र–

मान्यवर, आज दुख इस बात का है, जिसे आप भी स्वयं जानते हैं और सारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुनिया जानती है कि आज देशरूपी गाड़ी को एक किसान मजदूर रूपी बैल खींच रहा है और मान्यवर यही नहीं इस किसान मजदूर रूपी बैल को आज न तो बिजली मिलती है और न पानी जबकि पूरे मुल्क की जीविका इसी कृषि पर निर्धारित है। वहां के किसानों के साथ हुकूमत सौतेला व्यवहार करती है। यह दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, आज जो हालत किसानों की हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि "आग लगेगी मान में, तो सम्मान जलेगा, आएगी, आंच राम पर, तो रहमान जलेगा और जब लगेगी आग किसान के खेत में, तो हिन्दुस्तान जलेगा।" मान्यवर, माफ कीजिये, यह किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है कि बिजली के बिलों में बढ़ोत्तरी हो गयी, लेकिन बिजली की लाइन में कटौती हो रही है। किसान का जब खेत जल रहा है, किसान उग्र रूप धारण करने जा रहा है। किसान प्रदर्शन के लिये एलान कर रहा है। गोली चल रही है किसान पर तो आप क्या समझते हैं, जिस समय इस मुल्क का किसान उग्र रूप धारण कर लेगा, तो यहां हालत पंजाब से भी बदतर हो जायगी। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान के साथ सौतेला व्यवहार न करें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहली तारीख की यह दुखद दुर्घटना मेरे क्षेत्र की है। यहां कई बिन्दु मा0 सदस्यों ने उठाए, और मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं सभी मा0 सदस्यों से कि जितनी गम्भीरता इस घटना की है, उसी गम्भीरता के साथ इस घटना के ऊपर विचार होना चाहिए। मान्यवर, रात के करीब सवा नौ बजे हमें जानकारी मिली कि ऐसी घटना वहां पर हो गयी है। उसी समय मुख्य मंत्री जी ने मुझे वहां जाने के लिये निर्देशित किया। मैं प्रातः सवा आठ बजे घटना स्थल पर पहुंच सका। वहां पर बहुत ही दुखद वातावरण बना हुआ था। दो किसान जिनकी हत्या हो गयी थी, उनकी लाशें सत्याग्रहियों के हाथों में थी और वे लाश देना नहीं चाहते थे। एक पुलिस के आदमी की भी हत्या हो चुकी थी। उस समय गृह मंत्री जी हमारे साथ थे। किसी प्रकार प्रतिनिधित्व करके, समझा बुझा करके उस वातावरण को हमने शिथिल किया और आगे बात जारी रखी गयी। मान्यवर यह सही है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी जिले में शांति व्यवस्था कायम करने की है और जहां इस प्रकार दो किसानों की गोली से हत्या हो जाय, तो यह जनता का अधिकार स्वयं भी है कि वह जानकारी प्राप्त कर सके कि किन परिस्थितियों में हत्या का अवसर आया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में चाहे अधिकारी हो या मंत्री हो यह प्रमाण-पत्र देने का अधिकार हमारा नहीं है। हम विधायक और मंत्री से ऊपर इंसान भी हैं और उस इंसान का दिल हमारे अंदर भी है।

आज कई प्रश्न हमारे सामने उभरकर आये हैं। जहां वह गोलीकाण्ड हुआ और किसान मरा, जहां वह सत्याग्रह किया गया, दोनों जगहों में काफी अन्तर है। पहले जहां गोलीकाण्ड होता है व किसान मरता है उसके बाद एक पुलिसकर्मी भी मरता है, इसलिये मेरा स्वयं का इस बात की ओर बल था कि इसकी जांच होना आवश्यक है। गृहमंत्री जी ने उस दिन मैजि-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

स्टीरियल जांच के आदेश दिये थे, लेकिन घटना की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तार से तमाम प्रकरण की सी0आई0डी0 से जांच होना आवश्यक है और मैं यह आश्वस्त करता हूं कि मैजिस्टीरियल जांच हो या न हो, क्योंकि मैजिस्टोरियल जांच का सी0आर0पी0सी0 में प्राविधान है, जांच होती है, लेकिन इस तमाम प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 से कराई जायेगी और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। सहायता के रूप में 20-20 हजार रु0 की घोषणा माननीय गृह मंत्री जी ने की। इसकी जानकारी की जा रही है कि जख्मी कितने हैं। क्योंकि एसी स्थिति आती है कि बहुत से जख्मी अस्पताल में जाते भी नहीं हैं। जानकारी करने के बाद जो समुचित सहायता सरकार की तरफ से संभव होगी, वह भी की जायेगी। मान्यवर, वार्ता लोकतंत्र का अधिकार है। गोली की अपेक्षा यह ज्यादा प्रभावशाली हथियार है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप इसे मानते हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मानता भी हूं और इसमें विश्वास भी है।

मान्यवर, वार्ता का जो अधिकार है, उसी की वरीयता देते हुए कैबिनेट के कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा मैं छोटा सा कार्यकर्ता उनके साथ स्वयं गया। उनके साथ बातचीत की गयी। जो कुछ उन्होंने मांगें रखी हैं, माननीय बाबू सिंह जी ने भी मांगें रखी थीं किसानों के पक्ष में, उन सब बातों पर विस्तार से विचार कर रहे हैं। जो किसान के हित की बात होगी, करने का उसे प्रयास करेंगे।

जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, हरेन्द्र जी हैं, अमीर आलम खां साहब हैं और भी हमारे सम्मानित साथी वहां से हैं, हमारा आपका-सबका यही प्रयास होना चाहिए कि किसानों में, जनपद में शांति होनी चाहिये।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, जो दुर्भाग्य से हमारे जनपद में मंत्री हैं, जिनके चुनाव क्षेत्र में यह घटना हुई है, अभी अपने भाषण में कुछ प्रस्ताव रखे, उसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, कुछ सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। क्या यह घटना मैजिस्टीरियल जांच की है? इसकी जुडिशियल जांच होगी, या नहीं? मान्यवर, उन बहादुर किसानों, सम्मानित किसानों के आश्रितों ने सरकार की भीख के द्वारा दी गयी 20-20 हजार रु0 की राशि ठुकरा दी है? इसके बारे में बतायें। मान्यवर, घटना में घायलों की पूर्ण सूची क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है? इसके पीछे क्या बिडम्बना है, इसे बताया जाना चाहिये? मान्यवर, अभी यह बताया गया कि कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की टीम, वहां गयी, जिसमें कृषि मंत्री, गृह मंत्री, और माननीय कार्यकर्ता-हुकुमसिंह जी भी थे, क्या उक्त मंत्रियों की टीम मुजफ्फरनगर गयी थी या यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में बुलाकर किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता की? मान्यवर, उन से वार्ता यू0 पी0 निवास नई दिल्ली में की गयी थी।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, उक्त गयी टीम के लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आयी कि जब वहां

शहीद जयपाल मलिक की चिता पर फूल चुने जा रहे थे, उस समय उनके प्रतिनिधियों को वार्ता के लिये यू 0 पी0 निवास दिल्ली में बुलाया गया । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह बिजली की दर की बाबत साढ़े बाईस रू0 की बात मानते हैं या नहीं ? इसकी स्पष्ट घोषणा करें। मान्यवर, मैंने आरोप लगाया है कि सत्ता-पक्ष के कतिपय लोगों तथा कुछ उच्चाधिकारियों का आपस में झगड़ा था, जिसकी वजह से यह गोलीकांड हुआ । इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिये । मान्यवर, उस गोलीकांड से संबंधित दोषी थानेदारों को दंडित किया गया या उसकी पोस्टिंग किसी अच्छे थाने में की जा रहीं है?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र सिंह जी, अब आप बैठें। गृह मंत्री जी खड़े हुए है ।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, इस घटना के संबंध में विपक्ष के तथा सत्तापक्ष के विधायकों ने बहुत ही शालीनता के साथ अपने विचार प्रकट किये । हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने जैसा कहा है, इस मसले में अत्यन्त शांति से विचार करने की आवश्यकता है । अभी आपने सी0 आई0 डी0 जांच की मांग की है उसकी मैं घोषणा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जुडिशियल इन्कवायरी होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें ।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने समझौते के बारे में जानना चाहा । उस आंदोलन के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, उन लोगों से जो वार्ता हुई, और उन लोगों ने जो अपनी बातें बतायीं उसमें मूल बात थी बिजली की समस्या की । उसमें उन्होंने बिजली की दरों के अलावा जितनी बातें कही थीं, वह सबकी सब स्वीकार कर ली गयी।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, बिजली के दाम कम करने संबंधी मुख्य मांग थी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

बिजली की दरों और आपूर्ति के संबंध में ही किसानों की मुख्य मांग थी।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

समझौते में कौन-कौन सी बातें हुई, इसे माननीय सदस्य जानना चाहते है । वहां के नेतागण चाहते थे कि 8 घण्टे लगातार बिजली दी जाय, उन्हें सायंकाल के समय 6 बजे तक दो फेज की बिजली दी जाय जितने ट्रांसफार्मर खराब हुए है, वे सब बदल दिये जायं, वे यह भी चाहते थे कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते है उन्हें एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से बदल दिया जाया करे । इस संबंध में विद्युत परिषद् के अध्यक्ष और विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिये गये है कि वह वहां पर स्वयं जाकर कैम्प करें और किसानों की मांगों की पूर्ति करके ही वापस लौटें । जहां रेट को घटाने का सवाल है यह एक आर्थिक प्रश्न है । विद्युत परिषद् और मंत्रि मण्डल के बीच इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है इस बात की चेष्टा की जा रही है कि किसान भाईयों को किसी भी प्रकार से सुविधा दी जाय जिससे उनकी आर्थिक समस्या भी हल हो सके। उनके इस मांग के बारे में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस संबंध में उनके नेताओं से भी

विचार-विनिमय हो रहा है और विद्युत परिषद् से भी चल रहा है। जहां तक आपने कहा कि घायलों की सूचना क्या है तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने उनके नेताओं से कहा कि हमें आप घायलों की जानकारी दे दें ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके ।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अभी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के विचारों को सुना और दोनों ने अपने शब्दों से इस बात की कोशिश की कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं । लेकिन सारे तथ्यों को छिपाकर इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है । मैं आज इस सदन और सरकार को बताना चाहता हूं कि शामली की घटना कोई घटना नहीं है बल्कि यह एक आन्दोलन है। यह आन्दोलन कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि इस शासन के खिलाफ है। यदि आप यह देखेंगे कि इतने लोगों की हत्या हो गई, इतने घायल हो गये तो आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पायेंगे। आज यह एक गैर राजनैतिक संगठन है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में यह बात पहुंच चुकी है। यह सरकार आज तक रिक्शा यूनियनों, तांगा यूनियनों, डाक्टर्स यूनियनों, मास्टर लोगों की की यूनियनों की समस्याओं का समाधान करती रही लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार यह एक गैर राजनैतिक संगठन बना है जो अपने में बिना किसी राजनैतिक व्यक्ति को लिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहता है। किसान कहता है कि बिजली की दरें और प्रदेशों में कम हैं तो फिर क्या कारण है कि इस प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। आपने साढ़े 22 से 30 रुपए कर दिया । जब तक आप इसे नहीं देखेंगे और इसे सुधारेंगे नहीं तब तक यह आन्दोलन किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। यह शासन का एक षडयंत्र था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे । नहीं तो क्या कारण था कि 27, 28 व 29 जनवरी को उन्हीं किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से शामली पावर स्टेशन पर धरना दिया और वहां के आयुक्त ने ए0 डी0 एम0 को भेजा और लिखित रूप से समझौता किया गया। उस समय उन्होंने कहा कि हम 11 मांगों में से 10 मांगें फौरन स्वीकार कर रहे हैं। जो स्थानीय स्तर की है। ग्यारहवीं मांग जो रेट कम करने की है, उसको विचार हेतु शासन के पास भेज रहे हैं। आपके प्रशासन के कर्मचारियों ने जो जब इस मांग को लिखित रूप से मान लिया, एक महीने तक तो कुछ नहीं कर पाये। जो आश्वासन दिया गया उस पर पानी फिर गया। जब कुछ नहीं हुआ तो वहां के किसानों को मजबूर होकर 1 तारीख को धरने के लिये आने की जरूरत पड़ी। जब वह शान्तिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टर, ट्राली और बैलगाड़ियों पर बैठकर आये थे, कोई संकेत नहीं था कि वहां पर कोई हिंसा होगी, फिर कारण क्या था कि आपने उनके पीछे बैरियर लगाये और पुलिस ने उनसे मोर्चा लेने की कोशिश की, उनको अपमानित ही नहीं किया बल्कि पीटा भी गया । एक बच्चा, जो कि 15-16 साल का था और जो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, दूसरा लड़का जिसकी आयु 18 साल की थी और गरीब घर का लड़का था जिसके सहारे सारे परिवार का गुजारा होता था, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गयी थी कि पुलिस को उनसे मोर्चा लेना पड़ा ? अन्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जब रेलवे क्रासिंग पर किसानों की भीड़ आती है तो पुलिस जुल्म के प्रतीक के रूप में उन किसान भाइयों की लाशों को लेकर निकलती है, लेकिन किसी भी दुकानदार के साथ या अन्य किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अगर आपके दल के लोग होते और ऐसी वारदात हुई होती तथा जुलूस निकल रहा होता तो तमाम दुकानें लुट जातीं, लेकिन उन किसानों ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे शिकायत होती । शिकायत अगर पैदा की तो आपकी सरकार ने पैदा की। अगर किसानों का आन्दोलन होता है तो यह दोष लगता है कि लोकदल करवा रहा है, जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं । आप में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि शामली जाते और किसान भाइयों से समभौता करते और न्यायिक जांच की मांग जो आपने मंजूर कर ली है, उनके बीच में जाकर घोषणा कर देते कि आपने यह तय किया है। आपने उनको दिल्ली के यू0पी0 निवास में बुलाया । आपमें अगर हौसला था नीयत सीधी थी तो कोई कारण नहीं नहीं था कि आप शामली न जाते। कोई अधिकारी कर्मचारी हिम्मत नहीं कर पाये। आपने 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को बुलाया और उनसे बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि न्यायिक जांच करायेंगे। उन्होंने जितनी मांगें रखी थीं सारी मांगों के विषय में आपने आश्वासन दिया। आपने कहा है कि शासन के सामने रखेंगे कि 30 रु0 के स्थान पर 22.50 रु0 बिजली का रेट किया जाय । किसानों की जिद है कि 22.50 रु0 से ज्यादा होगा तो वे देने वाले नहीं हैं। मैं खुद मौके पर गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार उनकी वह सक्रिय मदद नहीं कर पायी, जिसकी उनको आशा और विश्वास था। उनके वालन्टीयर्स सारे जुलूस में साथ-साथ चलते थे कि हिंसा न भड़कने पाये । वे किसान सैनिक जो बनाये गये हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनका एक शपथ-पत्र आपको दिखाना चाहता हूं। सरकार को समझ लेना चाहिये कि यह जो घटना हुई है, आंदोलन हुआ है इसको दबा नहीं पायेंगे, कुचल नहीं पायेंगे। इनके शपथ-पत्र में लिखा है कि– "मैं-----पुत्र श्री-- निवासी---- उत्तर प्रदेश अपनी मां की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि भारतीय किसान अराजनीतिक, उत्तर प्रदेश के लिये अपना जीवन दान देता हूं । और विश्वास दिलाता हूं मैं अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा। अपना जीवन-दान देने के लिये वे शपथ ले रहे हैं। पहली तारीख के लिये पुनः वे लोग बुला रहे हैं धरना देने के लिये। मैंने देखा कि जहां भी लोग मारे जाते हैं तो वहां के लोगों का मनोबल गिर जाता है लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर के किसानों को मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि वहां के लोगों का मनोबल गिरा नहीं है बल्कि उनका आक्रोश बढ़ रहा है। वे हौसले के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने यही रवैया अपनाया कि पुलिस के माध्यम से आप उनको कुचलना चाहेंगे तो आप अब उनको कुचल नहीं पायेंगे बल्कि उल्टे आपकी ही सरकार कुचल दी जायेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि आपने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें जो कायम की हैं, इसको आप कम करें नहीं तो आप इन कुर्सियों पर बैठने नहीं पायेंगे ।

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला है इसलिये मैं मांग करता हूं कि आज सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर आप इस विषय पर चर्चा करा दें। जब तक आप इस पर चर्चा नहीं कराते

है तब तक किसानों के प्रति इनकी जो उपेक्षा है, यह उजागर नहीं होगी कि कितनी कालिमा के साथ ये काम कर रहे हैं। इसलिये मैं इस पर आपसे चर्चा की मांग करता हूं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

माननीय नेता विरोधी दल ने दो-तीन बिन्दु ऐसे कहे हैं जिनका स्पष्टीकरण करना मैं आवश्यक समझता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार का कभी यह इरादा नहीं है कि किसानों पर जुल्म करे और किसानों के हित का कार्य न करे। जहां तक शामली की घटना की बात है, यह दुखद घटना है और इस घटना के संबंध में शासन को भी दु:ख है लेकिन मा0 नेता विरोधी दल ने कहा कि किसानों का जुलूस पूर्णतया अहिंसक था। इसके बारे में जो मुझे सूचना प्राप्त हुई वह यह है कि उनके साथ जो ट्रक और ट्रालियां थीं उनमें ईंट, पत्थर थे और पलकटी नाम के हथियार थे और देशी कट्टे थे।

(विरोधी पक्ष से शेम-शेम की आवाजें)

[घोर व्यवधान]

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें अपनी बात तो कह लेने दीजिये।

[लोकदल (अ) के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया]

श्री बदन सिंह–

"किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

श्री विजय सिंह राणा–

एक भी किसान ने गोली नहीं चलायी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

"यह लीठी गोली की सरकार नहीं चलेगी"

श्री बदन सिंह–

"किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी।"

(विरोध पक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे)

मैं आधा घंटा के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी गयी। 2 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजे मार्शल ने पुन: सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है।

3 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुन: सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है। 3 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुयी।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री शतरूद्र प्रकाश+

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो गृह मंत्री जी ने यहां पर बयान दिया कि किसान लोग कट्टा और तमंचा लेकर आये थे। यह तथ्य परख नहीं है। यह असत्य है। गृह मंत्री को इसके लिए सदन में माफी मांगना चाहिए। जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे, तब तक यह सदन नहीं चल पायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब आप इस आसन पर बिराजमान थे, तब माननीय गृह मंत्री अपना प्रबचन कर रहे थे। अपने प्रबचन में वह यह कह रहे थे कि शामली के किसान लोग कट्टा लिये हुए थे, तमंचा लिये हुए थे।

(घोर व्यवधान)

माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में इस प्रकार का गलत बयान देकर किसानों का अपमान किया है, वह बरदाश्त से बाहर है। इसलिए माननीय गृह मंत्री अपने उन शब्दों को वापस लें, ताकि सदन शांति-पूर्वक चल सके । मान्यवर, यह अत्यन्त आवश्यक है कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर माफी मांगें ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, उनको यह कहने का हक नहीं था। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते माननीय गृह मंत्री को ऐसे शब्द कहने का कोई हक नहीं था। उनका यह बयान कल अखबारों में आयेगा, रेडियो पर आयेगा। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी पहले सदन में माफी मांगें ।

(घोर व्यवधान)

इसके अलावा मा0 गृह मंत्री न्यायिक जांच के लिए आश्वासन दें। हमारी मांग है कि सी0आई0डी0 जांच के बजाय न्यायिक जांच की घोषणा करें । बिजली का रेट जो 30 रु0 किया गया था, वह 22.50 पैसे किया जाय ।

इन सारे मामलों के ऊपर वर्तमान शासन अपना वक्तव्य दें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जो नेता विरोधी दल ने बातें कही हैं शामली के बारे में, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सरकार इतनी अक्षम और निकम्मी है कि उससे बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात जरूर है कि गृह मंत्री जी की हैसियत से जिस तरह का बयान सदन में आया और उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किस तरह से सामान और असलहे लेकर जा रहे थे, यह मान्यवर, बहुत शर्म की बात है।

उनके सामने कौन सी ऐसी बात आ और सारी चीजें लेकर जायेंगे, वह तो शांतिपूर्ण ढंग से गये थे प्रदर्शन करने के लिए और प्रशासन की तरफ से जो किसानों पर गोलियां चलायी गयीं । उसको झूठा करने के लिए, जो अधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर गृह मंत्री बयान दे रहे हैं। यह मामला इतना पेचीदा है, यह किसानों का ही सवाल नहीं है पूरे प्रदेश का सवाल है । इसलिए जब इस तरह की घटनाएं हो तो सी0 आई0 डी0 को मामला देने वाला नहीं है । जुडीशियल इन्क्वायरी की बात है और दूसरी जो बातें हैं उनको हल करने की जरूरत है । इसलिए इन चीजों के बारे में नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं, सरकार को इसका जबाब देना चाहिए और मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए तथा खेद प्रकट करना चाहिए । इस तरह की बात करके पूरे किसानों के लिए, जो प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, उनका अपमान हुआ है । इसलिए इस पर खेद प्रकट करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, शामली काण्ड के संबंध में इस सदन में जो चर्चा हुई उसमें एक पक्ष सम्मानित सदस्यों ने, सामने वाले सदस्यों ने रखा । शामली के निर्वाचित प्रतिनिधि और यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी एक पक्ष रखा, उस जनपद के विधायक ने भी एक पक्ष रखा । सम्मानित सदस्यों ने जो यहां बात बतायी वह भी वहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने भी सूचना के आधार पर बात कही और हमारे पास भी जो सूचना थी, मैंने यह बात कही, जो तथ्य मेरे पास है उनके आधार पर यह बात कही ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि सी0 आई0 डी0 जांच की घोषणा हो गयी है, इसलिए श्रीमन, जो

तथ्य हमारे पास है उनका सदन में प्रस्तुत करना मैं उपयुक्त नहीं समझता ।

(विरोधी दल के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये तथा जोर-जोर से नारे लगाने लगे, "पुलिस ने गाड़ियां खुद फूंकी और पावर हाउस खुद फूंका, गृहमंत्री माफी मांगें")

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (सदन के "वेल" से)– गृहमंत्री कहते हैं कि किसान अपने साथ औरतों और बच्चों को लेकर आये थे और दूसरी ओर कट्टों की बात करते हैं । जो आदमी वहां घायल हुए हैं उसमें किसी को भी छर्रे नहीं लगे हैं । पुलिस ने गाड़ियां और पावर हाउस खुद फूंके हैं ताकि वह अपना बचाव कर सके । किसानों के पास कोई हथियार नहीं था । किसान देवता के समान है इन्होंने उनका अपमान किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें ।

(फ्लोर पर खड़े सदस्य बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (सदन के "वेल से")– हम पहले किसान हैं और बाद में विधायक या किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं । मुझे शपथ है इस बात की कि यदि किसानों पर ज्यादती हुई तो मेरे खून का एक-एक कतरा भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम आयेगा और यह मेरे लिए गौरव की बात होगी । पर एक तरफ दूसरे लोग बैठे हैं जो किसानों के कातिलों को बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने इन्तजाम ठीक किया । मेरी यह भी चेतावनी है कि यदि बिजली के दाम न घटाए गए तो आन्दोलन और बढ़ेगा ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री विजय सिंह राणा तथा विपक्ष के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

गृह मंत्री मुर्दाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद
गृह मंत्री माफी मांगो, गृह मंत्री माफी मांगो
बिजली रेट कम करो, बिजली रेट कम करो
किसानों की मांगें पूरी करो, किसानों की मांगें पूरी करो
गृह मंत्री किसानों से माफी मांगो,
गृह मंत्री किसानों से माफी मांगो
दोषी अधिकारियों को निलम्बित करो,
दोषी अधिकारियों को निलम्बित करो
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
झूठ बोलने वालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
किसानों की दुश्मन यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी । 4 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 58 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

(श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होने पर लोकदल (अ) के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 14 पुकारे जाने पर)

(अत्यधिक शोर)

वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं ।

(घोर व्यवधान)

[लोकदल (अ) के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे]

(घोर व्यवधान)

[सदन के फ्लोर पर खड़े कतिपय माननीय सदस्यों ने रिपोर्टर्स टेबुल से पत्रादि (कार्य सूची) उठाकर अध्यक्ष आसन की ओर फेंके]

(घोर व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

(किसी भी माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन उपस्थित किया गया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अन्य संशोधन जो उपस्थित किए गए माने गए थे, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर खड़े लोकदल (अ) के बहुत से सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 2 मार्च, 1987 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1987

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–15

(अननुमोदन के संकल्प पर किसी भी सदस्य के खड़े न होने पर)

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

खण्ड 2, 3 खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 28 जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

"(5) उपधारा (5-क) में जैसी व्यवस्था की गयी है, उसके सिवाय, फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे उसी श्रेणी, पंक्ति या संवर्ग के किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं:

परन्तु उपधारा (4) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई न्यायिक सदस्य तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय

(5–क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गया हो, न्यायिक सदस्य या प्रशासकीय सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त कर सकती है, यदि वह उपधारा (3) के अधीन ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अन्यथा पात्र हो, और ऐसा व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये या जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1987 निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

[लोकदल (अ) के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) (घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 18

(किसी सदस्य के अननुमोदन के प्रस्ताव हेतु संकल्प प्रस्तुत करने के लिये खड़े न होने पर)

(घोर व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित **अधिनियम बनाया जाता है :–**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) धारा 3 और 4 उन्तीस दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धाराएं तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ङङ) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म"।

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1987" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1987" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1986

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

[लोकदल (अ) के बहुत से माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाने लगे]

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987,

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11-00 बजे पुनः बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

9 मार्च, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

परिशिष्ट

वर्ष	प्राइमरी	भवन की स्थिति	जू0 हा0 स्कूल	भवन की स्थिति
1982-83	1—गुलामीपुर	भवन नहीं बना है।	1—उजनी आई'मा	भवन बन गया।
	2—बरियारी	,,	2—गनषा	,,
	3—टेड़ा	,,	3—हेतापट्टी	,,
	4—कटिहा	,,	4—चकअभयराम	,,
	5—हथगनी	,,	5—देवरा	,,
1983-84	1—घोसिया मकदूमपुर	,,	1—पड़रिया शुक्रवारा	भवन नहीं बना है
	2—अडहरा	,,	2—पुरफौजशाह	,,
	3—अकबरपुर	,,	3—बीरपुर	,,
	4—गंगागंज	,,	4—छतरगढ़	,,
			5—सिकुलीकलां	,,
1984-85	1—व्यवहरा	,,	1—चन्दहा	,,
	2—घुरवा	,,		
	3—दलपतपुर	,,		
	4—डेरा	,,		
	5—कांटी	,,		
	6—टिकरी	,,		

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

1—समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चयन वेतनमान एवं समयबद्ध वेतन-मान प्रदान किया जाय ।

2—समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एल0 टी0 सी0 सुविधा एवं चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाय।

3—समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय ।

4—समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु अग्रिम प्रदान किया जाय ।

5—समस्त प्रयोगशाला सहायक एवं लैब वियरर को तकनीकी वेतनमान दिया जाय एवं जहां पद नहीं है वहां सृजित किये जायें ।

6—समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्त आयु राजकीय कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष की जाय ।

7—विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों में व्याप्त विसं-गतियां दूर की जायें ।

8—विश्वविद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा में कार्यरत कर्मचारयों को निदेशालय स्तर के वेतनमान प्रदान किये जायें ।

9—महाविद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भविष्य निधि से स्थाई अग्रिम की सुविधा प्रदान की जाय ।

10—महाविद्यालयों, माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाय ।

11—महाविद्यालयों में लेखाकारों का पदनाम पूर्व की भांति लेखाकार ही रहने दिया जाय तथा लेखा संवर्ग बनाया जाय ।

12—(अ) महाविद्यालयों, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 25000 का सामूहिक बीमा किया जाय ।

(ब) माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पारिवारिक पेन्शन एवं ग्रेच्युटी प्रदान की जाय ।

(स) बेसिक शिक्षा के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रीष्म एवं शीत कालीन वर्दियां देना सुनिश्चित किया जाय ।

(द) विश्वविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाय।

(य) यू0 जी0 सी0 वेतनमान ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 83 पर)

(विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के लिए श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री गौरी शंकर भइया द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर।)

प्रश्न	उत्तर
1—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गत 3 अगस्त, 1986 को प्रदेश में 44 श्रेणी—2 के अधिकारियों की पदोन्नति श्रेणी—1 में हुई है और क्या यह सच है कि इस पदोन्नति में केवल एक ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लिया गया है जबकि उसका आरक्षित कोटा 8 बनता है ?	जी हां ।
यदि हां, तो अनुसूचित जाति को आरक्षित कोटा न दिये जाने का क्या कारण है ?	प्रश्नगत पदोन्नतियां केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए तदर्थ रूप से कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0—15/18/86-कार्मिक—1/1986, दिनांक 29 मार्च, 1986 के अन्तर्गत की गयी है । उक्त शासनादेश के अनुसार चयन हेतु पात्रता का क्षेत्र तथा चयन के मापदण्ड वही रखे गये थे जो कृषि सेवा श्रेणी—1 की सेवा नियमावली में है। सेवा नियमावली के अनुसार चयन का मापदण्ड ''योग्यता (मेरिट) रखा गया था । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम 8 के अनुसार योग्यता के मापदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया हेतु पात्रता सूची में रिक्तियों की संख्या के अनुपात में अधिकारियों के नाम एक निश्चित संख्या तक अधिकारियों की ज्येष्ठता के अनुसार सम्मिलित किये जाते है । इस प्रकार बनाई कई पात्रता सूची में उपलब्ध सभी वर्गों के अधिकारियों के नाम पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है । उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा नियमानुसार कृषि सेवा श्रेणी—1 में पदोन्नति हेतु बनाई गई पात्रता सूची में

प्रश्न	उत्तर
	कुल 64 अधिकारी रखे गये थे जिसमें अनुसूचित जाति के 7 अधिकारी सम्मिलित थे । इन 7 अधिकारियों में से 5 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी । अतः उनके संबंध में चयन समिति की संस्तुति मोहरबन्द लिफाफे में रखी गयी, और शेष दो अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी को प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया, जिन्हें प्रोन्नति दे दी गयी । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दिनांक 2-8-86 को 19 अधिकारियों के नामों पर और विचार किया गया जिसमें दो अधिकारी अनुसूचित जाति के थे । इन दो अधिकारियों में से एक अधिकारी प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया, किन्तु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों के नाम नीचे होने के कारण प्रोन्नति का नम्बर आने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचित जाति के केवल एक अधिकारी को प्रोन्नति दी जा सकी और अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा नहीं किया जा सका । **नरेन्द्र सिंह,** **कृषि मंत्री।**

पी0एस0यू0पी0–एल0 327 वि0 सभा (658)–1987–813 ।